बुधवार,
२ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष उहोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उद्योग के प्रबन्ध तथा संगठन सम्बन्धी पहलू

*९३७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री अपने उस वक्तव्य का, जो उन्हों ने सदन में "उद्योग (विकास तथा विनियमन) विधेयक" को प्रस्तुत करते समय दिया था और जिस में उन्हों ने यह बतलाया था कि सरकार की नीति केवल उद्योगों को चालू रखना ही न होगी बल्कि उन के प्रबन्ध तथा संगठन सम्बन्धी पहलुओं में सुधार करने की दृष्टि से कार्यवाही करना भी होगी, तथा सूती कपड़ा उद्योग के लिये कार्यसंचालन दल की टैकनिकल उप-समिति की रिपोर्ट का निर्देश करने की कृपा करेंगे तथा यह बतलायेंगे कि :

(क) मंत्री द्वारा बतलाई गई दिशा की ओर कोई कार्यवाही की गई है; तथा

(ख) टैक्नीकल समिति की सिफारिशों को सरकार ने पूर्णतया अथवा कुछ भागों में स्वीकार किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). मैं ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य क्या ज्ञात करना चाहते हैं। जो कुछ मैं ने कहा है उस के अनुसार तब तक कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि किसी औद्योगिक इकाई में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न न हो जायें। सूती कपड़ा उद्योग के लिय कार्य संचालन दल की टैक्नीकल समिति द्वारा की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पिछले एक वर्ष के दौरान में ४० कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं तथा इन में से अधिकतर मिलें कुप्रबन्ध या प्रबन्ध में आन्तरिक गड़बड़ी होने के कारण बन्द हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उत्पादन कायम रखने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले ही से कुछ बातों के सम्बन्ध में धारणायें बना ली गई हैं जो कि मेरे विचार में बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि संख्या ठीक ठीक ४० ही है क्योंकि मुझे जो सूचना प्राप्त है उस के अनुसार यह संख्या बहुत कम है तथा मिलों के बन्द होने के कारण भी हमेशा कुप्रबन्ध नहीं है। अन्य कारण भी हैं जैसे कि मशीनों का पुराना हो जाना। अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में यह बतलाना कि ये मिलें किन किन कारणों से बन्द हुई हैं कुछ कठिन सा ही है। परन्तु

इन मिलों के बन्द हो जाने के कारण कपड़ा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार ने कपड़ा मिलों में कुशल कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के महत्व को समझा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में हम ऐसे समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों का महत्व समझते हैं किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वर्तमान प्रश्न से इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : मिलों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये क्या सरकार का विचार प्रबन्ध, श्रमिकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की समितियां बनाने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे ज्ञात नहीं है कि माननीय सदस्य के ध्यान में कोई विशेष मिल है अथवा नहीं । हो सकता है किसी विशेष मिल के सम्बन्ध में ऐसा करना पड़े मगर सामान्यतः नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहती हूं । इस प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहती हूं कि जब अध्यक्ष द्वारा यह प्रश्न स्वीकार कर लिया गया तो ऐसा क्यों हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रकार का है । माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रश्न-काल नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने के लिये नहीं होता । यह केवल सरकार से सूचना ज्ञात करने के लिये होता है और वह सूचना जो किताबों, नक्शों, पुस्तिकाओं आदि में उपलब्ध नहीं होती । सामान्य प्रकार के प्रश्न का सामान्य उत्तर ही होगा ।

श्री पुष्प्स : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि उन के विचार में ४० की संख्या बहुत अधिक है । क्या वह बतला सकते हैं कि ठीक संख्या क्या है तथा इन का कितने श्रमिकों पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

सेंधा नमक का उत्पादन

*९३८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में सेंधा नमक के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : भारत में केवल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सेंधा नमक प्राप्त होता है । वर्तमान उत्पादन लगभग ६००० टन प्रति वर्ष है तथा वह भी उतना साफ नहीं है जितना कि होना चाहिये । एक स्विस फर्म ने सरकार को एक योजना सौंपी थी जिस के अनुसार प्रति वर्ष ६६,००० टन साफ किया हुआ नमक खानों का विकास कर के पैदा किया जा सकता है तथा इस योजना को पंच वर्षीय योजना में शामिल कर कर लिया गया है । मंडी में कितना नमक खानों में मौजूद है इस का पता लगाने के लिये 'कोर ड्रिलिंग' किया जा रहा है । जब कोर ड्रिलिंग का परिणाम प्राप्त हो जायेगा तो इस योजना को कार्यान्वित करने का काम हाथ में लिया जायेगा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मंडी क्षेत्र में सेंधा नमक की खानों का पता लगाने के लिये जो कमेटी स्थापित की गई है उस ने कितनी प्रगति की है ? श्रीमान् मेरे विचार में यही उत्तर मुझे पिछली बार भी दिया गया था ।

श्री आर० जी० दुबे : पिछली बार स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया था । इस कार्य के लिये विशेष रूप से कोई कमेटी स्थापित नहीं की गई है । दी एसोसियेटेड ड्रिलिंग

एण्ड सप्लाई कम्पनी, जिस की बर्ड एण्ड कम्पनी भारत में मुख्य ऐजेन्ट है, इस क्षेत्र में छेद करने कार्य कर रही है । परन्तु, दुर्भाग्यवश, सरकार को ऐसा करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिन को मैं आप की अनुमति से सदन को बतला सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एसा करने की अनुमति नहीं देता; माननीय सभा-सचिव ज्ञापन परिचालित कर सकते हैं ।

श्री आर० जी० दुबे : दिसम्बर १९५२ में...

उपाध्यक्ष महोदय : जब कोई मंत्री अपनी बात को ब्यौरेवार समझाना चाहते हों तो वह मुझे नोट भेज सकते हैं जिसे मैं सदन के सदस्यों में परिचालित करवा दूंगा । यही अच्छा रहेगा ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में बहुत से लोगों को सेंधा नमक खाने की आदत पड़ गई है, सेंधा नमक की सप्लाई बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : स्थिति इस प्रकार है। छेद करने के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं । क्योंकि सेंधा नमक के विशेष गुणों के कारण छेद करने के लिये प्रयोग की गई प्रमाणिक मशीनें पर्याप्त नहीं पाई गई । अतएव आगे कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार स्विस फर्म तथा ऐसोसियेटिड ड्रिलिंग एण्ड सप्लाई कम्पनी से बात चीत कर रही है । अब बरसात का मौसम आ गया है । जब बरसात समाप्त हो जायेगी तो इस मामले पर पुनः विचार किया जायेगा ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व भारत में कुछ लोग सेंधा नमक खाने के आदी हो गये थे । पिछले तीन या चार वर्षों में उन की आदत बदल गई है तथा उन्हों ने हमारा आधुनिक ढंग से साफ किया हुआ नमक खाना आरम्भ कर दिया है तथा मेरे विचार में अब फिर से सेंधा नमक खाने की आदत को शुरू करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ आयुर्वेदिक औषधियों तथा अन्य देशी दवाइयों के तैयार करने में सेंधा नमक की आवश्यकता पड़ती है तथा पर्याप्त मात्रा में सेंधा नमक उपलब्ध न होने के कारण कलकत्ते तथा अन्य स्थानों में उस के दाम १८ से २५ गुना तक बढ़ गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ।

श्री एन० एम० लिंगम : भारत में जो बिना साफ किया हुआ सेंधा नमक मिलता है उस में सोडियम क्लोराइड कितना प्रतिशत होता है ?

श्री आर० जी० दुबे : मंडी के सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड ८० प्रतिशत होता है जब कि केवड़ा क्षेत्र में यह ९० से ९८ प्रतिशत तक होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या हिमाचल प्रदेश में नमक नियंत्रण आदेश हटा लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में वस्तु नियंत्रण कमेटी ने क्या सिफारिश की है ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में वहां पर कोई नमक नियंत्रण आदेश नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या सरकार के लिये....

उपाध्यक्ष महोदय : सदन में राय नहीं पूछी जा सकती ।

श्री अच्युतन : जब हमारे पास समुद्र का नमक ही काफी मात्रा में उपलब्ध है तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि सेंधा नमक तैयार करने के लिये इतना

मंहगा प्रयोग करने की क्या आवश्यक है ?

श्री आर० जी० दुबे : उत्तर में सेंधा नमक के लिये कुछ लोगों में जो तीव्र भावना है, आखिरकार, उस पर भी तो सरकार को विचार करना पड़ता है । फिर भी, सरकार देख रही है कि लोग अन्य प्रकार का नमक खाने के आदी होते जा रहे हैं ।

श्री दामोदर मेनन : इस के क्या कारण हैं कि अब लोगों में सेंधा नमक के प्रति फिर से रुचि न बढ़ाई जाये ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने पहले ही उत्तर दे दिया है । समुद्र का नमक सस्ता है जब कि सेंधा नमक प्राप्त करना कठिन है ।

श्री दामोदर मेनन : माननीय मंत्री ने बतलाया कि देश में सेंधा नमक खानों में काफी मात्रा में मौजूद है । परन्तु उन्हों ने यह नहीं बतलाया है कि यदि हम सेंधा नमक तैयार करने का प्रयत्न करें तो वह सस्ता न होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं ।

श्री दामोदर मेनन : उन्हों ने केवल इतना कहा कि अब सेंधा नमक के लिये फिर से रुचि पैदा करने की आवश्यकता नहीं है : इस के लिये कुछ न कुछ तो कारण होना ही चाहिये ।

श्री के० सी० रेड्डी : सीधी सी बात तो यह है कि इस समय हमारे देश में सेंधा नमक की आवश्यक मात्रा उपलब्ध नहीं है । हम पाकिस्तान से बहुत ही ऊंचे दामों में सेंधा नमक का आयात कर रहे थे । विनिमय तथा मुद्रा सम्बन्धी परिस्थिति के कारण हमें उसे बन्द करना पड़ा । इसी लिये हम इस समय सेंधा नमक के लिये फिर से रुचि पैदा नहीं करना चाहते । जो लोग पहले सेंधा नमक खाया करते थे अब उन्हों ने सांभर नमक या उसी प्रकार का नमक खाना आरम्भ कर दिया है । परन्तु इस का यह अर्थ तो न हुआ कि जहां कहीं भी हमें सेंधा नमक उपलब्ध हो सकता है हम उसे खानों में से न निकालें । सरकार देश में सेंधा नमक तैयार करने का प्रयत्न कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

श्री रघवय्या : श्रीमान्, आप ने मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने दी थी । परन्तु समस्त प्रश्न काफी ब्यौरेवार पूछे जा चुके हैं ।

श्री रघवय्या : एक प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हो सकता है, किन्तु मैं इस प्रश्न पर और समय नहीं दे रहा हूं ।

लिपस्टिक (आयात)

*९३९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लिपस्टिक आयात करने से सरकार को कितना आगम शुल्क प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) किन किन देशों से इस का आयात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) लिपस्टिक के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) अधिकतर इंग्लैण्ड और फ्रान्स से ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : विलास की इस वस्तु की खपत घट रही है या बढ़ रही है ?

श्री करमरकर : यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना आयात करते हैं—कम या अधिक ।

श्री दाभी : लिपस्टिक आयात करने की आवश्यकता क्या है तथा क्या सरकार को इस बात का भय है कि इस का आयात बन्द कर देने पर महिलायें विरोध करेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई वस्तु क्यों आयात की जाती है ? यह विलास की वस्तु है। माननीय सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो उन्हें उत्तर में तथ्य ही बतलाये जायेंगे । राय पूछने की कोई तुक ही नहीं है ।

श्री दाभी : मैं ने आवश्यकता जाननी चाही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आवश्यकता कितनी है इस पर तो अलग अलग राय हो सकती है । हम न केवल आवश्यक वस्तुओं को ले कर काम चला रहे हैं बल्कि विलास की वस्तुओं को भी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या भारत में कोई फर्म लिपस्टिक बनाती है ?

श्री करमरकर : नहीं, श्रीमान् । कम से कम हमें तो मालूम नहीं है ।

श्री जांगड़े : क्या यह सही नहीं है कि पंजाब और दिल्ली प्रान्तों में लिपस्टिक का ज्यादा उपयोग होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सारे हिन्दुस्तान में होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या हमारी सरकार ने इस के स्थान पर और कोई वस्तु प्रयोग में लाने के लिये ढूंढ निकाली है तथा क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री करमरकर : शायद पान से बखूबी काम चल सकता है ।

पंचवर्षीय योजना

*९४०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के विभागों तथा जिला अधिकारियों के मध्य कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में जिस के द्वारा पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिलों के कार्यक्रमों का समन्वय तथा निरीक्षण कराया जा सके, कोई प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ?

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि वह संस्था शासकीय होगी या अशासकीय ?

श्री हाथी : इस के सम्बन्ध में सिफारिशें योजना आयोग के प्रतिवेदन के परिच्छद ७ में दी गई हैं । विचार किया गया है कि एक अधिकारी हो, जो योजना की प्रगति का निरीक्षण करता रहे, तथा ग्रामों व जिलों में उस के अतिरिक्त अशासकीय संस्थायें भी हों ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि यह अधिकारी, योजना के कार्यान्वित करने में, ग्रामवासियों से भी परामर्श लेता रहेगा ?

श्री हाथी : जैसा कि मैं बता चुका हूं, विचार यह है कि समन्वय विकास तथा कार्यान्विति का एक क्रम ग्राम पंचायतों से आरम्भ हो । ग्राम पंचायतों में योजना के निर्माण तथा कार्यान्विति दोनों में ग्रामवासियों की ही पूरी आवाज होगी । तब यह योजना जिले में आयेगी । इस प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल सचिवालय तथा जिलों के मध्य समन्वय से है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जिलों से ले कर देहली तक पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति का संगठन सम्बन्धी ढांचा अन्तिम रूप से तैयार किया जा चुका है तथा यदि ऐसा हुआ है तो क्या उस ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

श्री हाथी : यही तो वास्तव में मैं ने कहा है । राज्यों से सूचना मंगाई गई है । जब वह प्राप्त हो जायेगी तो सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि जिला विकास समितियां जो प्रत्यक जिले में बनाई गई ह उन के सभापति जिलाधीश होते हैं तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों में कोई सहयोग नहीं है ?

श्री हाथी : विभिन्न राज्यों में विभिन्न उदाहरण हैं । मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य किस विशिष्ट राज्य की ओर संकेत कर रहे हैं ।

श्रीमती जयश्री : क्या मैं जान सकती हूं कि योजना की प्रगति अनुसूची से बहुत पीछे है ?

श्री हाथी : प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन में, विभिन्न योजनाओं में की जाने वाली प्रगति का ब्यौरा दिया हुआ है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन प्राइवेट व्यक्तियों को जो इस कार्य में भाग लेते हैं मानदेय या वेतन के रूप में कुछ दिया जाता है ?

श्री हाथी : मेरा विचार है कि नहीं ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं जान सकता हूं कि आज के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक समाचार की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया गया है कि योजना आयोग के लक्ष्य ऐसे हैं कि राज्य उन तक पहुंच नहीं सकते हैं ?

श्री हाथी : मैं ने आज का "टाइम्स" अभी तक पढ़ा नहीं है ।

स्लेट का निर्यात

*९४१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से जो स्लेट निर्यात की जा रही है वह छत में लगाने वाली है या स्कूलों में प्रयोग की जाने वाली है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो १९४७—५२ में निर्यात की जाने वाली स्लेट की मात्रा तथा मूल्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) तथा (ख) . राजकीय सांख्यकी में छत में लगाई जाने वाली तथा स्कूल में प्रयोग की जाने वाली स्लेट का निर्यात अलग अलग अंकित नहीं किया जाता है तथा यह सूचना इस कारण, प्राप्य नहीं है ?

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में स्लेट भंडारों की बहुत बड़ी मात्रा है तथा वहां से कुछ लिखने वाली स्लेटें निर्यात की जा रही हैं ?

श्री करमरकर : संभवतः । परन्तु मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार का विचार है कि अन्य स्थानों में खोज की जाये, जहां स्लेट के भंडार हों ?

श्री करमरकर : मुझे इस के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात याद नहीं है ।

श्री रघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि किन देशों को सरकार—केन्द्रीय या राज्यों की—स्लेट का निर्यात कर रही है ?

श्री करमरकर : जैसा मैं बता चुका हूं मारी राजकीय सांख्यकी में यह पद पृथक

रूप से अंकित नहीं किया जाता है और यह सूचना, इस कारण प्राप्य नहीं है ।

श्री रघवय्या : इस के पृथक रूप से अंकित किये जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो उन देशों के नाम जानना चाहता हूं जिन को स्लेट का निर्यात किया जाता है तथा यह जानना चाहता हूं कि निर्यात की जाने वाली मात्रा कितनी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन देशों के नाम अनेक हैं । कुल मात्रा कितनी है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, यह पद पृथक रूप से नहीं अंकित किया जाता है । अस्तु इस बात का पता लगाना संभव नहीं है । हो सकता है कि स्लेट लेखन सामग्री इत्यादि में सम्मिलित हो । अस्तु यह विशिष्ट पद पृथक नहीं किया जा सकता है ।

श्री रघवय्या : आन्ध्र तथा देश के अन्य भागों में सरकार स्लेट के उद्योग को प्रोत्साहन देने के कौन से उपाय कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध निर्यात से है न कि प्रोत्साहन से ।

साबुन उद्योग

*९४२. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के साबुन उद्योग को सरकार क्या सहायता दे रही है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उद्योग की संगठित इकाइयों द्वारा भारत का साबुन का उत्पादन १९५१ में ८३,५०० टन था तथा १९५२ में ८५,००० टन हो गया ?

(ग) क्या सरकार साबुन के उत्पादन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के आंकड़े एकत्रित करती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) संगठित उत्पादकों को सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है । नीम के तेल से साबुन के उत्पादन को सहायता देने के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल ने एक योजना तैयार की है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान्, केवल संगठित इकाइयों के सम्बन्ध में ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि अच्छे प्रकार के साबुन के उत्पादन के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र है परन्तु तेल के दाम अधिक होने के कारण अच्छे प्रकार का साबुन नहीं बनाया जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि वास्तविक रूप में स्थिति ऐसी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य समझते हैं । इस में सन्देह नहीं कि संगठित इकाइयों में उत्पादन की क्षमता वास्तविक उत्पादन से बहुत अधिक है । परन्तु यह भी सत्य है तेल के मूल्य का अधिक होना एक ऐसा तत्व है जिस के कारण उत्पादन कम होता है परन्तु मुझे यह विश्वास नहीं है कि साबुन का उत्पादन अनुचित रूप से कम हो गया है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि देश में उपभोग किये जाने वाले साबुन की कौन सी प्रतिशतता आयात की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : साबुन की कोई भी मात्रा आयात नहीं की जाती है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस देश में उत्पादन होने वाले साबुन में से कुटीर मापमान आधार पर उत्पादन होने वाले साबुन की प्रतिशतता सम्बन्धी सूचना दे सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्यवश साबुन के कुटीर उद्योगीय उत्पादन सम्बन्धी कोई भी आंकड़े हमारे पास नहीं हैं । मैं यह और

बता दूं कि इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित करना बहुत कठिन है क्यों कि जहां तक साबुन बनाने का सम्बन्ध है कुटीर उद्योग यदाकदा दिखाई देता है और फिर उस का लोप हो जाता है ।

श्री पुन्नूस : यह बताया गया है कि साबुन का उत्पादन ८३,५०० टन से बढ़ कर ८५,००० टन हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस अतिरिक्त मात्रा में से कितना उत्पादन भारतीय कम्पनियों द्वारा किया गया है और कितना विदेशी कम्पनियों द्वारा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सूचना चाहिये ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस बात पर ध्यान देते हुए कि, भारत में साबुन की बहुत बड़ी मात्रा का उत्पादन होता है, क्या साबुन के गुण प्रकार को नियंत्रित करने का कोई विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वर्तमान समय में साबुन के गुण प्रकार को नियंत्रित करने की कोई विधि नहीं है और न कोई उपाय ही है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : भारतीय साबुन उद्योग के प्रतिनिधियों ने साबुन उद्योग सम्बन्धी विदेशी हितों द्वारा अनुचित प्रति योगिता किये जाने के सम्बन्ध में जो सार्वजनिक वक्तव्य दिय हैं उन पर ध्यान देते हुए सरकार इन विदेशी हितों को साबुन के भारतीय उत्पादन पर प्रभुता जमाने से रोकने के लिये, कौन से उपाय करने का विचार करती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को अभी तक विश्वास नहीं है कि किसी प्रकार की अनुचित प्रतियोगिता हो रही है ।

श्री सारंगधर दास : यदि विदेशों से साबुन का आयात नहीं होता है तो हम बाजार में पियर्स सोप, पामालिव सोप इत्यादि कहां से पाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे माननीय मित्र की ठीक जानकारी नहीं है। यह साबुन इसी देश में बनाये जाते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : उस साबुन का गुण प्रकार क्या है जो केवल लीवर ब्रादर्स द्वारा बनाया जाता है तथा उस साबुन का गुण प्रकार क्या है जो अन्य कम्पनियों के द्वारा बनाया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सूचना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि लंका से आयात किये जाने वाले गरी के तेल पर सीमा शुल्क के कम कर दिये जाने का साबुन की लागत पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि गरी के तेल के सीमा शुल्क में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। नारियल के सम्बन्ध में कुछ कमी की गई है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को पता है कि बाजार में दो प्रकार के पियर्स सोप हैं एक यहां का बना और एक इंगलैंड का ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पियर्स सोप का प्रयोग नहीं करता हूं, इसलिये मुझे पता नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : क्या यह जानने के लिये कि कौन से साबुनों का आयात किया जाता है यह आवश्यक है कि मंत्री साबुन का उपयोग करता हो ?

कुमारी एनी मस्करीन : औचित्य प्रश्न, श्रीमान्, क्या जनता को यह बताने के लिये कि

मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम है उस को साबुन का प्रयोग करने की आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रयोग करना सूचना का एक मुख्य श्रोत है। अगला प्रश्न।

उर्वरक मिशन

***९४३. डा० राम सुभग सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्री बी० सी० मुकर्जी के नेतृत्व में एक उर्वरक मिशन ने संसार भर में बहुत से महत्वपूर्ण उर्वरक महायंत्रों को देखने के लिये हाल में दौरा किया है ?

(ख) यदि ऐसी बात है, तो क्या उस मिशन ने सरकार के पास कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(ग) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार मिशन की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। और इस समय मिशन की सिफारिशों को बतलाना अकालज होगा।

डा० राम सुभगसिंह : क्या उस मिशन ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि उर्वरकों की प्राप्ति में विविधता और सन्तुलन लान के लिये यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट बनाने का एक महायंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ?

श्री के० सी० रेड्डी : सिन्दरी में यूरिया और अथवा अमोनियम नाइट्रेट बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विशेषकर सिन्दरी में कोक पकाने के महायंत्र के लग जाने के पश्चात् जो गैस बाहर छोड़ी जायेगी, उसी को इस विशिष्ट प्रकार के उर्वरक बनाने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी लिये मिशन को विभिन्न रीतियों का अध्ययन करने और इस दिशा में सिफारिशें करन के लिये बाहर भेजा गया था। यह कार्य टी० सी० ए० की सहायता से शुरू किया गया था।

डा० राम सुभगसिंह : क्या यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि उर्वरक के वितरण की वर्तमान पद्धति को बदलना चाहिये और इस को आसानी से प्राप्य रखने के लिये कम्पनी को स्वयं इसे बेचना चाहिये ?

श्री के० सी० रेड्डी : वह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार की दृष्टि में जनता पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ा है कि इस शिष्ट मंडल के नेता, श्री बी० सी० मुकर्जी जो के सिन्दरी उर्वरक कम्पनी का निदेशक रहने के अनुभव को, उन को दूसरे सरकारी विभाग में बदलने से व्यर्थ गंवाया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस बात को नहीं मान सकता। इस का यह निश्चय ही आशय नहीं है कि उन का सारा अनुभव व्यर्थ जा रहा है। जब कभी हमें किसी विशेष मामले में उन से परामर्श लेने की आवश्यकता अनुभव होगी, तो हम निश्चय ही उन का परामर्श लेंगे और वे अपने अनभव का हमें लाभ देंगे। इस बात से कि वे दूसरे विभाग में चले गये हैं, यह आशय नहीं लगाना चाहिये कि उन का अनुभव व्यर्थ जा रहा है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह मिशन किन किन देशों में गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : जापान, कैनेडा, अमरीका, इंगलिस्तान, फ्रांस, हालैंड, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड और इटली ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा सिन्दरी उर्वरक महायंत्र की विदेशी महायंत्रों की तुलना में क्या अवस्था है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मेरा कहना है कि बहुत अच्छा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मिशन के दौरे पर कितना खर्च हुआ ?

श्री के० सी० रेड्डी : खर्च का कुछ भाग सिन्दरी उर्वरक कम्पनी ने दिया और कुछ भाग टी० सी० ए० ने। सिन्दरी उर्वरक कम्पनी का मिशन के प्राधिकारियों के वेतन की ओर १९·२६३ रुपये ३ आने खर्चा हुआ। टी० सी० ए० ने यात्रा और निर्वाह भत्ते तथा अकालिक खर्चे के लिये १००९४·४५ डालर खर्च किये।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या इस मिशन में सब राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और क्या सब सदस्य सरकारी प्राधिकारी थे अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति भी थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रकार के मिशन के लिये सब राज्यों से प्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं थी । मिशन के सदस्य ये थे: श्री बी० सी० मुकर्जी, सिन्दरी उर्वरक कम्पनी के प्रबन्धकर्त्ता निदेशक, श्री डा० नागराज राव, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के औद्योगिक परामर्शदाता, डा० वान ईवर, टी० सी० ए० के नामनिर्देशित और सचिव के रूप में श्री के० सी० शर्मा सिन्दरी के महायंत्र निरीक्षक ।

श्री ए० एम० टामस : क्या इस मिशन ने विदेशों की उत्पादन की लागत का पता किया है और यदि हां, तो विदेशों में उत्पादन की लागत की तुलना में इस देश में उत्पादन की लागत कैसी है ?

श्री के० सी० रेड्डी : निसन्देह, मिशन ने विदेशों में यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन की पड़ताल की, परन्तु उस की तुलना हमारे देश की उत्पादन की लागत से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम ने अभी तक अपने देश में यूरिया का उत्पादन शुरू नहीं किया है । उन्हों ने कई सिफारिशें की हैं और कुछ प्राक्कलन भी रखे हैं, परन्तु जैसा कि मैं ने कहा अब उन का विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस मिशन द्वारा जिस विस्तार योजना की सिफारिश की गई है और जिस पर सरकार विचार कर रही है, उस का खर्च टी० सी० ए० देगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं अब इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता । टी० सी० ए० ने इस योजना में बड़ी दिलचस्पी ली है, ऐसा संभव है कि टी० सी० ए० महायंत्र स्थापित करने के लिये पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से हमारी सहायता करे । परन्तु अब इस के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहने का अभी समय नहीं ।

कुमारी एनो मस्करीन : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या विदेशी विशेषज्ञों को बड़ी रकम दी जाने के कारण उत्पादन-मूल्य बढ़ गया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं सदस्य का प्रश्न समझ नहीं सका। संभवतः वह सिन्दरी अथवा अलवाई में बनाये जाने वाले अमोनियम सलफेट की ओर निर्देश कर रही हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : सिन्दरी में ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यहां दो विशेष वस्तुओं से सम्बन्ध रखते हैं, यूरिया और दूसरी ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मिशन ने भारत में खाद बनाने की शक्यताओं पर विचार भी किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उर्वरक के उप-उत्पादन के रूप में क्या ?

श्री एन० एम० लिंगम: उर्वरकों के अनुपूरक के रूप में ।

उपाध्यक्ष महोदय: हम एक विषय को छोड़ दूसरे विषय की बात करने लगे हैं ।

बेरोजगारी

*९४४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश में बेरोजगारी का एक नमूने का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया है; तथा

(ख) क्या यह सर्वेक्षण सभी क्षेत्रों को लेगा, अथवा यह खंड विशेष में ही सीमित रहेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने बेरोजगारी समस्या की निम्न जांच शुरू की है :

(१) १८ शहरों में बेरोजगारी का एक सर्वेक्षण;

(२) दिल्ली में सेवायोजनालयों की चालू पंजियों पर आधारित बेरोजगारी की एक नमूने की पड़ताल;

(३) ४००० गृहस्थों के नमूने के आधार पर कलकत्ता क्षेत्र में बेरोजगारी की पूरी पूरी जांच ।

त्रावणकोर-कोचीन में बेरोजगारी समस्या का अध्ययन करने का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जान सकती हूं कि इस नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर देश में बेरोजगारी का प्रतिशतक कितना है ?

श्री हाथी: सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जान सकती हूं कि क्या नदी घाटी परियोजनाओं में नौकरी दिलाने की क्षमता की भी कुछ पड़ताल होगी ?

श्री हाथी वे आंकड़े भी अलग से इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन: मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को विदित है कि कांग्रेस के प्रशासन संभालने के बाद से ही चिकित्सा-विभाग में प्रवीण महिला कर्मचारी बहुत अधिक मात्रा में विस्थापित हो गये हैं ?

श्री हाथी: यह व्यक्तिगत विचार की बात है ।

कुमारी एनी मस्करीन: नहीं, श्रीमान् । मैं इसे सिद्ध कर सकती हूं ।

पंडित सी० एन० मालवीय: मैं जान सकता हूं कि इस नये प्रयास पर कितना व्यय होगा और इस में कितन कर्मचारी लगाये जायेंगे ?

श्री हाथी: मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि व्यय कितना होगा, पर यह भारतीय-आंकड़ा-संस्था द्वारा किया जा रहा है । मैं नहीं समझता कि व्यय अधिक होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस तथ्य की दृष्टि में कि इस नमूने के सर्वेक्षण को भारी आलोचना के बाद शुरू किया गया है और परिणामों में भारी अन्तर होते रहे हैं, मैं जान सकती हूं कि बेरोजगारी की मात्रा का पता लगाने के लिये क्या सरकार श्रम-संघों और मालिक-संघों की सहायता से विभिन्न उद्योगों की भी जांच करना चाहती है ?

श्री हाथी: निश्चय ही, श्रीमान् । उनका सहयोग आवश्यक होगा, किन्तु इस समय हम ५०,००० से अधिक जन संख्या वाले १८ नगरों में एक नमूने का सर्वेक्षण ही कर रहे हैं

लाला अचिन्त राम : क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बेरोजगारी की जांच के लिये जो सेक्टर (खंड) बने थे, उनके साथ-साथ जो विस्थापित बस्तियां हैं, उनके भी सेक्टर बनाने का ख्याल रखा जाएगा ?

श्री हाथी : निश्चय ही यह उन १८ नगरों में किया जायेगा ।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या नमूने का सर्वेक्षण किसी स्थान-विशेष में देहाती क्षेत्र को भी लेता है ?

श्री हाथी : नहीं, श्रीमान्, यह नमूने का सर्वेक्षण केवल नगरी क्षेत्रों को ही लेता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उन महिलाओं का भी नमूने का सर्वेक्षण किया जायेगा, जो बेरोजगार हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

श्री रघुरामय्या : सरकार ने बताया कि बेरोजगारी का नमूने का सर्वेक्षण किया गया था । उन नमूनों का स्वरूप और संख्या क्या है, जिनका इस बेरोजगारी के संबन्ध में सर्वेक्षण किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि '१८ नगर' ।

श्री विट्ठल राव : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय ने योजना आयोग के पास स्वतः न होने वाली बेरोजगारी को कुछ सहायता देनें का प्रस्ताव भेजा है ; और यदि सच है तो क्या इसका परीक्षण सर्वेक्षण के पूरे होने तक के लिये स्थगित कर दिया जायेगा ?

श्री हाथी : यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है । वह इस प्रश्न सें नहीं उठता, पर उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री झुनझुनवाला : क्या ऐसा सर्वेक्षण कभी पहले किया गया था ? यदि नहीं, तो प्रस्तुत सर्वेक्षण करने का क्या कारण है ?

श्री हाथी : ऐसा सविवरण या प्राविधिक सवक्षण पहले नहीं हुआ था । वस्तुतः १९३५ में कुछ यत्न किये गये थे । यू० पी० सरकार तथा बम्बई सरकार ने कुछ सर्वेक्षण किया था, पर ऐसा सविवरण, प्राविधिक सर्वेक्षण नहीं हुआ था ।

श्री झुनझुनवाला : उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रान्तीय सर्वेक्षण ?

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि नमूने के सर्वेक्षण का परिणाम कब निकलने की आशा है ?

श्री हाथी : १८ नगरों का सर्वेक्षण दो एक महीनों में पूरा होजायगा । कलकत्ते के आस पास के सर्वेक्षण फरवरी, १९५४ तक पूरा हो जायेगा , और दिल्ली में लगभग २-३ महीनों में ।

प्रो० एस० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या योजना आयोग के पास कुछ व्यवस्था या कोई तरीका है, जिससे योजना के प्रवर्तन के कराण बढ़ने वाले रोजगारों के अवसरों का विवरण जाना जा सके ?

श्री हाथी : योजना आयोग में विभिन्न राज्य-सरकारों को लिखा है और वे आंकड़े एकत्र कर र हे हैं कि विभिन्न विकास परियोजनाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल जाएगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं इन १८ नगरों के नाम जान सकता हूं ?

श्री हाथी : १८ नगर यों ही चुने गये हैं । उन के नाम हैं : अमृतसर, रामपुर, कानपुर, बनारस, गया, काकीनाडा, तिरुचिनापल्ली, हैदराबाद, मंगलौर, अजमेर, उज्जैन, संभल,

बूंदी, कोटागुडम, नान्देड़, गाडग, पालघाट, और नरदियाद।

उड़ीसा में लेख्यात्यक फिल्में

*९४५. **श्री संगण्णा:** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा को महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक घटनाओं को "भारतीय समाचार समीक्षा" और "भारतीय लेख्यात्मक फिल्म" मालाओं में, जो भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा अब तक निकाली गई हैं, कोई स्थान नहीं मिलता ?

(ख) क्या यह सच है कि हीराकुड नदी घाटी परियोजना के विषय में फिल्म डिवीजन द्वारा यह अंकित किया गया है कि वह मध्य प्रदेश में चल रही है ?

(ग) यदि यह सच है, तो सरकार द्वारा इस त्रुटि को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्। उड़ीसा की सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक घटनाओं को फिल्म डिवीजन द्वारा निकाली जाने वाली भारतीय समाचार समीक्षा और लेख्यात्मक फिल्मों में उनके महत्व तथा स्थान की उपलब्धता के अनुसार स्थान दिया जाता है।

(ख) तथा (ग). लेख्यात्मक फिल्म "नदियों का नियंत्रण" (रिवर्स इन हारनेस) की टिप्पणी में भूल से होराकुड बांध परियोजना का कार्यस्थल मध्य-प्रदेश बतलाया गया था, जो स्पष्टतः मुद्रक की भूल थी। आवश्यक शुद्धि करने के लिये कार्यवाही की गई है।

श्री संगण्णा : मैं जान सकता हूं कि क्या अपनी नदी घाटी परियोजना सम्बन्धी फिल्म में महानदी का कोई अभिलेख नहीं है ?

श्री करमरकर: नदियों का अभिलेख नहीं किया जाता, घटना विशेष का ही अभिलेख किया जाता है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हीराकुड महानदी परियोजना का ही तो अंग है।

श्री करमरकर: मुझे खेद है। मैंने समझा कि मेरे मित्र हीराकुड परियोजना के विषय में पूछ रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि हीराकुड परियोजना पर प्रदर्शनार्थ पुनः फिल्म बनाई जा रही है।

श्री बी० सी० दास: इन लेख्यात्मक फिल्मों का संपादन कौन करते हैं; क्या उनको देश के सभी भागों का ज्ञान है ?

श्री करमरकर: सरकारी संपादक ; हां, श्रीमान्।

श्री बी० सी० दास: मैं जान सकता हूं कि इन लेख्यात्मक फिल्मों को तैयार करने से पहले राज्य सरकारों से सुझाव मांगे जाते हैं ?

श्री करमरकर: हां, श्रीमान्। यह कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से ही होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

श्री रघवय्या उठे--

उपाध्यक्ष महोदय: : माननीय सदस्य न कुछ देर कर दी।

श्री रघवय्या: हां, श्रीमान्।

क्या सरकार भाखड़ा-नंगल और दामोदर घाटी परियोजनाओं से संबंधित लेख्यात्मक फिल्में तैयार करेगी ?

श्री करमरकर : मुझे उस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है, पर मुझे वैसा अनुमान करना चाहिये।

केन्द्रीय रेशम मण्डल

*९४७. **श्री शिवनंजप्पा:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष केन्द्रीय रेशम मण्डल की कितनी बैठकें हुई हैं ?

(ख) किया गया कार्य किस प्रकार का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मण्डल की पिछली बैठक सितम्बर १९५२ में और स्थायी समिति की बैठकें फरवरी तथा जुलाई, १९५३ में हुई थीं।

(ख) कीटपोष उद्योग के विकास की अनेक योजनाओं की जांच की गई तथा ऐसी योजनाओं के लिये अनुदान स्वीकृत किये गए।

श्री शिवनंजप्पा: क्या मैं दिसम्बर में मण्डल के पुनर्स्थापित हो जाने से अब तक इस बैठक के न बुलाये जाने के विशिष्ट कारण जान सकता हूं ?

श्री करमरकर: मण्डल की बैठक सामान्यत: वर्ष में एक बार होती है, तथा स्थायी समिति की बैठक जब भी आवश्यक समझी जाती है, अधिक बार भी हो जाती है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मण्डल की अगली बैठक कब होगी ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि नवीन मण्डल की स्थापना के पश्चात ही।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: हाल ही में बम्बई में स्थायी समिति की बैठक के विवाद विषय क्या थे ?

श्री करमरकर: मैं कुछ योजनाएं बता सकता हूं। यह एक लम्बी सूची है। स्थायी समिति द्वारा विचारित विषय जिसकी बैठक इस वर्ष फरवरी तथा जुलाई में हुई थी, केन्द्रीय रेशम मण्डल द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले विषय निम्न हैं :

(१) भारत में कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्यवाहियों पर विचार तथा उनकी जांच ;

(२) रेशमी वस्त्र उद्योग को सहायता;

(३) रेशम को बेचने के वर्तमान तरीके में उन्नति करने के प्रश्न पर विचार ;

(४) नष्ट रेशम का वर्गीकरण ; तथा

(५) शुद्ध रेशम के रेशों के उत्पादन के संबंध में आंकड़ेवार सूचना का एकत्रीकरण।

क्या मैं पूरा पढ़ दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या इस सम्बन्ध में निर्णय हो जाने पर विज्ञप्ति नहीं जारी की गई थी ?

श्री करमरकर: सामान्यत: एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

श्री रघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि रेशम मण्डल की नियुक्ति के समय से अब तक स्थायी समिति की बैठक कितनी बार हुई है और इन बैठकों में किन आवश्यक विषयों पर विचार किया गया था ?

श्री करमरकर: इस के विषय में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा। जहां तक मुझे स्मरण है, स्थायी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होती है। चर्चा के विषयों के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं जान सकती हूं कि इस मण्डल की स्थापना हो जाने के बाद से रेशम के व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर: व्यापार के प्रश्न पर, जैसा मैंने बताया, विचार किया जा रहा है।

शीशे की चादरें बनाने के कारखाने

*९४८. **श्री शिवनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में शीशे की चादर बनाने के कोई कारखाने हैं ;

(ख) उनके स्थापन-स्थान ; तथा

(ग) क्या ट्रावनकोर तथा कोचीन की सरकार के साथ ही किसी निजी फर्म द्वारा भी उस राज्य में एक कारखाना चलाने के लिये कोई प्रस्ताव रखा गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) बिहार में दो और उत्तर प्रदेश के बहजोई नामक स्थान में एक कारखाना स्थित है । एक अन्य कारखाना पश्चिमी बंगाल के आसनसोल नामक स्थान में स्थापित किया जा रहा है जिस के लिये आशा की जाती है कि वह मार्च, १९५४ से उत्पादन आरम्भ कर देगा ।

(ख) ट्रावनकोर-कोचीन द्वारा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया है, किन्तु एक निजी पार्टी द्वारा उस राज्य में एक कारखाना खोलने की एक योजना अवश्य प्राप्त हुई है ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या मैं जान सकता हूं श्रीमान् कि सरकार इस शीशे की चादर निर्माताओं को किस प्रकार की सहायता दे रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में इस प्रकार के कार्य में सरकार केवल कच्चे मालों को उपलब्ध कराने तथा जो भी प्रावैधिक सम्मति उसे मिलती है उन्हें देने में सहायता कर रही है ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्लास शीट्स जो हिन्दुस्तान में तैयार होती हैं, उससे हिन्दुस्तान की जरूरत पूरी हो जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निश्चय ही, श्रीमान् भारत की उत्पादन मात्रा उपभोग के लिये पर्याप्त नहीं होती, अतः कुछ मात्रा में इसका आयात किये जाने की अनुमति है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि ये फर्में पूर्णतया भारतीय हैं अथवा उनमें विदेशियों का साझा भी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि जैसा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, १९५२ के उत्पादन के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि शीशे की चादर के उत्पादन को चार माह तक बिल्कुल रोक देने के कारण क्या थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भवतः उसका कारण सोदेपुर ग्लास वर्क्स का बन्द हो जाना था । अन्य कारखानों के विषय में कुछ नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्य पूछते हैं, तो मैं उत्तर दूंगा ही ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने बताया कि ट्रावनकोर-कोचीन की एक निजी पार्टी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । क्या मैं उस व्यक्ति का नाम जान सकता हूं ? क्या वह अलेवाही के ओगेल ग्लास फैक्ट्री के स्वामी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह पुरानी बात है । ओगेल ग्लास वर्कस ने प्रस्ताव रखा था, किन्तु बाद को उन्होंने अपना प्रस्ताव सम्भवतः वित्त की कमी के कारण वापस ले लिया । यह उस पार्टी से सर्वथा भिन्न है, जो कोचीन में कार्य करना चाहती थी । उनसे अपने आवेदन को लाइसेंस समिति के पास भेजने के लिये कहा गया था । अब तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

डा० राम सुभग सिंह: माननीय मंत्री ने बिहार में शीशे की चादर के कारखाने का निर्देश किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारखाने की उत्पत्ति कब हुई थी तथा इसका संचालन सरकार कर रही है अथवा कोई निजी व्यक्ति ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं समझता हूं कि इस कारखाने का इतिहास माननीय सदस्य को भली भांति विदित है। वर्तमान में मेरा विचार है कि यह कारखाना औद्योगिक वित्त निगम के नियन्त्रण में है।

श्री पुत्रूस: क्या यह है कि ट्रावनकोर कोचीन के कुछ तटीय भागों में एक प्रकार की बालू पाई जाती है जो शीशे की चादर बनाने में अत्यन्त सहायक होती है, और यदि एसा है, तो क्या सरकार ने उस उद्योग को वहां प्रोत्साहन देने की सम्भावनाओं पर अनुसंधान किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: पूर्व सूचना चाहिये।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि वह कारखाना सन्तोषजनक स्थिति में कार्य कर रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि उतना उत्पादन आजकल हो रहा है या नहीं जितने उत्पादन की आशा कारखाने के औद्योगिक वित्त निगम के नियंत्रण के आने से पूर्व की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: माननीय सदस्य फिर मुझ से वही प्रश्न कर रहे हैं जिस के विषय में मुझे निश्चय है कि वह जानते हैं। इस तथ्य से ही कि कारखाने को औद्योगिक वित्त निगम को अपने अधीन लेना पड़ा, इस बात का प्रमाण है कि कारखाना ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था।

सहकारी स्वास्थ्य केन्द्र योजना

*९४९. **श्री मुनिस्वामी:** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा १९४८ में चलाई गई "सहकारी स्वास्थ्य केन्द्र योजना" अभी चल रही है ?

(ख) यदि हां, तो इसने कहां तक उन्नति की है ?

(ग) कितने केन्द्र खोले गये थे और इन केन्द्रों को अनुदान रूप में कुल कितनी राशि दी गई थी ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि कुछ केन्द्र बन्द कर दिये गए थे ?

(ङ) क्या सरकार उन केन्द्रों को पुनः अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) नहीं। सरकार द्वारा इस योजना के अनुसार चलाये गये तीन केन्द्र बन्द कर दिये गए थे तथा अन्य केन्द्रों का नियन्त्रण दूसरी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पांच। उस काल का कुल व्यय जबकि केन्द्र चल रहे थे, ३४,९९० रु० था।

(घ) हां। तीन केन्द्र बन्द कर दिये गये थे और दो निजी संस्थाओं को हस्तातरित कर दिये गये थे।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि किसी भी केन्द्र का संचालन अब सरकार द्वारा नहीं किया जाता।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं वे चिकित्सा प्रणालियां जान सकता हूं जिनको ये अनुदान दिये गए थे ?

श्री जे० के० भोंसले: एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक।

श्री मुनिस्वामी: इन में से तीन केन्द्र तो बन्द कर दिये गए हैं, तो कौन सी प्रणाली अब भी चल रही है ?

श्री जे० के० भोंसले: एलोपैथिक प्रणाली बन्द कर दी गई है, जबकि आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक केन्द्र अभी चल रहे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं इन को बन्द कर देने के कारण जान सकती हूं ?

श्री जे० के० भोंसले : मुख्यतः इस कारण कि लोग सरकारी तथा म्यूनिसिपैलिटियों के औषधालयों से निःशुल्क दवाइयां लेने के आदी हो गए हैं।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं इन केन्द्रों के खोले जाने के स्थान जान सकता हूं ?

श्री जे० के० भोंसले: दरियागंज, गोल-मार्केट, सब्जीमण्डी, बाबर रोड़ तथा करोलबाग ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या उन निजी एजेन्सियों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने यह कार्य अपने हाथ में लिया है ?

श्री जे० के० भोंसले : आयुर्वेदिक का कार्य राम रतन पोपलई नाम व्यक्ति को तथा होम्योपैथिक का कार्य अखिल भारतीय होम्योपैथिक संस्था को सौंप दिया गया है।

जोंक नदी घाटी परियोजना

*९५०. **श्री जांगड़े** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की जोंक नदी घाटी परियोजना का कार्य अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): जी, हां ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि जोंक घाटी योजना को बन्द करने के क्या कारण हैं ?

श्री हाथी: कारण यह है कि जो स्थान पसंद किया गया था, वह उपयुक्त नहीं था, और समीप के किसी स्थान को लेने से सुरंगें आदि खोदने के लिये अधिक खर्च होता, और उसके परिणामस्वरूप अधिक लागत आती।

श्री जांगड़े: क्या यह सही नहीं है कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने कहा था कि जोक घाटी योजना को मान लिया गया है और यह लेने लायक है ?

श्री हाथी : इससे आगे भूगर्भ की जांच पड़ताल को देखते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर बन्द के लिये उपयुक्त स्थान नहीं था, इस लिये इसे त्याग करना पड़ा। परन्तु दूसरी बातों पर ध्यान देने से पहले, यह किये जाने योग्य था, केवल यही कठिनाई थी कि सर्वोत्तम क्षेत्र प्राप्त नहीं किया जा सका था।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य-प्रदेश की सरकार ने मध्यप्रदेश की बहुत सी नदी घाटी योजनाओं में केन्द्रीय सरकार को सहयोग देने से इसलिये इनकार किया कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर में ऐसा कहा कि इन बड़ी योजनाओं को लेने और पूरा करने में बीस वर्ष लगेंगे ? क्या इसीलिये मध्यप्रदेश सरकार ने इनकार किया था ?

श्री हाथी: यदि इस का सम्बन्ध इस विशिष्ट परियोजना से है, तो यह ठीक नहीं है। इसे रोकने के कारण वही हैं, जिनका मैं ने ऊपर वर्णन किया है।

वेतन और भत्ते

*९५१. **श्री संगण्णा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उत्तर पूर्वी सीमा अधिकरण के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के मामलों में कोई अन्तर है, जब कि इस अधिकरण के कर्मचारी भी भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : भारत के विभिन्न भागों में या और कहीं कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार के सब कर्मचारियों के एक ही वेतन स्तर नहीं हैं। भाग 'ग' राज्यों में काम करने वाले और भारत सरकार के मुख्यालय के

अतिरिक्त अन्य स्थानों में स्थापित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को साथ वाले भाग 'क' राज्यों के वेतन के दर के अनुसार ही वेतन आदि दिये जाते हैं । उत्तरपूर्वी सीमा अधिकरण के कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि निर्धारित करने के लिये साधारणतया अब तक इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है। कार्य की कठिनाई और कठिन स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगोचर वेतन और भत्ते का पुनरीक्षण विचाराधीन है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस क्षेत्र में काम करने वाले प्राधिकारियों की भर्ती आसाम से की गई है अथवा किसी और दूसरे राज्य से ?

श्री जे० एन० हजारिका: उनकी भर्ती आसाम तथा भारत के दूसरे भागों से भी की गई है ।

श्री अमजद अली : क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी सीमा अधिकरण के बहुत से अधिकारी आसाम से बाहर के क्षेत्र से लिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक संख्या का सम्बन्ध है, यद्यपि बहुत अधिक संख्या नहीं, अधिक संख्या तो आसाम से है । बाहर से लिये गये केवल कुछ उच्च स्तरों के अधिकारी हैं, जो शिल्पिक, इन्जनियरिंग औय अन्य योग्यता वाले हैं ।

भारतीय राजदूतों के घूमने फिरने पर निर्बन्धन

*९५२. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों में इस समय भारतीय राजदूतों तथा दूतावास कर्मचारियों के घूमन फिरने पर निर्बन्धन हैं ; तथा

(ख) क्या भारत में किसी विदेशी दूतावास के कर्मचारीवर्ग के घूमने फिरने पर कोई निर्बन्धन हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जिन जिन देशों में भारतीय राजनयिक मिशन विद्यमान है, उन में से सोवियत रूस को छोड़ कर कहीं भी ऐसे कोई निर्बन्धन नहीं हैं । सोवियत रूस में कुछ विनियम प्रचलित हैं जो कि सभी विदेशी दूतों पर लागू होते हैं। विदेशियों पर यह निर्बन्धन युद्धकाल में लागू किये गये थे । बाद में निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्रों की सूची इस में जोड़ दी गई । जून १९५३ में इन में से बहुत से निर्बन्धन हटा लिए गए यद्यपि कुछ सैनिक तथा सीमावर्ती क्षेत्र अभी प्रतिषिद्ध क्षत्र हैं ।

(ख) भारत में कोई विशेष निर्बन्धन नहीं लगाए गए हैं ।

श्री विश्वनाथ राय: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शेष निर्बन्धन हटाने के लिये बात चीत चल रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा: सरकार के साथ इस सम्बन्ध में बात चीत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: माननीय मंत्री ने बताया कि सोवियत रूस में कुछ निर्बन्धन लगाए गए हैं । क्या अन्य देशों में सोवियत दूतावासों पर भी कोई निर्बन्धन लगाए गए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में १९५२ में कुछ निर्बन्धन लगा दिए गए थे ।

श्री नानादास: माननीय मंत्री ने बताया कि यहां कोई विशेष निर्बन्धन नहीं लगाए गए हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में अन्य दूतावासों पर कोई सामान्य निर्बन्धन लगाए जाते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्टतयः कोई सामान्य निर्बन्धन नहीं है ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली स्थित कुछ विशिष्ट दूतावास इस देश की आन्तरिक राजनीति में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां कहीं भी ऐसी कोई बात सरकार के ध्यान में लाई गई है तथा सरकार को इस बात का सन्तोष हुआ है कि वास्तव में ऐसी बात हुई है तो सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से दिलचस्पी लेती है ।

नेपाल में भारतीय नागरिक

*९५३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों को नेपाल में अचल सम्पत्ति खरीदने के सम्बन्ध में कुछ निर्बन्धनों का सामना करना पड़ता है; तथा

(ख) यदि करना पड़ता है तो क्या नेपाली नागरिकों पर भी भारत में इस प्रकार के निर्बन्धन हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) नेपाल सरकार के २८ आश्विन संवत् १९८७ (१९३० ई०) के कानून के अनुसार भारतीयों सहित कोई भी विदेशी नेपाल में सम्पत्ति अर्जित नहीं कर सकता है जब तक कि वह उस देश का स्थायी निवासी न बन जाये । नेपाल तथा भारत के बीच १९५० की शान्ति तथा मैत्री संधि एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वामित्व के समान अधिकार प्रदान करती है । वैयक्तिक मामलों में भारतीयों को जो कठिनाई पेश आती है वह नेपाल स्थित हमारे राजदूत द्वारा नेपाल सरकार के ध्यान में लाई जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

हथकर्घा तथा खादी विकास उप-कर अधिनियम

*९५४. **श्री वीरस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकर्घा तथा खादी विकास उप-कर अधिनियम के लागू होने के समय से जुलाई, १९५३ के अन्त तक मिल के बने कपड़े पर से कितनी धनराशि उप-कर के रूप में वसूल की गई है ;

(ख) हथकर्घा उद्योग के विकास के लिये मद्रास राज्य को कुल कितनी धनराशि दी गई ; तथा

(ग) इस निधि से बुनकरों की कैसे सहायता की जायगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३,०१,१०,००० रुपये ।

(ख) इस उप-कर की प्राप्तियों में से मद्रास राज्य को अभी कोई धन नहीं दिया गया है । मद्रास सरकार ने अपनी जो परियोजनायें पेश की हैं, उनकी अब जांच हो रही है ।

(ग) माननीय सदस्य का ध्यान खादी तथा अन्य हथकर्घा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम, १९५३ की ओर दिलाया जाता है ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, केन्द्रीय सरकार ने मद्रास के मुख्य मंत्री की इस प्रार्थना को क्यों नहीं स्वीकार किया है कि बार्डर वाली साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन का ६० प्रतिशत भाग हथकर्घा उद्योग के लिये रक्षित रखा जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं समझ नहीं पाता हूं कि यह प्रश्न इस से कैसे उत्पन्न होता है ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तीन करोड़ रुपये की राशि में से कितना धन खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये व्यय अथवा आवंटित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यदि मुझे पूर्वसूचना दी जायगी तो मैं खादी उत्पादन के सम्बन्ध में सविस्तार सूचना दे सकता हूं ।

श्री वीरस्वामी : क्या यह सत्य है कि हज़ारों बुनकर बेकारी के कारण भिखारियों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं क्यों कि उन्हें कोई वैकल्पिक काम नहीं मिल रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, क्या त्रावणकोर-कोचीन राज्य को भी कोई धनराशि दी गई ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : त्रावणकोर-कोचीन राज्य से उनकी अपनी प्रस्थापनायें भेजने के लिये कहा गया था । मुझे विश्वास है कि उन्होंने अपनी प्रस्थापनायें भेज दी हैं तथा उन पर अब विचार किया जा रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रीमान्, क्या सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र जैसे अन्य खादी उत्पादक राज्यों को भी किसी प्रकार की सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री वीरस्वामी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने आदेश जारी करके नये कर्घे लगाने पर निर्बन्धन लगा दिये ह ; तथा यदि लगाये हैं तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में भारत सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है ।

श्री दामोदर मेनन : श्रीमन्, यह उपकर किस आधार पर विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, प्रत्येक की आवश्यकता के आधार पर यह वितरित किया जाता है । यदि राज्य सरकारें अपनी प्रस्थापनायें भेजती हैं तथा वह प्रस्थापनायें विचारित परियोजना के अनुकूल होती हैं तो पैसा दिया जाता है ।

श्री रघवय्या : इस तीन करोड़ रुपये की धनराशि में से उस मिशन पर कितना खर्च किया जायगा जो कि खादी आदि के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिये बाहर भेजा जायगा ? अधिनियम में कहा गया है कि विक्रय को बढ़ावा देने के लिये एक मिशन विदेश भेजा जायगा ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह उस बजट पर निर्भर करता है जो कि हथकर्घा बोर्ड हमें भेजेगा । मेरे पास अभी सविस्तार सूचना नहीं है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या सरकार को मालूम है कि मिल मालिकों ने उत्पादन का एक ऐसा तरीक़ा अपनाया है कि उनसे प्राक्कलित उप-कर वसूल नहीं किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अनुमानित राशि से अधिक धन वसूल होगा ।

श्री हेडा : इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि खादी-विक्रय के लिये कुछ अर्थ सहायता देने के बावजूद खादी का उत्पादन बढ़ नहीं गया है, क्या सरकार खादी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यह प्रश्न जिस आधार पर पूछा गया है, मैं उसकी जांच करना चाहता हूं । यदि माननीय सदस्य इसकी पूर्व सूचना दे देंगे तो मैं इसका उत्तर दे दूंगा ।

श्री मुनिस्वामी : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि मद्रास सरकार ने जो परियोजना भेजी है, केन्द्रीय सरकार उस पर विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि जांच करने में कितना समय लगेगा तथा धन वितरण का काम कब हो जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम किसी निश्चय पर पहुंचने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री एन० सोमना : अब तक किस किस राज्य को सहायता दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसे कि मैं ने निवेदन किया, इस उधार-कर की प्राप्तियों में से अभी किसी को कुछ नहीं दिया गया है । इस उद्देश्य के लिये जो धनराशि आवंटित की गई है केवल उसी में से सहायता दी जा रही है । राज्य सरकारों से कई परियोजनायें प्राप्त की गई हैं तथा इन पर इस समय विचार हो रहा है । मेरा विश्वास है कि अगले तीन अथवा चार सप्ताहों में जांच का काम पूरा होगा तथा हम इनके लिये धनराशियां मंजूर कर सकेंगे ।

उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी

*१५५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर-पूर्वी फ्रन्टियर एजेन्सी में अप्रैल, मई, जून और जुलाई के चार मासों में अनवरत और घोर वर्षा होने के परिणामस्वरूप भूमि तथा वायु यातायात अव्यवस्थित हो गया है ;

(ख) यदि हां तो उत्तर पूर्वी फ्रन्टियर एजेंसी के भीतरी लोगों में खाद्य, दवाएं तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं बाहर से किन साधनों द्वारा पहुंचाई जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर-पूर्वी फ्रन्टियर एजेंसी में खाद्य की अत्यन्त कमी है ;

(घ) क्या वहां के स्थानीय अधिकारियों ने सरकार से सहायता की प्रार्थना की है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) मानसून के महीनों में भारी वर्षा होने से उत्तर-पूर्वी फ्रन्टियर एजेंसी के अनेक क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है ।

(ख) जहां जहां पैदली रास्ते खुले रहे हैं वहां भीतरी भागों में मज़दूरों पर सामान भेजा गया है । अन्य स्थानों पर, केवल उन दिनों को छोड़ कर जब कि पहाड़ियों की दशायें प्रतिकूल रही हैं, नियमित रूप से वायुयानों द्वारा आवश्यक सामान गिराया गया है ।

(ग) पहाड़ियों के कुछ भागों में जहां कि ढाल अधिक ढलुआ है, कुछ मासों में खेती करना सदा से ही अत्यन्त कठिन रहा है, किन्तु ऐसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है कि पहाड़ियों में लोगों को इस वर्ष असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(घ) स्थानीयपदाधिकारियों को स्थायी आदेश है कि आवश्यक वस्तुओं के अपने स्टॉक के सम्बन्ध में निश्चित अवधि पर रिपोर्ट भेजते रहें जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता के अनुसार ही वायु

द्वारा सामान गिराया जाए । इन आदेशों का पालन हो रहा है ।

(ङ) आई० ए० एफ० द्वारा आवश्यकता-ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं वायुयानों से गिराने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । अक्टूबर, १९५२ से जुलाई, १९५३ तक उन्होंने उत्तर-पूर्वी फ्रन्टियर एजेंसी के पहाड़ी क्षेत्रों के ३५ केन्द्रों में ४८,५०० मन खाद्य तथा अन्य आवश्यक सामान गिराया है । लगभग २,३०० मजदूर छः जिलों में स्थायी रूप से सेवायुक्त हैं जिससे कि जहां भी पहाड़ी रास्ते इस काबिल हों वहां से होकर आवश्यक-ताग्रस्त प्रशासनात्मक केन्द्रों तथा चौकियों को सामान भेजा जा सके । कुछ बाह्य क्षेत्रों में खच्चरों तथा जीपों के लिए भी मार्ग बनाने के लिए पग उठाए गए हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को विदित है कि उत्तर-पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी में हयूलीयंग से ए० पी० ओ० तथा एम० ओ० द्वारा अपील की गई है (जो 'आसाम ट्रिबून' के ४ जुलाई के अंक में प्रकाशित हुई है) कि असहानुभूतिपूर्ण तथा अक्रिय अधिकारियों को मजबूर किया जाए कि उन्हें मौत के पंजों से बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी नहीं, हमें किसी ऐसी अपील के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है ।

श्री अमजद अली : क्या वायुयानों से सामान गिराना अब भी जारी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, जारी है । किन्तु मानसून में यह कार्यवाही अधिक खतरनाक हो जाती है और सीमित रखनी पड़ती है । सदन को शायद स्मरण होगा कि गत वर्ष, अथवा दो वर्ष पूर्व इसी क्षत्र में हमारे दो वायुयानों की गम्भीर दुर्घटनायें हो गई थीं । तब से हमने समस्त योजना संशोधित कर दी है तथा अधिक सावधानी बरती जा रही है और इस प्रयोजना के लिए हेलीकोप्टर प्राप्त करने का भी विचार किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा अब समाप्त हो चुका है ।

अल्प-सूचना प्रश्न तथा उत्तर

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की कोयले की खानें

१. **डा० एम० एम० दास : क्या उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उस संकटग्रस्त अवस्था का ज्ञान है जिसका सामना बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की निम्नतर कोटि का कोयला उत्पादित करने वाली खानों को, लगातार बैगन उपलब्ध न होने के कारण, करना पड़ रहा है ?

(ख) क्या सरकार को 'भारतीय कोयला खान संघ', कत्रासगढ़ से कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिनमें सरकार का ध्यान पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की अनेक कोयले की खानों की ओर आकर्षित किया गया है जो कि उपरोक्त कारण से बन्द होन ही वाली हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय कोयला-खान संघ ने सरकार से प्रार्थना की है कि कोयला आयुक्त के कार्यालय के विरुद्ध बैगनों के आवंटन करने तथा स्वीकृति देने के सम्बन्ध में जांच की जाये ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सरकार को इन खानों में आये इस प्रकार के किसी संकट के विषय में ज्ञान नहीं है । किन्तु चूंकि वैगनों की संख्या मांग से कम है इसलिये कभी कभी उनकी उपलब्धता में कमी हो जाती है किन्तु यह बात उच्च

कोटि के कोयले के सम्बन्ध में भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि निम्न कोटि के कोयले के सम्बन्ध में । गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के प्रथमार्ध में भेजे गये निम्नतर कोटि के कुल कोयले की मात्रा गत के प्रथमार्ध से अधिक है ।

(ख) और (ग). जी हां, भारतीय कोयला खान संघ से इस प्रकार के प्रतिनिधान प्राप्त हुये हैं ।

डा० एम० एम० दास: क्या यह सत्य नहीं है कि वैगनों के न मिलने से उत्पन्न यातायात कठिनाई इन कोयला खानों की एक लम्बे अरसे से चली आई शिक़ायत है और उनकी इस चिरकालिक कठिनाई को दूर करने के लिये क्या सरकार द्वारा कोई पग उठाये जाने का विचार है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जैसा स्वयं माननीय सदस्य ने कहा, यातायात की कठिनाई एक लम्बे अरसे से चली आई कठिनाई है और इससे केवल इसी बात की पुष्टि होती है कि वहां हाल में कोई इस प्रकार का संकट नहीं उत्पन्न हो गया है जिस पर माननीय सदस्य ने अल्पकालिक प्रश्न पूछा है । कोयले के परिवहन के लिये यातायात की जितनी मांग है उसे हम पूर्णतया पूरी नहीं कर पाते हैं । रेलवे मंत्रालय वैगनों की उपलब्धता बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा है और जैसे जैसे वह इस दिशा में सफल होता जायेगा उसी के अनुसार कोयले के यातायात की कठिनाई भी कम होती जायगी ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : माननीय मंत्री ने बतलाया कि वेगनों की पूर्ति, मांग के अनुसार नहीं हो पाती है । मैं जानना चाहता हूं कि यह वक्तव्य सही है अथवा वह विज्ञप्ति जो रेलवे मंत्रालय द्वारा कुछ ही दिन पूर्व हुये जारी की गई थी और जिसमें कहा गया था कि वेगनों की अधिकाई है तथा मांग उनकी पूर्ति से कम है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी की गई किसी विज्ञप्ति के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं है । इस बारे में मैं ने अख़बारों में कुछ समाचार पढ़े हैं । प्रेस में आये इन समाचारों का पूर्ण आशय माननीय सदस्य नहीं समझ पाये हैं । अख़बारी समाचारों में यह नहीं कहा गया है कि देश में कितने वैगन इस समय उपलब्ध हैं । इसमें मुख्यतया एक-तरफ़ा परिवहन का निर्देश किया गया है । जो भी हो, मैं अपना वक्तव्य अख़बारी समाचारों पर आधारित नहीं करना चाहता ।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले की खानों द्वारा की गई यह शिक़ायत ठीक है कि कोयला आयुक्त के कार्यालय में मध्यम कोटि के कोयले के लिये वैगनों के आवंटन तथा सरकारी आदेशों के वितरण में भेदभाव किया जाता है

श्री के० सी० रेड्डी: कोई भेदभाव नहीं बरता जाता । यह चीज़ इस बात पर निर्भर करती है कि विभन्न उद्योगों को किस कोटि के कोयले की आवश्यकता है और विभिन्न कोयले की खानों द्वारा उनका किस सीमा तक प्रदाय किया जा सकता है । उदाहरणार्थ, रेलों को तथा कुछ अन्य लोकोपयोगी सेवाओं को उच्च कोटि के कोयले की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों की मांगें पूरी करने के लिये कोयले का वितरण न्यायपूर्वक करना पड़ता है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि समस्त वालों को ध्यान में रखते हुये कोयला आयुक्त का सदा ही न्यायपूर्ण वितरण करने का प्रयत्न रहता है ।

डा० हरि मोहन: क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 'भारतीय कोयला-खान संघ' मान्यता प्राप्त संघ है ?

श्री के० सी० रेड्डी : 'भारतीय कोयला-खान संघ' हाल ही में बना है । अभी इसे मान्यता नहीं दी गई है और मुझे नहीं मालूम कि कितनी कोयले की खानें इसकी सदस्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अल्पकालीन प्रश्न संख्या ९० और ९२ । इन दोनों प्रश्नों को एक साथ लिया जा सकता है ।

बर्नपुर की स्थिति

२. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बर्नपुर के चौदह हज़ार मज़दूर बेकार हैं और वहां स्थिति ऐसी हो गयी है कि सेना की सहायता से उस मिल क्षेत्र की रक्षा करना आवश्यक हो गया है ?

(ख) किस प्रकार तथा किसकी मंजूरी से मिल के आस पास के क्षेत्र की रक्षा के लिये सेना बुलाई गई थी ?

(ग) क्या सरकार का बर्नपुर की स्थिति के सम्बन्ध में पूरी पूरी बातें बताने का विचार है ?

(घ) जब से यह स्थिति उत्पन्न हुई, क्या इस्पात उत्पादन कम हो गया है ?

(ङ) यदि ऐसा है, तो १९५० से १९५२ के पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह उत्पादन कितना कम हो गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २४ अगस्त, १९५३, से बर्नपुर की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी बन्द हो जाने के कारण सारभूत सेवाओं के लगभग १,५०० मज़दूरों को छोड़ कर सभी मज़दूर, जिनकी संख्या लगभग १४,००० है, बेरोज़गार हैं । सेना तथा पुलिस दोनों ही फ़ैक्टरी, वाटर वर्क्स आदि की रक्षा कर रही हैं जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत "रक्षित स्थान" घोषित किया है ।

(ख) वहां सेना पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रार्थना पर गई थी ।

(ग) वहां गड़बड़ १९ जनवरी को आरम्भ हुई जब शीट मिल के मज़दूरों ने "कम काम करने" की नीति चलायी । १३ जून, १९५३ को यह बात शेष कारखानों में फैल गई । मज़दूरों के अनुसार शीट मिल में "कम काम करने" के आन्दोलन का मुख्य कारण यह था कि श्रमिक संघ ने प्रबन्धकों के समक्ष उन की शिकायतें नहीं रखी थीं जब कि प्रबन्धकों ने मज़दूरों से सीधे ही बात करने से मना कर दिया । पश्चिमी बंगाल के श्रम मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को मिला कर राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा समझौते कराने के बहुत से प्रयत्न असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप २१ अगस्त, को मज़दूरों ने हड़ताल करने का नोटिस दिया और २४ अगस्त, १९५३ को प्रबन्धकों ने मिल में ताला बन्दी करने की घोषणा की ।

(घ) जी हां ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १**]

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में ताला-बन्दी

३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बर्नपुर की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने २३ अगस्त, १९५३ से ताला बन्दी कर दी है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में कोई सचाई है कि तालाबन्दी की अवधि में उक्त कम्पनी ने लगभग १४,००० मज़दूरों की नौकरी ख़त्म कर दी ; तथा

(ग) इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने तथा पहले के समान उत्पादन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, २३ अगस्त से नहीं २४ अगस्त से ।

(ख) कम्पनी ने हमें सूचित किया है कि उसने अपने मज़दूरों की नौकरी ख़त्म नहीं की है, और वह ऐसा केवल उन्हीं मज़दूरों के मामले में करेगी जो कि कम्पनी द्वारा निश्चित किये जाने वाले समय में इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते कि वे काम पर लौट आयेंगे और सामान्य उत्पादन कार्य करने लगेंगे ।

(ग) मैं समझता हूं कि आवश्यक आश्वासन देना मज़दूरों का काम है कि वे 'काम कम करने' की नीति को छोड़ देंगे और इस प्रकार कार्य पुनरारम्भ करने तथा अपनी मांग पर विचार करने के लिये उचित वातावरण पैदा करेंगे ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि उस मिल का प्रबन्धक मज़दूरों का अपमान करने की तथा उनके साथ बुरा बर्त्ताव करने की कोशिश कर रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ये आरोप तो अक्सर लगाये जाते हैं किन्तु मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई कारण नहीं हैं और जो शिकायतें बताई गई हैं कि ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : समाचार पत्रों में एक ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था कि २६ जून को सरकार ने नौकरी से बर्खास्त किये गये मज़दूरों को फिर से नौकरी पर लगाने तथा सभी मज़दूरों द्वारा श्रमिक संघ के लिये निष्पक्ष निर्वाचन के सम्बन्ध में मज़दूरों की मांग को स्वीकार कर लिया था । मैं जान सकता हूं कि इस रवैय्ये को, जिसे कार्य समिति ने सहायक बताया था, क्यों छोड़ दिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि जो कुछ कार्य समिति कहती है वह सहायक है या नहीं । पश्चिमी बंगाल सरकार तो केवल यह जानती है कि कार्य समिति के नेता अपने इस निश्चय पर दृढ़ रहे कि उत्पादन में ५॥ आने से अधिक वृद्धि नहीं होने दिया जाय, प्रबन्धक इस बात पर राजी नहीं हुये और इस कारण उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सका । वह चाहते थे कि उनकी शिकायतें दूर की जायें किन्तु वे उत्पादन में ५॥ आने से अधिक वृद्धि करने को तय्यार नहीं थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुकर्जी ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या वहां शांति भंग होने का कोई ख़तरा था और इस कारण सेना बुलाई गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री मुकर्जी से प्रश्न करने के लिये कहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इसमें क़ानूनी प्रक्रिया यह है कि तालाबन्दी के पश्चात् मामले को अधिनिर्णय के लिये निर्दिष्ट किया जाय, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी कि नौकरी से बर्खास्त किये गये १४,००० मज़दूरों का मामला ठीक कर दिया जाय ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस मामले की क़ानूनी स्थिति पर विचार किया है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या वहां शान्ति भंग होने का कोई ख़तरा था और इस कारण सेना बुलाई गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: जी हां। यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार यह नहीं समझती कि उसका पुलिस बल शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये काफ़ी नहीं है तो वह सेना को नहीं बुलाती।

श्री एच० एन० शास्त्री: क्या सरकार को मालूम है कि पिछले दस दिनों में बर्नपुर के मज़दूरों की दो सभायें, जिनमें से प्रत्येक में आठ से दस हज़ार तक मज़दूर शामिल हुये थे, श्रमिक संघ के तत्वावधान में हुई थीं जिनमें मज़दूरों ने निहित स्वत्व वाले दरों द्वारा चलायी गई समाज विरोधी "कम काम करने" की नीति की स्पष्ट रूप से निंदा की और सामान्य कार्य को फिर से चलाने के मामले में श्रमिक संघ के नेताओं को अपना पूर्ण सहयोग देने की प्रतिज्ञा की, और यदि ऐसा है, तो फ़ैक्टरी में काम को शीघ्र फिर से आरम्भ करने के मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जितनी सूचना मुझे प्राप्त है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि श्रमिक संघ के नेताओं ने दो सभायें की थीं और उन सभाओं में सम्मिलित मज़दूरों ने संकल्प पारित किये जिनमें उन्होंने 'कम काम करने' की नीति की निन्दा की। प्रबन्धकों द्वारा इस बात का निश्चय करना, कि वह काम को फिर से आरम्भ कर सकेंगे या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि काम करने के लिये तय्यार मज़दूरों की संख्या कितनी है। मैं यह नहीं बता सकता कि स्थिति क्या होगी किन्तु यह आशा की जाती है कि आगामी सप्ताह में कुछ निश्चित सुधार हो जायगा।

सरदार ए० एस० सहगल: बर्नपुर फ़ैक्टरी का मालिक कौन है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक कम्पनी है जो कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी कहलाती है।

सरदार ए० एस० सहगल: इसमें मुख्य हिस्सा किसका है ?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक वर्ष मालिक बदल जाता है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री गिरि के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि मिल मालिकों को ताला बन्दी नहीं करनी चाहिये, तथा कार्य समिति के प्रधान के इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि वह संघ श्रम मंत्री श्री गिरि के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लेंगे, उन्होंने इस झगड़े को दूर करने तथा एक समझौता कर लेने के सम्बन्ध में क्या किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह प्रश्न श्री गिरि से पूछा जाना चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं, कि जब मज़दूरों ने हड़ताल का नोटिस देने के बाद भी सारभूत सेवाओं को जारी रखा, तो उनको श्री जॉन नामक व्यक्ति द्वारा, जो किसी के प्रतिनिधि नहीं है, किये गये हस्ताक्षर वाले पास को दिखाना पड़ता है और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ये विस्तृत बातें हैं जिन्हें स्पष्टत: माननीय सदस्य अधिक जानते हैं और मैं नहीं जानता कि ऐसे प्रश्न मुझ से क्यों पूछे जाते हैं।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या, अधिकारियों के द्वारा ताला-बन्दी किये जाने की घोषणा करने से पूर्व, भारत सरकार से परामर्श लिया गया था, और इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ये प्रतिदिन होने वाली बातें हैं। क्या मैं स्थिति फिर से बताऊं ? जैसा कि मैं ने बताया, कि जनवरी में शीट मिल में झगड़ा शुरू हुआ

और कम काम करने की नीति अपनायी गई, जिससे उत्पादन कम हो गया और ये बातें जून में अन्य स्थानों में भी फैल गईं, और कुल उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। कार्य समिति के नेताओं ने, चाहे वे कोई भी हों कहा है कि वे उत्पादन में वृद्धि पांच आन से अधिक नहीं होने देंगे जो कि ३५ प्रतिशत होता है। मज़दूरों के झगड़ों में ऐसी बात सुनी नहीं गई। हम हड़ताल और ताला-बन्दी को समझते हैं कभी मज़दूर हड़ताल करते हैं, और प्रबन्धक तालाबन्दी करते हैं, किन्तु इस्पात तथा कच्चे लोहे के कारख़ाने में, जहां कोयले की भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस तथा लोहे पिघलाने की जगह में बहुत अधिक गरमी रखनी पड़ती है, और यदि वहां बहुत गरमी न रखी जाय तो इससे नुकसान होगा और इससे वहां नुकसान हुआ भी है—'कम काम करने' की नीति ऐसी बात है जो सुनी नहीं गई। मुझे यह देखकर खेद होता है कि संसद के उत्तरदायी सदस्य मज़दूरों के एक ऐसे रवैय्ये को जो कि इस देश के उद्योग के भविष्य के लिये हानिकारक है नैतिक समर्थन देते हैं।

श्री बेली राम दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह ताला-बन्दी वैध या उचित है अथवा इसका सरकार द्वारा समर्थन किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार तालाबन्दी का समर्थन नहीं करती। यह तो प्रबन्धकों तथा मज़दूरों के बीच का मामला है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि यह वैध है या नहीं, यह प्रबन्धकों का काम है कि वे ऐसी कानूनी सलाह लें उसके परिणामों को भोगें।

श्री थानू पिल्ले : मैं जान सकता हूं कि उस राज्य में कितने श्रमिक संघ काम कर रहे हैं, और कौन सा श्रमिक संघ 'कम काम करने' की नीति चलाता है और कौनसा श्रमिक संघ उत्पादन में वृद्धि करने की नीति का समर्थन करता है, और जो श्रमिक संघ उत्पादन में वृद्धि करने की नीति का समर्थन करता है उसे सरकार क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी प्राप्त सूचना के अनुसार केवल एक ही श्रमिक संघ है और वह संघ कम काम करने की नीति का समर्थन नहीं करता। यही सूचना मेरे पास इस समय है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, सरकार ऐसा दृष्टिकोण क्यों रखती है कि इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उसका इस मामले में क्या करने का विचार है अथवा वह इसे इसी प्रकार ही चलने देगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने बताया स्थिति ऐसी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसमें सरकार के साथ होंगे और यह कहेंगे कि हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योग में किसी प्रकार की 'कम काम करने' की नीति सहन नहीं करेंगे। हम इस स्थिति का निराकरण करने की कार्यवाही करा सकते हैं। किन्तु जब तक माननीय सदस्य उन मज़दूरों के, जो कम काम करना चाहते हैं और कुल उत्पादन क्षमता के ३५ प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं करना चाहते कामों का समर्थन करेंगे, तब तक सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह सत्य है कि यह सब झगड़ा सरकार की इशारों पर नाचने वाले श्रमिक संघ को प्रोत्साहन देने की अपनी नीति का अनुसरण करने

में सरकार द्वारा वास्तविक प्रतिनिधियों से बात करने से मना कर देने के बाद तथा ऐसे व्यक्ति के साथ, जिसमें श्रमिक संघ के मजदूरों तथा सदस्यों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बात करने के लिये आग्रह करने के बाद, उठा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने ऐसी बातों के सम्बन्ध में धारणा बना रखी है जिनका कोई आधार नहीं । जो कुछ उन्होंने कहा है वह ठीक नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान् जी, एक औचित्य प्रश्न के आधार पर ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय उन सदस्यों के, जो देश के बहुत महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में कोई प्रश्न पूछते हैं, सद्भाव पर आक्षेप करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना उचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि केवल सूचना प्राप्त करने के लिये ही प्रश्न नहीं पूछे जाते अपितु मैं बहुधा यह भी देखता हूं कि मेरे बार बार सदस्यों को बताने पर भी माननीय सदस्य सूचना या सुझाव देते हैं । उन्हें कार्य किये जाने के लिये सुझाव नहीं देने चाहियें । कोई न कोई सदस्य कार्य करने के लिये सुझाव देते हैं । इसीलिये माननीय मंत्री यह समझते हैं कि इन सुझावों के कारण मजदूरों को हड़ताल जारी रखने अथवा प्रबन्धकों को तालाबन्दी रखने में प्रोत्साहन मिलता है । अतः माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन है कि वे सदन में सुझाव बिल्कुल भी न दें । किन्तु वे अपने को प्रश्न काल में तथ्य या सूचना प्राप्त करने तक ही सीमित रखें, जिस दशा में मुझे औचित्य प्रश्न का निर्णय नहीं करना पड़ेगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान् जी जो कुछ भी आपने कहा मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं । अभी अभी एक माननीय सदस्य ने किसी को पिट्ठू कहा । ये आक्षेप हैं और इस प्रकार के आक्षेप इस सदन में लगाये जायें तो उसका परिणाम यही होगा कि सरकार के पक्ष तथा दूसरे पक्ष, दोनों को संयम से काम लेना चाहिये ।

मेरे माननीय सहकारी ने दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य से अपना सहयोग देने के लिये कहा । उन्होंने 'कम काम करने' की नीति को रोकने के सम्बन्ध में सहयोग देने के लिये कहा, किसी और विषय में नहीं कहा । इस विशेष मामले में भारत सरकार की बहुत अधिक रुचि थी और पिछले तीन या चार महीनों में उससे लगातार परामर्श लिया गया था । भारत सरकार को छोड़ कर मुझ से प्रधान मंत्री के रूप में लगातार परामर्श लिया गया है । मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वहां जो छोटी से छोटी बात हुई उसके लिये हम उत्तरदायी हैं । इसके लिये बंगाल सरकार या कम्पनी उत्तरदायी हो सकती है । किन्तु मुख्य बात यह है कि उत्पादन के प्रश्न के अतिरिक्त हम उस बहुमूल्य प्लांट की रक्षा के बारे में चिंतित हैं । उसमें भारत सरकार का बहुत धन लगा है और यह १० या २० करोड़ रुपये का मामला है ।

जहां तक मैं जानता हूं, मुख्य झगड़ा प्रबन्धकों तथा मजदूरों के बीच नहीं है । मुख्य झगड़ा तो मजदूरों के बीच आपस में है । इसे निबटाया जाना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने चुनाव के बारे में कुछ कहा । हम चाहते हैं कि वहां चुनाव किया जाय; सभी यह मानते हैं चुनाव किया जाय । किन्तु जब 'कम काम करने' की नीति से काम लिया जा रहा हो और वहां गड़बड़ी हो तो चुनाव कैसे हो सकते हैं । जैसे ही यह मामला तय हो जायगा वहां चुनाव जरूर होगा । मजदूर अपने नेता चुनें, चाहे वे कोई भी हों और

वे श्रमिक संघ का काम करें। कोई भी पदधारी हों अथवा श्रमिक संघ की समिति हो, वे इस सम्बन्ध में कार्य करें। यह एक साधारण बात है। किन्तु 'कम काम करने' की नीति द्वारा इस बात को जबरदस्ती लादने का प्रयत्न किया जा रहा है और हम से यह कहा गया: "जैसे कि हम कम काम करते रहे हैं हम कम काम नहीं करेंगे किन्तु भविष्य में हम ३५ प्रतिशत उत्पादन करेंगे।" यह बात याद रखनी चाहिये कि सामान्य उत्पादन १०० प्रतिशत माना जाता है। उन्हें इसके लिये वेतन मिलता है और वे इसके लिये काम भी करते हैं। अब कार्यसमिति के सदस्य हमसे कहते हैं "यदि आप अमुक अमुक कार्य करें तो भविष्य में हम ३५ प्रतिशत उत्पादन करेंगे।" उत्तरदायी व्यक्तियों के लिये ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा करना सम्भव नहीं। इस झगड़े के अतिरिक्त और इसको निबटाये जाने तथा वहां चुनाव किये जाने के अतिरिक्त, पहिली बात यह है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि बहुमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट न की जाय।

एक माननीय सदस्य ने पूछा: क्या वहां शान्ति भंग होने का खतरा है? मैं नहीं जानता और समझता हूं कि ऐसी आशा नहीं है। किन्तु मैं यह खतरा नहीं उठाना चाहता कि उस प्लांट को किसी प्रकार की हानि हो उस प्लांट की रक्षा के लिये ही यह किया जा रहा है।

सदन के सभी सदस्य यह चाहते हैं कि यह झगड़ा खत्म हो जाय, इस प्लांट की रक्षा की जाय, उत्पादन उतना ही किया जाय और इन १४,००० मज़दूरों को किसी प्रकार की हानि न हो और न उन्हें दण्ड दिया जाय। किन्तु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, 'कम काम करने' की नीति को सहन नहीं किया जायगा।

लिखित उत्तर

'मीरी जीम'

*९४६. **श्री बेली राम दास:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर पूर्व सीमान्त एजेन्सी के एबौर अपने अपने घरों में एक प्रकार का गर्म कपड़ा तैयार करते हैं जिसे 'मीरी जीम' कहा जाता है?

(ख) 'मीरी जीम' का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार का विचार एबौर और मिसमी पहाड़ियों में बुनने के स्कूल खोलने का है?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री जे० एन० हजारिका): (क) गर्म कपड़ा, जो कि आम तौर पर 'मीरी जीन' कहा जाता है, एबौर पहाड़ियों के ज़िले के अनेक घरों में तैयार होता है। आसाम राज्य के मैदानों में भी मिरियों द्वारा यह कपड़ा काफी मात्रा में तैयार किया जाता है?

(ख) कपड़ा तैयार करने के नये तरीक़े सिखलाने के लिये एबौर तथा मिशमी पहाड़ियों के ज़िलों में पहले ही से बुनाई के स्कूल खोल दिये गये हैं जिससे आदिम जाति के लोग अपने लिये स्वयं कपड़ा तैयार कर सकें जो कि उन्हें अब तक बाहर से खरीदना पड़ता था। इन बुनाई के स्कूलों में स्थानीय प्रयोगों द्वारा 'मीरी जीन' की क़िस्म में सुधार करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

बर्मा में भारतीय

*९५६. **श्री अच्युतन:** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास बर्मा में उन भारतीयों की संख्या मौजूद है जिनके पास स्थायी रूप से वहां रहने के प्रमाणपत्र हैं तथा वे जो वहां आते जाते रहते हैं?

(ख) अपना अपना व्यवसाय चलाने के लिये क्या बर्मी सरकार द्वारा इन भारतीयों

को वही सब सुविधायें दी जाती हैं जो बर्मी नागरिकों को प्राप्त हैं ?

(ग) क्या हाल ही में बर्मी सरकार ने भारतीयों को निर्वासित किया है और यदि हां तो क्यों ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। हाल ही में बर्मा सरकार ने जनगणना समाप्त की है। कुछ महीनों बाद ही उनकी जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित हो सकेगी ।

(ख) समस्त भारतीयों के साथ, जिन्होंने बर्मी नागरिकता प्राप्त कर ली है, बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है ।

(ग) हाल ही में कुछ भारतीयों को निर्वासित किया गया है परन्तु इसका मुख्य कारण उनकी अवांछनीय कार्यवाहियां हैं ।

जहाज़-निर्माण

*९५७. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जहाज़-निर्माण की लागत बढ़ गई है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसका जहाज़-निर्माण प्रोग्राम पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पिछले कुछ वर्षों में समस्त विश्व में जहाज़-निर्माण की लागत में सामान्यत: वृद्धि हुई है ।

(ख) कुछ सीमा तक जहाज़-निर्माण की बढ़ी हुई लागत के कारण भावी विक्रेता उतने जहाज़ों के लिये आर्डर देने में संकोच कर रहे हैं जितने के लिये आशा की जाती थी, फिर भी, हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है जिससे जहाज़-निर्माण कारखानें का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके ।

सुपारी

*९५८. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में जो माल बाहर से मंगाया जाता है उस पर माल भेजने वाला देश अपना नाम डाल देता है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन्डोनेशिया से मलाया में सुपारी आयात की जाती है तथा बाद में उसे मलायन बतला कर भारत को पुन:निर्यात की जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आयात किये जाने वाले किस माल पर "मूल देश" का नाम लिखे रहने की आवश्यकता है यह ब्योरा ३१ मार्च, १९५१ को सरकारी अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४४० की अनुसूची में दिया हुआ है, जिसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) अन्य देशों में क्या हो रहा ह इसका सरकार को पता नहीं है । फिर भी, इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से देख भाल की जा रही है कि मलायन सुपारी के बजाय अन्य प्रकार की सुपारी को मलायन सुपारी कह कर न भेज दिया जाये । इस कार्य के लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि प्रत्येक प्रेषित माल के साथ मूल देश का प्रमाणपत्र भी होना चाहिये जिस पर मलाया में भारत सरकार के प्रतिनिधि के प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) के प्रतिहस्ताक्षर हों कि वह जांच करने के पश्चात् इस बात से सन्तुष्ट हैं कि भेजा गया माल मलाया का ही है तथा अन्य किसी देश का नहीं ।

उत्तरी रोडेशिया में भारतीय उत्प्रवासी

*९५९. **श्री एस० एन० दास:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हाल ही में कुछ भारतीय उत्प्रवासियों को, जिनमें से सब के पास उत्तरी रोडेशिया के लिये भारतीय पारपत्र थे, पुर्तगाली पश्चिमी अफ्रीका के बेरा बन्दरगाह में इस आधार पर उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी कि उनके पास उत्तरी रोडेशिया में जाने की परमिट नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में बन्दरगाह के प्राधिकारियों ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया था;

(ग) क्या भूतकाल में भारतीय उत्प्रवासियों के लिये ऐसी परमिटें आवश्यक होती थीं;

(घ) क्या पूर्व तथा मध्य अफ्रीका में भारतीय उच्च आयुक्त ने उनके उतारने के सम्बन्ध में कोई सुविधा देने की कार्यवाही की थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की थी तथा उसका क्या परिणाम निकला था;

(च) भारतीय उत्प्रवासियों को जो असुविधा हुई थी क्या उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने पुर्तगाली सरकार से कहा था; तथा

(छ) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी हां, श्रीमान्, उत्तरी रोडेशिया जाने वाले कुछ भारतीय यात्रियों को बेरा (पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका) में उतरने की अनुमति नहीं दी गई थी क्यों कि उत्तरी रोडेशिया में प्रवेश करने देने का आश्वासन उस देश की सरकार नहीं दे रही थी।

(ख) अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई थी क्यों कि इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि सम्बद्ध व्यक्तियों को उत्तरी रोडेशिया में प्रवेश करने दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं। भूतकाल में न तो कोई परमिट न ही कोई आश्वासन मांगा गया था।

(घ) जी हां।

(ङ) जैसे ही ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में भारत सरकार के आयुक्त को इस घटना का पता लगा उन्होंने उत्तरी रोडेशिया के राज्यपाल, उत्तरी रोडेशिया की सरकार तथा पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका की सरकार को तार भेजे। उत्तरी रोडेशिया की सरकार ने अपने उत्तर में यह बतलाया कि पुर्तगाली प्राधिकारियों द्वारा बेरा में भारतीय यात्रियों को उतरने की अनुमति न दिय जाने के लिये यह ज़िम्मेदार नहीं है। उसने यह भी बतलाया कि उत्तरी रोडेशिया में नये आप्रवासियों के प्रवेश के सम्बन्ध में तब त क कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है जब तक कि देश की सीमा पर पहुंचे हुये इच्छुक आप्रवासियों से यह पता न लगा लिया जाये कि उन्होंने आप्रवास अध्यादेश की आवश्यकतायें पूरी कर दी हैं अथवा नहीं। दूसरी ओर पुर्तगाली पूर्व अफ्रीका की सरकार ने अपने उत्तर में यह बतलाया कि क्यों कि सम्बद्ध व्यक्तियों के प्रवेश के बारे में उत्तरी रोडेशिया सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया था इसलिये उनको बेरा में उतरने की अनुमति न दी जा सकी।

(च) दिल्ली में पुर्तगाली उपराजदूत का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित कर दिया गया है।

(छ) सरकार इस सम्बन्ध में पुर्तगाली प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।

बिहार में बाढ़ सहायता

*९६०. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतालने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अनेक नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण जो हानि हुई है क्या उसके बारे में उन्हें बिहार सरकार से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो अपने सहायता कोष में से अनुदान देते समय क्या उन्होंने उनको ध्यान में रखा है?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी हां, स्थिति की ओर सरकार का ध्यान बिहार के संसद् सदस्यों तथा अन्य लोगों ने भी दिलाया था।

(ख) बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिये बिहार के मुख्य मंत्री के पास प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय सहायता कोष में से २०,००० रुपये भेज दिये गये हैं।

सीरे से तेज़ाब

*९६१. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि 'लेवियू-लिनिक एसिड' सीरे से तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तेजाब उद्योग का कहां तक विकास किया जा सकता है; तथा

(ग) गन्ने तथा चीनी की क़ीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान्, किन्तु केवल प्रयोगशालाओं के लिये।

(ख) क्यों कि इसे तैयार करने की अभी उचित औद्योगिक प्रक्रिया ढूंढ निकालनी है इसलिये इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस तेजाब उद्योग का किस सीमा तक विकास किया जा सकता है।

(ग) इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि सीरे से लेवियूलिनिक एसिड तैयार होने के फलस्वरूप चीनी या गन्ने की क़ीमतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

मोर परियोजना

*९६२. **श्री बी० के० दास:** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मोर परियोजना के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार को जो ऋण दिया गया है क्या उस के प्रतिशोधन के लिए कोई समय सीमा निश्चित की गई है तथा किन शर्तों पर यह ऋण दिया गया है?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत): जी हां, श्रीमान्। एक विवरण जिसमें ऋण के सम्बन्ध में अब तक उपलब्ध अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २**]

औषधि निर्माण जांच समिति

*९६३. **डा० अमीन:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या औषधि-निर्माण जांच समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो इस के कारण?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) इसे आवश्यक नहीं समझा गया।

लन्दन के होटलों में वरणवाधा

*९६४. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के १० अगस्त, १९५३ के अंक के पृष्ठ भाग ५ में 'लन्दन के होटलों में वर्ण वाधा' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह प्रतिबन्ध भारतीय नागरिकों पर भी लागू किये जा रहे हैं या किये जाते रहे हैं; तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). संयुक्त राष्ट्र में कोई सरकारी प्रतिबन्ध नहीं है और संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन को सरकार का विचार जाति के आधार पर किये गये सभी भेदभावों को जिन्दा करना है । जहां तक निजी होटलों द्वारा की गई कार्यवाहियों का सम्बन्ध है, तो उन को किसी व्यक्ति को, जो स्थान पाने का इच्छुक हो, अपने यहां प्रविष्ठ कर लेने पर बाध्य करने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है । जब कभी भी ऐसी कोई घटना हुई है, तो लन्दन स्थित भारत के प्रधान प्रदेष्टा ने उस में हस्तक्षेप किया है, और जहां कहीं भी संभव हो सका है, संयुक्त राष्ट्र की सरकार से प्रतिनिधान भी किये हैं ।

टेट्रा यूथिल लैड

*९६५. **श्री सिंहासन सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** भारतीय पैट्रोल में टेट्रा यूथिल लैड के काम में लाये जाने की कुल लागत बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) किस देश अथवा देशों से टैट्रा यूथिल लैड आयात किया जाता है ?

(ग) क्या भारत में पैट्रोल के काम में लाये जाने में किसी स्तर विशेष पर आग्रह किया जाता है ?

(घ) यदि ऐसा है, तो वह स्तर क्या है ?

(ङ) पैट्रोल में यह ट्रैटा यथिल लैड किस अनुपात में काम में लाया जाता है ?

(च) क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत में बनाये गये शक्ति सुषव को इस टैट्रा यूथिल लैड के स्थान पर काम में लाया जा सकता है और क्या सरकार इस मामले की जांच करके इस आयातित वस्तु के स्थान पर किसी स्थानापन्न वस्तु की व्यवस्था करने के लिए कोई विशेषज्ञ आयोग नियुक्त करने की प्रस्थापना करती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) बहुत थोड़ी सी परिमात्रा के अतिरिक्त, भारत में काम में लाया जाने वाला पैट्रोल आयात किया जा सकता है । आयात किये गये पैट्रोल में टेट्राइथिल लैड मिला हुआ ही आता है । भारत में काम में आने वाले पैट्रोल में जो टेट्राइथिल लैड मिलाया जाता है उस का वास्तविक मूल्य इस कारण पृथक् रूप से ज्ञात नहीं है । मोटर के पैट्रोल के प्रति गैलन में मिले टेट्राइथिल लैड के मूल्य का अनुमान १.५ पाई से ७.५ पाई तक है ।

(ख) हमारे देश में उत्पादित पैट्रोल में मिलाने के लिए आयात किये गये टेट्रा यूथिल लैड का अधिकांश भाग डॉलर क्षेत्रों से आता है ।

(घ) और (घ). प्रदायित पैट्रोल ७० ओक्टेन होता है ।

(ङ) प्रति गैलन २.५ से ३ घन सैन्टी मीटर ।

(च) शक्ति सुषव को टेट्राइथिल लैड के स्थान पर काम में लाया जा सकता है किसी विशेषज्ञ समिति को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है । सरकार इस प्रश्न की जांच कर रही है ।

पूना में ट्रांसमिटर

*९६६. **श्री एच० जी० वैष्णव** : (क) क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री हाल ही में पूना में स्थापित किये गये ट्रांसमिटर की शक्ति तथा उसके सुनाई देने की सीमा बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) पूना के प्रसारण स्टेशन के लिए अधिकतम कितने किलोवाट शक्ति की प्रास्थापना है ?

(ग) जब कि वह अधिक शक्ति वाला ट्रांसमिटर प्रतिष्ठापित कर दिया जायेगा तब उस स्टेशन की सुनाई देने की सीमा क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक किलोवाट का एक मध्यम तंरग ट्रांसमिटर पूना में स्थापित किया जा रहा है । उस की प्राथमिक सेवा की सीमा २५ से ३५ तक के घेरे तक रहेगी यद्यपि उसे इस सीमा से भी बहुत परे तक सुना जा सकेगा ।

(ख) पांच किलोवाट मध्यम तरंग ।

(ग) पांच किलोवाट के ट्रांसमिटर की प्रतिष्ठापना के बाद प्राथमिक सेवा की सीमा ६० से ८० मील होगी, परन्तु उसे २०० मील के घेरे में सुना जा सकेगा ।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज

*९६७. **श्री ए० के० गोपालन** : (क) क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि १५ अगस्त, १९५३ को भारत स्थित पोर्चुगीज़ दूतावास ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से इन्कार कर दिया था जब कि भारत स्थित अन्य सभी दूतावासों तथा राजदूतावासों ने अपने अपने देश के ध्वजों के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था ?

(ख) क्या सरकार इसे दैनिक प्रथा तथा विशेषाधिकार का उल्लंघन समझती है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की प्रास्थापना करती है ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि गोआ की जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन ने १५ अगस्त, १९५३ को दूतावास के सामने वाले चबूतरे पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था ?

(ङ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि उस दिन उस स्थान पर नियुक्त भारतीय पुलिस ने उस चबूतरे पर से ध्वज को बलात् उतार लिया था ?

(च) यदि ऐसा है, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) बम्बई स्थित पोर्चुगीज़ दूतावास ने १५ अगस्त, १९५३ को अपन भवन पर भारतीय ध्वज नहीं फहराया था । केवल पोर्चुगीज़ ध्वज ही फहराया गया था । हमें इस बात की कोई सूचना नहीं है कि भारत स्थित अन्य विदेशी नियोग तथा उनके दूतावासों ने उस दिन अपने देश के ध्वजों के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराया था ।

(ख) जी नहीं । यद्यपि अतिथि देश में उस के राष्ट्रीय दिवसों पर विदेशी दूतावासों

का ध्वज आरोहण अनिवार्य नहीं है इस प्रथा का कुछ देश नम्रता प्रकट करने तथा अन्योन्यता की भावना को बनाये रखने के लिए पालन करते हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को देखते हुए, यह उत्पन्न ही नहीं होता है।

(घ) प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई ध्वज न तो चबूतरे पर और न ही दूतावास के सामने वाली दीवाल पर फहराया गया था।

(ङ) और (च). भाग (घ) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को देखे हुए यह उत्पन्न ही नहीं होते हैं।

राजस्थान के लिए विद्युतशक्ति

४९५. **श्री मुरारका**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या, और यदि हां तो राजस्थान के किन जिलों को भाखड़ा नंगल योजना से विद्युत शक्ति दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): राजस्थान में वितरण के लिए विद्युत शक्ति दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

राजस्थान के लिए गृह निर्माण योजना

४९६. **श्री मुरारका**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी गृह निर्माण योजना के लिए राजस्थान की ओर से भारत सरकार को प्रतिनिधान किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या योजना राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई है अथवा किसी असरकारी व्यक्ति द्वारा ;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं पर, यदि कोई हों, विचार किया है ; तथा

(घ) तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) अभी तक राजस्थान सरकार ने अपनी कोई योजना नहीं भेजी है। इन सार्थों से औद्योगिक कर्मचारियों की राज्य सहायता प्राप्त गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं :—

(१) जयपुर उद्योग लिमिटेड, जयपुर।

(२) राज ट्रेडर्स लिमिटेड, जयपुर।

(३) दी महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड, मदनगंज।

(ग) और (घ). यह विचाराधीन हैं।

विदेशी शराब

४९७. **डा० अमीन**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि भारत में बनी "विदेशी" शराब की विदेशों में भारी मांग है ?

(ख) विदेशी शराबों के विषय में देश के निर्यात-व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(ग) १९४८ से १९५३ तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के निर्यात से अर्जित किया गया कुल विदेशी-विनिमय कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) सरकार के पास ठीक-ठीक सूचना नहीं है।

(ख) निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) सरकारी आंकड़ों में 'विदेशी' शराब का निर्यात पृथक् नहीं लिखा जाता

फिर भी एक विवरण, जिसमें १९५२-५३ तक समाप्त होने वाले पांच वर्षों से संबंधित सभी शराबों के निर्यात-मूल्य दिए गए हैं, संलग्न किया जाता है।

विवरण

१९४८–४९ से १९५२–५३ तक के पांच वर्षों में भारत से शराबों के निर्यात का (पुनर्निर्यात समेत) मूल्य

वर्ष	रुपयों में मूल्य
१९४८–४९	२,९९,४५९
१९४९–५०	१,७९,२४६
१९५०–५१	२,८४,३९६
१९५१–५२	५,५१,३०५
१९५२–५३	५,७१,२१५

जूट

४९८. **श्री एन० बी० चौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कच्चे जूट और जूट के माल के व्यापार आदि की पणन-रीतियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है; यदि नहीं, तो वह ऐसा कब करना चाहती है ; तथा

(ख) क्या इसके निर्देश-पदों में जूट की खेती की लागत और किसानों के लिए उचित दाम दिलाने संबंधी उपायों की सिफारिशें भी सम्मिलित होंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है ; दूसरे भाग का प्रश्न उठता ही नहीं।

(ख) हां। आयोग के निर्देश-पदों की एक प्रति संलग्न की जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३**]

हथकरघा-वस्त्र (निर्यात)

४९९. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में प्रत्येक बाहरी देश को निर्यातित होने वाले हथकरघा-वस्त्र की मात्रा कितनी है ?

(ख) जनवरी से अगस्त, १९५३ तक निर्यातित हथकरघा-वस्त्र की कुल मात्रा कितनी है, और किन-किन देशों को ?

(ग) पिछले वर्षों की तुलना में हथकरघा-वस्त्र के निर्यात-व्यापार में वृद्धि का प्रतिशतक कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है।

(ग) जनवरी-मई, १९५२ के समय में २१० लाख गज हथकरघा-वस्त्र का निर्यात किया गया था, जब कि १९५३ में तत्संवादी समय में २४२·३ लाख गज का निर्यात की वृद्धि लगभग १५·४ प्रति शत है।

वस्त्र (निर्यात)

५००. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ में जनवरी से जून के अंत तक (मास वार) सब प्रकार के वस्त्र के निर्यात की कुल मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): एक विवरण संलग्न किया जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५**]

लंका के लिए निर्यात

५०१. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या लंका सरकार ने उन भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध कोई शिकायत

मिली है, जो 'भारत में निर्मित' का चिह्न बिना लगाए ही लंका को माल का निर्यात करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसा न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई थी ; तथा

(ग) क्या माल का विदेशों को निर्यात होने से पहले यह जांचने के लिए कोई व्यवस्था है कि माल के ऊपर 'भारत में निर्मित' चिह्नित किया जाए ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत के निर्यातकों को एक प्रेस विज्ञप्ति तथा इस मंत्रालय के प्रकाशनों द्वारा यह परामर्श दिया गया है कि लंका को निर्यातित होने वाले सारे माल पर 'भारत में निर्मित' लिखा जाए । प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न की जाती है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय भण्डार विभाग, लन्दन

५०२. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय भंडार विभाग, लन्दन में इस समय कार्य करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) उनमें से कितने भारतीय हैं ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) ८१ ।

(ख) ४८ ।

कोयला तथा कोक पर उत्पादन-शुल्क

५०३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि १९५२-५३ में कोयला तथा कोक पर उत्पादन शुल्क की वसूली का सवयोग कितना है ?

(ख) उसके संग्रह का कुल व्यय कितना था, और उसके संग्रह के लिए किस विशेष व्यवस्था से काम लिया गया था ?

(ग) थाक जमाने के काम के लिए कोयला खानों के मालिकों, एजेंटों और प्रबंधकों को दिए गए अनुदान और अन्य सहायता की कुल राशि क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) रु० १,२२,१२,५०९–८–०

(ख) रु० २,४४,२५०–१२–०

उत्पादन कर रेलवे प्रशासन द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जो २ प्रतिशत संग्रह-व्यय के रूप में लेता है ।

(ग) रु० ६०,७७,०१३ ।

कारखाने के मजदूरों क लिए मकान

५०४. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए जो रुपया बजट में स्वीकार किया गया था, उसमें से भिन्न-भिन्न राज्यों को कितनी राशि मिली है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : राशियों का दिया जाना निर्माण की प्रगति से संबंधित है। अब तक विद्यमान वित्तीय वर्ष में रु० ५,०१,२५० की एक राशि दी गई है—रु० ७६,००० यू० पी० सरकार को और रु० ४,२५,२५० उड़ीसा की एक फर्म को ।

सुपारी

५०५. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चारों प्रदेशों में जनवरी जून, १९५३ के समय म सुपारी के आयात के अनुज्ञापत्र के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ?

(ख) पूरे देश में कुल मिलाकर कितने अनुज्ञापत्र दिए गए थे ?

(ग) कितने नवागतों को अनुज्ञापत्र दिए गए थे ?

(घ) इन नवागतों में कितने मद्रास राज्य के निवासी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) २०१५ ।

(ख) १३०० ।

(ग) ५०६ ।

(घ) १९८ ।

प्याज के निर्यात के अनुज्ञापत्र

५०६. **श्री मुनिस्वामी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य में प्याज के निर्यात के लिये कितने अनुज्ञापत्र प्रदान किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण के साप्ताहिक बुलेटिन में दी जाती है, जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय को नियमित रूप में प्रदान की जाती हैं ।

विकास-परिषदें

५०७. **श्री के० के० बसु**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग (विकास तथा बिनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन कितनी विकास परिषदें बनीं हैं ;

(ख) उन उद्योगों के नाम, जहां ये परिषदें बनी हैं ;

(ग) संबंधित परिषदों द्वारा बुलाई गई बैठकों की संख्या ;

(घ) उन नए अनुज्ञापत्रों की पृथक् पृथक् संख्या, जिनके लिए प्रत्येक उद्योग ने आवेदन दिया है ; तथा

(ङ) कितने अनुज्ञापत्र दिए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) दो ।

(ख) भारी रसायन (अम्ल और कृषिसार) और अन्त: प्रज्वलन इंजन और विद्युत चालित पम्प ।

(ग) भारी रसायन (अम्बल तथा कृषिसार) . . एक
अन्त: प्रज्वलन इंजिन तथा विद्युत् चालित पम्प दो

(घ) तथा (ङ). एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, २ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-४० प० म०

स्थगन प्रस्ताव

फरीदाबाद में टैक्निकल संस्था के मजदूर संघ के अध्यक्ष की भूख हड़ताल

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री वी० पी० नायर तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के स्थगन प्रस्ताव की पूर्वसूचना प्राप्त हुई है। इसमें फ़रीदाबाद में संघ के अध्यक्ष द्वारा की गई भूख हड़ताल का उल्लेख है, जो १८ अगस्त १९५३ को आरम्भ हुई थी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट): यह झगड़ा अप्रेल से चल रहा है। सरकार इस प्रश्न को पंचाट के पास भेजने से मना करती है। अतः इस सदन में प्रश्न उठाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : श्रीमान्, फ़रीदाबाद में टैक्निकल संस्था सहयता के रूप में दो वर्ष पूर्व स्थापित हुई थी। इसका मूल उद्देश्य विस्थापितों को व्यवसाय देना था और कुछ सीमा तक वह उद्देश्य पूरा भी हुआ है। इस संस्था में ४३५ व्यक्ति काम करते हैं।

दुर्भाग्यवश, इस संस्था में पिछले एक वर्ष में बड़ी गड़बड़ी रही है। पिछले दिसम्बर से अब तक कम से कम तीन हड़तालें हो चुकी हैं। प्रत्येक बार मैं ने उनकी मांगों को पूरा किया। वास्तव में, इससे इन व्यक्तियों को अधिक से अधिक तथा अनुचित मांग करने का प्रोत्साहन मिला।

जुलाई के आरम्भ में १७ मांगों की पूर्वसूचना प्रबन्धकवर्ग को दी गई। उनमें ११ या १२ मांगें पूर्णतः या आंशिक रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। पिछले मास की १८ तारीख़ को लगभग ३०० मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। यह अवैध हड़ताल थी और तीन दिन तक चली। इसके साथ ही श्री हुक्मचन्द ने भूख हड़ताल कर दी। उसकी दो बार डाक्टरी परीक्षा हो चुकी है। कल भी डाक्टरी परीक्षा की रिपोर्ट मेरे पास है। इस से स्पष्ट विदित होता है कि अभी तक 'डीहाईड्रेशन' तथा 'असेटोसिस' तथा निर्बलता के कोई चिन्ह नहीं हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि टैक्निकल संस्था का भविष्य या किसी मजदूर झगड़े का निर्णय भूख हड़ताल द्वारा नहीं हो सकता। हम भूख हड़ताल की धमकी के आधार पर कुछ नहीं कर सकते।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): श्रीमान्, माननीय मंत्री के भाषण में समस्त तथ्यों का वर्णन नहीं हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में मेरा सम्बन्ध तो केवल इतना है कि स्वीकृति दी जाये या नहीं ।

सदन में बार बार यह बताया गया है कि असुविधाओं को दूर करने के लिये भूख हड़ताल का उपाय अपनाना अवैध है । मैं कुछ तथ्य जानना चाहता था । मैं उन्हें पर र्श दूंगा कि उन्हें अपनी भूख हड़ताल शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर देनी चाहिये ।

मुझे खेद है कि मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अनुपस्थिति की, अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मुझे श्री बी० शिवाराव का एक पत्र प्राप्त हुआ है । उन्होंने लिखा है " मुझे आशा थी कि मैं अगस्त के अन्त तक स्वस्थ हो जाऊंगा । दुर्भाग्यवश मेरी प्रगति धीमी रही है और डाक्टरी परामर्श के अनुसार मैं चालू अधिवेशन के पूर्णकाल के लिये अनुपस्थित रहने के लिये बाध्य हूं । यदि आप मेरी ओर से अधिवेशन के पूर्ण काल के लिये सदन की अनुमति प्राप्त कर सकें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा ।"

क्या सदन श्री वी० शिवा राव को चालू अधिवेशन के अन्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति देने को तैयार है ?

माननीय सदस्य : हां ।

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्रीमती बी० खोंगमेन से एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है " मैं पिछले दो मास से बीमार हूं । मुझे भय है कि मैं लोकसभा के अधिवेशन में भाग न ले सकूंगी । क्या मैं आप से चालू अधिवेशन में अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिये प्रार्थना कर सकती हूं ।

क्या सदन श्रीमती बी० खोंगमेन को चालू अधिवेशन में अनुपस्थित रहने की अनुमति देने को तैयार है ?

माननीय सदस्य : हां ।

अनुपस्थिति की अनुमति दे दी गई ।

सदन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि कार्यक्रम मंत्रणा समिति की बैठक १ सितम्बर १९५३ को हुई थी । इसका उद्देश्य सरकारी कार्य की विभिन्न मदों के लिये, जिनका निश्चय चालू अधिवेशन के समाप्त होने से पहिले ही होना है, समय निश्चित करना था ।

समिति को सूचित किया गया था कि सरकार का विचार यह है कि सम्पदा शुल्क विधेयक तथा सम्पदा शुल्क दर विधेयक चालू अधिवेशन में पारित हो जाने चाहियें । सदन को पैप्सू के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के लिये अनुपूरक मांगों तथा प्रस्तावों के लिये भी समय निकालना है । समिति ने सम्पदा शुल्क विधेयक के खण्डों पर विचार करने के लिये एक विस्तृत समय तालिका बनाने के लिये एक उप-समिति भी नियुक्त की । इस की बैठक १ सितम्बर १९५३ को ४-३० अपरान्ह में हुई और उस न पांच सिफारिशें कीं । इस के अतिरिक्त उप-समिति ने यह विचार किया कि जब भी सन्ध्याकाल की बैठक आवश्यक हो, यह ४ बजे अपरान्ह

आरम्भ हो और रात के ६-३० पर समाप्त हो जाय ; यदि कार्य इसके पूर्व समाप्त नहीं होता है ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : निवारक निरोध अधिनियम पारित करते समय सरकार ने वचन दिया था कि एक वर्ष के भीतर सदन को चर्चा का अवसर दिया जायगा । परन्तु कार्य के सूची पत्र में इसका उल्लेख नहीं है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय) : श्रीमान्, क्या मैं आप को सूचित कर सकता हूं कि संसद के स्वतन्त्र दल ने सदन के नता को एक पत्र भेजा था और यह प्रार्थना की थी कि क्या वह निवारक निरोध अधिनियम के संचालन पर चर्चा करने के लिए कुछ समय देंगे ?

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, क्या मैं आपको डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मत्यु के कारणों की जांच सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का स्मरण करा सकता हूं ? क्या मैं सदन के नेता से यह जान सकता हूं कि क्या इस मामले पर शीघ्र ही विचार विनिमय करने के लिये कोई तिथि निश्चित की जायगी ?

प्रधान मंत्री तथा सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अन्तिम मामले को सर्वप्रथम लेने के लिये, श्रीमान् आप को ही प्रश्न की सुसंगति या महत्व के बारे में निश्चय करना है । गत घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस में दोनों में से कोई भी बात नहीं है । (**श्री एन० सी० चटर्जी** : यह सन्देह की बात है ।) माननीय सदस्य मुझे बोलने देंगे । यदि सदन चाहता है, या दूसरे पक्ष के सदस्य चाहते हैं, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं । परन्तु यह नियमित समय के पश्चात् ही होगा, चाहे आधी रात तक बैठना पड़े । हमें सामान्य कार्य करना होगा । अतः यह नियमित समय के बाहर ही होगा । मैं यह कह सकता हूं कि इन तथा अन्य विषयों पर निश्चय करना सम्पदा शुल्क विधेयक समाप्त होने के पश्चात् ही सरल होगा । तब हमें अपनी कार्य स्थिति का भली प्रकार ज्ञान हो सकेगा ।

एक बात और भी है । मैं ने वैदेशिक कार्यों पर एक वाद-विवाद के सम्बन्ध में सदन को आश्वासन दिया था । उसके लिये भी, यदि आप अनुमति दें तो, सम्पदा शुल्क विधेयक समाप्त होने के पश्चात, हम एक दिन निकालेंगे और जैसा कि मैं ने बताया कि दो घंटे या यदि सम्भव हो, अधिक समय अन्य चर्चा के लिये, जिसका सुझाव माननीय सदस्य, श्री चटर्जी ने दिया है, निकाला जा सकता है ।

इस निवारक निरोध विधेयक के सम्बन्ध में मुझे श्री एन्थनी से एक संवाद मिला था और मैं ने वह गृह-कार्य मंत्री को भेज दिया था । मुझे खेद है कि वह यहां नहीं हैं । गृहकार्य मंत्री ने कहा था कि वह स्वयं भी इस पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहते हैं । परन्तु उन्होंने उसी वक्तव्य का निर्देश किया जो उन्होंने सभा में दिया था जिसमें कहा था, मुझे विश्वास है, कि यह एक वर्ष के पश्चात् होगा । उन्होंने कहा था कि हम आगामी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं अथवा चाहे कुछ हो हम आगामी अधिवेशन में इस पर विचार विनिमय करने की आशा कर रहे हैं । इस अधिवेशन में नहीं । उस समय उनके पास तथ्य तथा आंकड़े तैयार होंगे । यह सम्भव हो सकता है--यदि सदन की ऐसी इच्छा है और वह इस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अधिवेशन के बीच कुछ तथ्य सदन के सम्मुख रखें, ताकि यह वर्त्तमान स्थिति के विषय में जान सके। परन्तु समय की दृष्टि से, इस अधिवेशन में इस के लिए समय निकालना कठिन होगा।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बारे में बहस करने के लिये हम लोगों को टाइम मिलना चाहिये। इस पर चीफ़ व्हिप के द्वारा मुझ को जवाब दिया गया है कि दूसरे सेशन में टाइम दिया जा सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा पब्लिक इम्पार्टेन्स (सार्वजनिक महत्व) का मामला है और इसके लिये इसी सेशन में कुछ समय मिलना चाहिये। मैं लीडर आफ़ दि हाउस से कहना चाहता हूं कि उन को आज इस सवाल पर भी कुछ कहना चाहिये था। अभी उन्होंने कई बातों का ज़िक्र किया लेकिन इस बात पर ज़रा भी नहीं बोले।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस का जवाब दूं ? मुझे ताज्जब हुआ, हैरत हुई और आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि मैं आनरेबल मेम्बर को जवाब नहीं देता।

श्री पी० एन० राजभोज : आप यहां पार्लीमेंट में अभी तक ज़रा भी कुछ नहीं बोले।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेम्बर साहब के इतने ख़तूत मेरे पास आते हैं कि बावजूद मेरे जवाब देने के दूसरा ख़त आ जाता है। मेरा सारा पेशा खाली उन के खतों का जवाब देने का ही नहीं रह गया है। फिर उन के ख़तों में उसी बात को दोहराया जाता है जिस का मैं जवाब दे चुका होता हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि जिस मसले का उन्होंने ज़िक्र किया वह बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर है कि यह हाउस उस को जितना वक्त दे, कम है। लेकिन सवाल है वक्त का और हाउस के गौर करने का। मैं कहना चाहता हूं कि कोई इन्तज़ाम होना चाहिये कि हाउस सात घन्टे बैठा करे, जैसे और हाउसेज़ बैठा करते हैं। चार पांच घन्टे में काम नहीं चलता। सात घन्टे बैठा करे तो शायद कुछ हो सके।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरा यह कहना है कि हम लोगों को भी टाइम मिलना चाहिये। यहां मैं देखता हूं कि काश्मीर, कोरिया और डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी के बारे में टाइम मिलता है, दूसरे मामलों में टाइम मिलता है, ज़िक्र होता है। मुझे कुछ न कुछ डेफ़िनिट जवाब मिलना चाहिये।

श्री के० के० बसु : वास्तव में निवारक निरोध विधेयक दिसम्बर तक समाप्त हो जायेगा। उन्होंने एक वर्ष के भीतर विचार विनिमय के लिये अवसर देने का वचन दिया था। अतः मैं आप से, श्रीमान्, और सदन के नेता से कुछ समय नियत करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप गृह-कार्य मंत्री से बात कर सकते हैं। इस बारे में मैं विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कह सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन विधान सम्बन्धी कार्य पर विचार करेगा।

समवाय विधेयक

वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समवायों तथा कुछ अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित विधि के संशोधन तथा

एकीकरण सम्बन्धी विधेयक के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

खंड २—(परिभाषाये)—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सम्पदा शुल्क विधेयक पर आगे विचार करेगा ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्री भगत का संशोधन मूल संशोधन में एक नवीन तत्व पुर:स्थापित करता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वित्त मंत्री वाद विवाद को संक्षिप्त करने के लिये एक वक्तव्य देना चाहते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं ने यह नहीं सोचा था कि परिभाषा करने के परिणामस्वरूप सदन में चर्चा इतनी लम्बी हो जायेगी । मेरा विश्वास इस तथ्य पर आधारित था कि आयकर संशोधन अधिनियम में भी जो पारित हो गया था, इस प्रकार का वर्णन था । मैं ने डेढ़ दिन तक अपने संशोधन पर हुई चर्चा को ध्यान पूर्वक सुना है और इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि अब इसे बढ़ाना बेकार है । मैं इसी दृष्टि से एक सुझाव रखता हूं ।

जैसा मैं ने कहा हम इन मृत्युओं की बात कर रहे हैं जो लोक अथवा पूर्त प्रयोजन के लिये दिये गये उपहार के दो वर्ष और ६ मास के बीच हों । वर्तमान खण्ड के अनुसार ६ मास के बीच के उपहारों पर विचार नहीं किया जायगा चाहे वे किसी भी प्रयोजन के लिये हों, और दो वर्ष से अधिक के उपहारों पर अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा । आंकड़ों के आधार पर मैं समझता हूं कि इस कालावधि के बीच की मृत्युओं की संख्या इतनी अधिक नहीं होगी जिस से कि किसी प्रकार का अन्तर पड़ता हो । मैं यही युक्ति देता रहा हूं कि इस से वस्तुत: कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि ये उपहार केवल उक्त कालावधि के बीच हैं । कोई भी यह उत्तर दे सकता है कि तब उस स्थिति में यदि आप इन बातों के अपवर्जन का अनुरोध न करे तो राजस्व को क्या हानि पहुंचेगी । दूसरा कारण जिस का मुझ पर प्रभाव पड़ा है यह है । व्याख्या द्वारा हम ने कई अपवर्जनों की अनुज्ञा दी है । हम ने स्त्रियों और बच्चों के सम्मिलित होने की भी अनुज्ञा दी जिन की व्याख्या में मैं ने बताया कि व किसी भी सम्प्रदाय के हो सकते हैं । फिर यह कठिन प्रश्न है कि क्या सम्प्रदाय से जाति का अभिप्राय है । इस सम्बन्ध में बहुत से संशोधन हैं । मैं स्वयम भी इस की स्पष्ट परिभाषा के प्रयास का विरोध करता हूं । इस लिये यह मामला उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर छोड़ दिया जाएगा और तब और उलझनें होंगी । इस प्रश्न का व्यवहारिक दृष्टि-कोण लेते हुए और उन सिद्धांतों में से किसी को भी न छोड़ते हुए जिन से मैं यह परिभाषा बनाते हुए प्रभावित हुआ हूं, मैं समझता हूं कि मैं इस विशेष भाग को वापस ले लूं जिस के किसी धार्मिक सम्प्रदाय के प्रति स्पष्ट निर्देश है । मेरे समक्ष कठिनाई यह है कि यदि मैं संशोधन को वापस लूं, तब कोई परिभाषा नहीं रहेगी । दूसरी ओर ऐसे कोई संशोधन नहीं हैं जिन्हें मैं पूर्णत: स्वीकार कर सकूं । मैं श्री टेक चन्द की युक्तियों से प्रभावित हुआ था जब उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ कहा जाना चाहिये कि क्या पूर्त देश में अथवा देश के बाहर के प्रयोजनों के लिये हैं । उस के लिये भी आय-कर अधिनियम के

श्री सी० डी० देशमुख

हाल के संशोधन में एक समानता है। मैं समझता हूं कि वैसा ही उपबन्ध करने के लिये हमें "भारत के क्षेत्र में" शब्द जोड़ देने चाहियें। दूसरी ओर उन के संशोधन में धार्मिक पूजा अथवा शिक्षा इत्यादि शब्दों का कुछ सुधार सम्मिलित है। जैसा मैं ने कहा मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि हमें इस कठिन प्रश्न की ओर यहां निर्देशन नहीं करना चाहिये था। इस के लिये यह जगह नहीं है। यदि इस पर विवाद करना है तो यह खुले वातावरण में और धार्मिक तथा पूर्त प्रयोजनों की ओर आकस्मिक निर्देशन के बिना होना चाहिये। मेरे विचार में सब से अच्छा तो यह होगा कि लोक पूर्त प्रयोजन की परिभाषा की जाय जिस में दरिद्र की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, और सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य की प्रगति सम्मिलित हैं, तथा इसे यहां छोड़ दिया जाये। यदि सभा तत्कालिक संशोधन की अनुज्ञा दे जो कि प्रस्तुत किये गये सब संशोधनों का सम्मिश्रण होगा, तो फिर हम अन्य खण्डों पर विचार आरम्भ कर सकते हैं।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य): तो उस स्थिति में क्या परिभाषा भी नहीं रहेगी ?

१० म० पू०

श्री एन० सी० चटर्जी : यह विवेक-पूर्ण सुझाव है। सभा को इसे तुरन्त स्वीकार करना चाहिये ताकि अन्य खण्डों पर विचार आरम्भ किया जाय।

श्री एस० एस० मोरे: (शोलापुर) क्योंकि श्री चटर्जी ने वित्त मंत्री के सुझाव को विवेक-पूर्ण कहा है, हमें संदेह उत्पन्न हो गया है कि सरकार प्रतिक्रियावादियों के सामने झुक गई है। इस लिये मैं अपने पूर्व संशोधन के लिये अनुरोध करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा मांगूं तो माननीय सदस्य के संशोधन का कोई आधार नहीं रह जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री औपचारिक रीति से संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २ में पंक्ति ४६ के पश्चात्

"(16-A) 'Public charitable purpose' includes relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility within the territory of India."

["(१६-क) 'सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य' में, भारत के राज्य-क्षेत्र में, दरिद्रों की सहायता शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सामान्य लोक उपयोग के किसी अन्य उद्देश्य का सम्वर्धन सम्मिलित है।"]

जोड़ा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री मोरे को बोलने का अवसर देने के सम्बन्ध में न केवल वित्त मंत्री को संतोष दिलाया जाना चाहिये वरन सारी सभा को। इस लिये उन्हें अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा संशोधन किसी संशोधन में संशोधन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह एक स्वतंत्र संशोधन है तो प्रस्तोता को इसे प्रस्तुत करने के साथ साथ इस के समर्थन में अपनी सम्मत्ति भी प्रकट करने का अधिकार है । वित्त मंत्री जी का पहिले इस संशोधन को स्वीकार करने का विचार था, किन्तु अब वह समझते हैं कि इस के स्थान में एक नया संशोधन प्रस्तुत करना ही अच्छा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि वे इस संशोधन पर बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं और वे वही युक्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि वे मूल संशोधन के सम्बन्ध में करते । मैं नहीं समझता कि इस से उन्हें हानि क्या है ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय वित्त मंत्री ने अभी जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर मत लिया जायेगा । मैं भी आप की अनुमति से, अपने संशोधन पर वस्तुत: मत लेना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मत लिया जायेगा । इस में कोई कठिनाई नहीं होगी । परन्तु मैं उन्हें उन के मूल संशोधन पर बोलने का अवसर नहीं दे सकता, वे माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बोल सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन अनियमित नहीं ठहराया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । यदि वह इस संशोधन पर बोलना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : मैं ने यह पूछा था कि क्या मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान संशोधन में अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अर्थात् वह वित्त मंत्री के संशोधन में कुछ जोड़ना या उस का कुछ अनुपूरक अंग बनाना चाहते हैं । वह इसे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री दामोदर मेनन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"but does not include any purpose which is expressed to be for the benefit of any particular religious community;

Explanation.—A purpose which is expressed to be for the benefit of scheduled castes, backward classes, scheduled tribes or of women and children shall not be deemed to be for the benefit of a particular religious community within the meaning of this clause."

["परन्तु इस में कोई ऐसा प्रयोजन सम्मिलित नहीं है जो कि किसी सम्प्रदाय विशेष के हित के लिये व्यक्त किया गया हो;

व्याख्या.— अनुसूचित जातियों, पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित आदिम जातियों या स्त्रियों और बच्चों के हित के लिये व्यक्त किया गया कोई प्रयोजन इस खण्ड के अधीन किसी सम्प्रदाय विशेष के हित के लिये किया गया नहीं समझा जायेगा ।"]

श्री एस० एस० मोरे : वित्त मंत्री जी ने आज जो कुछ कहा उस से मुझे बहुत दु:ख हुआ ।

श्री बर्मन : मैं माननीय वित्त मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पूछ सकते हैं ।

श्री बर्मन : पिछला भाग अब हटा दिया गया है जिस के सम्बन्ध में कल वित्त मंत्री जी न कहा था कि यही वाक्य खण्ड आय-कर अधिनियम की धारा १५ (ख) में भी आता है और उस सम्बन्ध में यह कहा गया था कि यदि वित्त मंत्री का यह संशोधन बना रहा, तो मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को दिये गये उपहार 'सार्वजनिक पूर्त्त निमित्त' दिये गये उपहारों में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। उस के हटा दिये जाने पर क्या स्थिति होगी ? क्या इस से धार्मिक गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य चीज़ों के विषय में आय-कर अधिनियम और इस अधिनियम के प्रवर्त्तन में कोई अन्तर पड़ेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उस में और इस में भेद करना ही तो इस का उद्देश्य है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिस में मैं यह चाहता था कि किसी सम्प्रदाय या जाति विशेष के हित के लिये किये गये उपहारों को इस में न सम्मिलित किया जाये। परन्तु इस के साथ ही अनुसूचित जातियों, पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित आदिमजातियों के हित के लिये दिये गये उपहारों को अनियमित न ठहराया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान संशोधन से उसे अनियमित नहीं ठहराया गया।

श्री एस० एस० मोरे : इसे अनियमित नहीं ठहराया गया। परन्तु बहुत से सदस्यों ने यह शिकायत की थी सवर्ण हिन्दुओं या अन्य धर्मावलम्बियों के साथ भेद-भाव किया गया है। श्री चटर्जी ने कहा था कि विधवाओं को दिये गये उपहार को भी इस में सम्मिलित क्यों न किया जाये ? मैं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में वह विशेष सुविधा इस लिये देने के लिये कहा था क्योंकि संविधान के भाग १६ में कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्धों की व्यवस्था की गई है।

श्री एस० एस० मोरे : मैं आगे यह दलील दूं कि हम ने अपने संविधान की प्रस्तावना में इस बात का आश्वासन दिया है कि "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" होगी। मैं विशेष रूप से हिन्दू जाति तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा। जहां तक हमारे इतिहास का प्रश्न है, विविध स्मृतियों और विभिन्न ऋषि-मुनियों के वचनों के अनुसार हमारी हिन्दू जाति "चार वर्णों" में विभक्त की गई है, और अब वे ही "चार वर्ण" ३०० जातियों में बंट चुके हैं। हां, इस समय कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो यह मानते हैं कि केवल दो वर्ण हैं—अर्थात् पहले ब्राह्मण और उस के बाद बाक़ी सब लोग जिन्हें शूद्र गिना जाता है। मैं इतिहास की उन सब बारीकियों में नहीं जाना चाहता, बल्कि यह सचाई बताना चाहता हूं कि मनु तथा अन्य स्मृतिकार ऋषि-मुनियों ने समाज को हर चार "वर्णों" में विभक्त करते समय ऊपर के दो वर्णों—यानी ब्राह्मणों और शूद्रों को कई विशेषाधिकार दिये जब कि अन्य "वर्णों"—यानी वैश्यों और शूद्रों को मानव जाति से कम दर्जा दिया गया। मैं मनुस्मृति अपस्तम्भ सूत्र आदि का अध्याय और श्लोक उद्धृत नहीं करना चाहता, किन्तु इतना कह देना चाहता हूं कि यदि कोई शूद्र वेद पढ़ले तो उसे दण्ड दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब बातें किस प्रकार इस विषय से संगत हैं।

श्री एस० एस० मोरे : यही कारण है कि इन सभी तथाकथित शूद्रों—विशेषतया अस्पृश्यों—को संपत्ति का संचय करने की आज्ञा नहीं दी जाती थी। श्रेष्ठ वर्णों को स्वाम्यनिष्कासन की आज्ञा दी जाती ताकि वे शूद्र की संपत्ति पर अधिकार पा लेता; और यह सब इसी लिये होता था कि शूद्र को एक

दास समझा जाता था । यही कारण था कि उसे संपत्ति बटोरने और शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाता । और इस के परिणामस्वरूप हमारे देश में ऐसी भिन्न भिन्न जातियां बनी हैं जो सांस्कृतिक विकास तथा शिक्षासम्बन्धी विकास में एक दूसरे से बहुत ही दूर हैं । यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के व्यवहार या व्यापार में रहते हुए, देश के सभी व्यक्तियों से लाभ कमा कर, धन जोड़ता है तो उस की उस संपत्ति को किसी विशेष जाति या समुदाय पर ही क्यों खर्चा जाता है । अंग्रेजों की नीति और हमारी प्राचीन प्रथाओं के कारण हम ने देश में राष्ट्रीय देशभक्ति को नहीं बल्कि जातीयता की भक्ति को बढ़ावा दिया है । लोकहितकारी व्यक्ति भी दान देते समय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि किसी विशेष जाति या समुदाय के हितों को ही दृष्टि में रखा करते हैं । यदि आप की आज्ञा हो तो मैं डा० घुड्ये की पुस्तक "कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया" से उद्धृत कर के आप को सुना दूंगा कि किस प्रकार लोगों ने अपनी-अपनी जातियों के लिये भिन्न भिन्न नगरों में मकान बनवा रखे हैं, और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्तियां नियत कर दी हैं । यदि आप बम्बई या पूना विश्वविद्यालय की वर्ष-पत्री एवं नियमावली को देखें तो आप को पता चलेगा कि किस तरह लोगों ने अपनी जाति और विशेष उपजातियों के विद्यार्थियों के लिये जगहें, पुरस्कार, और छात्रवृत्तियां नियत की हैं । हां, केवल अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को इस तरह का कोई विशेष अनुग्रह अथवा आश्रय प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन की कोई भी संपत्ति नहीं है और न उन के उन की जाति में ऐसे धनिक हैं जो इस तरह दान का आश्रय देते जिस से जातीय भेदभाव को बढ़ावा मिलता और खूनखराब जाता ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जातीयता के भूत को समाप्त करने में मैं भी पंडित जी के साथ हूं, और इस मामले में मुझे उन की ईमानदारी पर कोई भी सन्देह नहीं । हम राष्ट्रीय भावनाओं की रट लगाते हैं, एकता की डौंडी पीटते हैं, और देश में विविधता में एकता पैदा करना चाहते हैं और इसी की रट लगाते हैं किन्तु क्या हमारे इस वर्तमान आचरण से ऐसी बात कभी बन सकती है क्या ? यदि समुदायवाद, जातिवाद और वर्णवाद की बातें चलती रहीं तो कभी भी राष्ट्रीय एकता और दृढ़ता नहीं पैदा हो सकती ।

इस विवाद से मुझे एक बात में आश्वासन मिला है कि हिन्दू महासभा के नेता श्री चटर्जी को बाहर इतनी मान्यता प्राप्त नहीं जितनी कि कांग्रेसी दल में उन्हें प्राप्त है । मेरा यह अनुभव है कि बहुत से तथाकथित कांग्रेसी राजनीतिक प्रतिक्रियावादी ही नहीं अपितु सामाजिक प्रतिक्रियावादी हैं । आप सामाजिक सुधार का इतिहास देख लीजिये तो आप को पता चलेगा कि कांग्रेस सदा से राजनीतिक स्वतन्त्रता को प्रतिपादित करती रही है और यह कहती रही है कि हम पहले घरेलू मामलों के स्वामी बनें और बाद में हम सामाजिक सुधार करेंगे । वित्त मंत्री जी सभी प्रकार के उपहारों और दानों को अनियमित नहीं ठहराते; यदि दो वर्ष पहले दान या उपहार दिये जायें तो कोई भी विशेष जाति उन का लाभ उठा सकती है । वह तो केवल असांप्रदायिक अथवा जातिभेदरहित दान के लिये रियायत देना चाहते थे किन्तु उस का भी घोर विरोध किया गया ।

श्री सी० डी०देशमुख: स्त्रियों और बच्चों को ।

श्री एस० एस० मोरे : हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार उन्हें शूद्र समझा जाता है, अत: मैं उन के विरोध में कुछ भी नहीं कह सकता । उन्हें हर किसी बात का श्रेय दिया

[श्री एस० एस० मोरे]

जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन पुराने ब्राह्मण स्मृतिकारों की यह मनोवृत्ति नहीं समझ सका कि.....

उपाध्यक्ष महोदय : बच्चों के सम्बन्ध में क्या रहा ?

श्री एस० एस० मोरे : उपनयनम् (यज्ञोपवीत) से पहले वे शूद्र समझे गये हैं, उस के बाद की बात मैं नहीं जानता। क्या शास्त्रों का मान-सम्मान करने वाले व्यक्ति सचमुच इन बातों पर चलते हैं ? अब तो उन का अपना व्यापार चला करता है। मैं मनुस्मृति से ही पढ़ के सुना दूंगा कि जो ब्राह्मण कोई व्यवसाय करता है, वह सच्चा ब्राह्मण नहीं माना जाता।

इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा यह उद्देश्य है कि हमें लोगों को जातीयता के इस ढर्रे पर से हटा देना चाहिये। ऊंचे वर्णों और जातियों के लोगों ने सभी उद्योगों, सभी सरकारी कार्यालयों और सभी प्रकार के व्यापार का ठेका ले रखा है और वे ही औरों के श्रम से संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। अतः जब भी उन्हें दान देने का मौका मिलता है, तो उन के उस दान से केवल उन की जाति को लाभ नहीं पहुंचना चाहिये। यदि आप लोगों की रग रग में राष्ट्रीयता की भावना भरना चाहते हैं, तो मौखिक भाषणों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जातिवाद और संप्रदायवाद के रागद्वेषों को उतार फेंकना पड़ेगा। यदि कोई संप्रदाय या जाति अपनी होड़ लगा कर अपना अस्तित्व बनाना चाहती हो, तो स्वभावतः अन्य जातियां भी वैसा ही करती रहेंगी। यदि ऊपर वाले वर्णों या जातियों या उच्च वर्गों के लोग शान्तिपूर्वक कर नहीं देते तो मुझे इस बात का डर है कि किसी दिन वे दलित लोग कानून को अपने हाथ में संभाल कर विप्लव मचायेंगे, क्योंकि आप का यह कानून समाज में कोई भी समानता नहीं पदा कर रहा है। उद्देश्य तथा कारण विवरण में बताया गया था कि इस विधेयक का सामाजिक उद्देश्य है, और समाज को दृष्टि में रखते हुए इसे न्याय्य माना गया है। और अब चूंकि माननीय वित्त मंत्री ने श्री भगत के संशोधन के पक्ष में अपना संशोधन वापिस लिया है, अतः मुझे डर लग रहा है कि मंत्री जी अपनी ही घोषणा का विरोध कर रहे हैं। वह सामाजिक न्यायसंगति छोड़ कर आर्थिक पहलू पर ही ज्यादा ज़ोर दे रहे हैं, और मैं सामाजिक पहलू पर ज़ोर देना चाहता हूं। इसीलिये मैं ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। अभी भी मैं यह अनुभव करता हूं कि सरकार को दान की सभी बातें बिल्कुल हटा देनी चाहियें। हमारा वर्तमान राज्य जन कल्याण राज्य है। इसे ठीक अर्थ में जन कल्याण राज्य बनना चाहिये—इस राज्य की व्यवस्था इस प्रकार की हो कि देश में विधवा को—वह चाहे हिन्दू, मुस्लिम, हरिजन या किसी भी जाति की हो—सहायता मिले। हमारे इस राज्य को चाहिये कि वास्तव में, सभी लोगों को पितृत्व प्रदान करे। और यदि सरकार इसे जन कल्याण राज्य बनाना चाहती है तो इस प्रकार के सांप्रदायिक अथवा जातीय दान की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदस्य को दान के सम्बन्ध में साधारण रूप से अपना मत प्रगट करने का अवसर तभी मिलेगा जब हम खण्ड ९ पर पहुंचेंगे। उन्होंने इस समय जो भी बातें बताई हैं, वह खण्ड ९ के संदर्भ में अधिक संगत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पुनः क्यों कहें। मैं तो उन्हें भाषण समाप्त करने का समय दे रहा हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं श्री देशमुख की बात स्वीकार करता हू।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और दो एक वाक्य कह कर भाषण समाप्त कर सकते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : आप मुझे सदा के लिये चुप नहीं करा सकते । यहां की कार्य-विधि ऐसा नहीं होने देगी । अतः मेरा यह निवेदन है कि मुझे इस बात पर बड़ा खेद हो रहा है कि श्री देशमुख को अपना संशोधन वापिस लेने के लिये कहा गया, और यदि वह देश की प्रतिक्रियावादी राय के सामने झुकते जायें तो १५ अगस्त को प्रधान मंत्री द्वारा की गई यह घोषणा ठीक नहीं उतरेगी कि हमें जातिवाद को उड़ाना है। और इस के विरुद्ध हम संप्रदायों और जातियों की बात सोचते रहेंगे, यहां तक कि हमारे देश में ३,००० राष्ट्र बनेंगे--यानी यहां की एकता नष्ट होगी । कल श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने बताया कि हिन्दू अपने में एक राष्ट्र हैं । इस बात को सुन कर अनुसूचित जातियां, माहर और मोगर भी अपने बारे में यही बतायेंगे कि हम भी एक राष्ट्र हैं । यदि इस प्रकार की बात हुई तो देश पर क्या गुजरेगी ।

श्री दामोदर मेनन : मैं श्री बी० आर० भगत के नाम दिये गये संशोधन के अन्तर्गत सिद्धान्त से पूरा पूरा सहमत हूं, अतः इस संशोधन पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था; किन्तु आज मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माननीय वित्त मंत्री सारा संशोधन वापिस ले रहे हैं । (**अन्तर्बाधा**)।

श्री आर० के० चौधरी : सूचना के हेतु । वित्त मंत्री किस तरह श्री भगत का संशोधन वापिस ले सकते हैं ?

श्री दामोदर मेनन : यह सरकारी संशोधन है ।

श्री एस० एस० मोरे : श्री भगत सरकार का ही एक पुर्जा है ।

श्री दामोदर मेनन : जब भी किसी प्रगति के सम्बन्ध में सोचा जाता है तो प्रावैधिक कठिनाइयां वकीलों द्वारा बताई जाती हैं, और यहां तो वित्त मंत्री विरोध का सामाना नहीं कर सके हैं । मैं तो कभी भी उन्हें कायर नहीं समझता था । इस में सिद्धान्त की बात है कि.....

श्री सी० डी० पांडे (ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा--दक्षिण पश्चिम व ज़िला बरेली--उत्तर) : वह बुद्धिमान हैं ।

श्री दामोदर मेनन : ....क्या हमें इस देश में अब सभी प्रकार के संकीर्ण और जातीय द्वेषों तथा सांप्रदायिक भेदभावों के विरुद्ध प्रत्यक्ष संग्राम करना चाहिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने इतना ही कहा कि इस प्रकार का संग्राम लड़ने के लिये हमें और कोई समय या अवसर रख लेना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन : सरकार हमेशा यही बात कहती रही है । सदन में जब कभी इस प्रकार का मौका आता है कि संकीर्ण, सांप्रदायिक भावनाओं को सर्वसम्मत रूप से घृणित ठहराया जाता है तो कोई न कोई प्रावैधिक कठिनाई पेश की जाती है, और बताया जाता है कि अब भविष्य में इस पर विचार किया जायगा । हम किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के हित के लिये किसी भी प्रकार का दान या आश्रय या सहायता प्रतिषिद्ध तो नहीं करते, अतः मेरी समझ में नहीं आता कि श्री भगत द्वारा प्रस्थापित संशोधन क्यों नहीं माना जाना चाहिये । वे दान देते रहें, हमें उस से कोई मतलब नहीं; उन्हें तो केवल कर देना पड़ेगा । इस प्रकार हम देश में फैली सांप्रदायिक भावना का नम्रता पूर्वक तिरस्कार कर सकते हैं । शताब्दियों से हम इस बात से अभिशप्त हैं कि लोग अपने विशेष

[श्री दामोदर मेनन]

समुदाय या जाति के हित के लिये ही आश्रय या दान देते हैं। किन्तु स्वतन्त्र भारत में इस प्रकार की बात क्यों हो ? इन दानी भद्रपुरुषों से क्यों न कहा जाय कि वे अन्य जातियों के लोगों को भी अपने दान से लाभान्वित करें। यदि हम अब भी चूक गये तो कभी भी प्रतिक्रियावाद का सामना नहीं किया जा सकता। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन का, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है समर्थन करें और इसे आगे बढ़ा दें।

एक माननीय सदस्य : वह इसे वापिस ले चुके हैं।

श्री दामोदर मेनन : अब भी यह मेरा संशोधन स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि इस में हमारे घोषित सिद्धान्तों पर वापिस जाने का कोई भी प्रश्न नहीं है।

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीमान्, मैं बोल सकता हूं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाय।"

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : क्या श्री दामोदर मेनन का यह तकाज़ा है कि जातियों का अर्थ सदा धार्मिक संप्रदाय हुआ करता है ? क्या कोई न्यायालय इस का समर्थन करेगा ?

श्री दामोदर मेनन : प्रश्न यह है कि क्या.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समाप्त कर चुके हैं।

श्री दामोदर मनन : क्योंकि उन्हों ने प्रश्न पूछा है.....

श्री सी० डी० पांडे : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि प्रश्न किया जाय।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : आप उन्हें प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दे सकते। अब प्रश्न क्यों पूछा जाय ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी प्रश्न के पूछने की मनाही नहीं कर सकता। (**श्री के० के० बसु** की अन्तर्बाधा) !

श्री एस० एस० मोरे : उन का उद्देश्य पूरा हुआ है।

श्री दामोदर मेनन : मेरा तकाज़ा इतना ही है और यह स्पष्ट भी है। हम यह नहीं चाहते कि किसी विशेष संप्रदाय या संकीर्ण जाति के हित के लिये किसी भी प्रकार का दान दिया जाय। उन की शिकायत है कि इस से वांच्छित वस्तु नहीं मिल सकती। हमारे कानूनी मित्रों ने इस प्रकार की प्रावैधिक बातें उठाई हैं। जब भी सदन के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रस्थापना होती है तो वे हमें यह नहीं सुझाते कि कठिनाइयों को किस तरह पार किया जा सकता है। वे कोई ऐसी कानूनी शब्दावली भी नहीं बनाना चाहते जिस से इस संशोधन में आया हुआ सिद्धान्त व्यक्त किया जा सके। इसीलिये मैं यह कहता हूं कि कानूनी उलझाव हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं। हां जब कठिनाइयां भी होंगी तो न्यायालय उन का निर्णय दे सकता है। हम इस संशोधन को स्वीकार करें और यह सिद्ध करें कि हम इस बात के नितांत विरुद्ध हैं कि देश में सांप्रदायिक भावनाओं और सांप्रदायिक दान की बात चलती रहे।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : क्या मैं औचित्य प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहस हो चुकी है। (**श्री के० के० बसु** की अन्तर्बाधा) शान्ति, शान्ति। मैं सदन का अभिप्राय ज्ञात करूंगा।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, मेरी प्रार्थना है कि आप भिन्न भिन्न वर्गों को अपना मत व्यक्त करने दीजिये। कल हम पांच बार उठे और हम से कहा गया कि हम आज बोल पायेंगे। किन्तु अब प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री पी० एन० राजभोज : अनुसूचित जातियों का दृष्टिकोण सदन के समक्ष नहीं आया है।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : हम कई बार उठे हैं परन्तु हमें अवसर नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी विशेष खण्ड पर पांच सौ के पांच सौ सदस्य नहीं बोल सकते।

श्री के० के० बसु : इस पर प्रतिबन्ध क्यों होना चाहिये ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में प्रतिबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री तुलसीदास : एक औचित्य प्रश्न है, श्रीमान। प्रवर समिति का वह सदस्य जिस ने सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य के इस विशिष्ट प्रश्न के विषय में कोई विमति-टिप्पणी नहीं लिखी है और प्रवर समिति के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्ति की है क्या उन के लिये यह उचित है कि इस प्रश्न को प्रवर समिति में न उठा कर वहां उठा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो विषय हैं। जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है उस की समाप्ति का प्रस्ताव रख दिया गया है। जहां औचित्य प्रश्न का सम्बन्ध है साधारणतया प्रवर समिति के सदस्य को सब कुछ समिति के सामने ही कहना चाहिये। अन्यथा विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का उद्देश्य अपूर्ण ही रह जायगा। यदि वह मूलभूत प्रश्नों पर असहमत हैं तो उन्हें विमति–टिप्पनी में ऐसा करना चाहिये। जब तक कि इस के पक्ष में प्रबल विचारधारा न हो इस के विषय में यहां कहना उचित नहीं है। यद्यपि इस के अपवाद हैं। मैं इस पर निर्णय नहीं देना चाहता किन्तु इसे रोकने के सम्बन्ध में भी कोई नियम नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि अब मत लिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय वित्त मंत्री के संशोधन में संशोधनार्थ, श्री दामोदर मेनन का प्रस्ताव रखूंगा :

सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य की परिभाषा के सम्बन्ध में श्री सी० डी० देशमख द्वारा प्रस्तावित संशोधित संशोधन में, अन्त में जोड़िये :

"किन्य इस में वह कार्य सम्मिलित नहीं है जो कि किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के लाभार्थ किया गया हो;"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे एक प्रस्ताव उपस्थित करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोरे के संशोधन के विषय में मुझे भय है कि वह रोक दिया गया है। अभी सार्वजनिक धर्मार्थ कार्य के सम्बन्ध में संशोधन किया गया है। और दूसरा संशोधन भी इसी परिभाषा से सम्बन्धित है। हम एक म्यान में दो तलवारें नहीं रख सकते। इसी लिये इसे तथा अन्य संशोधनों को रोक दिया गया है।

अब मैं प्रस्तुत खण्ड को सदन के समक्ष मत की अभिव्यक्ति के लिये रखूंगा।

श्री एस० एस० मोरे : उक्त परिभाषाओं से सम्बन्धित कुछ और संशोधन

[श्री एस० एस० मोरे]

भी हैं। पूर्व अवसर पर आपने कहा था कि पहले सरकारी संशोधन लेने के पश्चात निजी संशोधनों पर विचार किया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस विषय में कोई भ्रम है तो मैं सब प्रस्ताव रखने की अनुमति दूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला मथुरा—पश्चिम): बहस केवल श्री देशमुख के संशोधन तक ही सीमित थी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरे उपखंडों के अन्य संशोधन को भी यहां रखने की अनुमति दूंगा। माननीय सदस्य कौन कौन से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं!

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : मुझे भी संशोधन ४६८ रखना है।

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़) : मुझे ३७० रखना है।

श्री तुलसी दास : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि संशोधन सं० ५ समनुवर्त्री संशोधन है। अतः मैं इसे रखना चाहता हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं संशोधन ४६९ रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः रखे जाने वाले संशोधन ५, ३७० और ४६९ हैं।

श्री तेलकीकर :

पृष्ठ १ पंक्ति २४ के अन्त में लिखिये:

"और 'मृत' और 'मृत्यु' में वैध मृत्यु सम्मिलित है जैसा कि संसार को परित्याग करने वाले सन्यासी की मामले में;"

जब मैं ने यह संशोधन प्रस्तावित किया था मेरा विचार यह था कि सरकार कर वसूल करने के सूक्ष्मतम अवसर को न खो दे। परन्तु अब मेरा विचार है कि उसका कुछ अधिक महत्व है। 'मृत्यु' की परिभाषा की वर्तमान रचना से जब उसे खण्ड ६ के साथ पढ़ा जाता है, करों में टाल मटूल करने के अवसर और अधिक बढ़ जाते हैं। कानून की अवहेलना किये बिना ही मृत्यु के चन्द घण्टों पूर्व सन्यासी बन कर वह ऐसा कर सकता है। इंग्लैण्ड के कानून की दृष्टि से यह सर्वथा ठीक है किन्तु भारतीय परम्पराओं और हिन्दू विधि की पृष्ठभूमि में यह बिल्कुल अनुचित है और इससे विधान का अभिप्राय विजित हो जायगा। पांचवे खण्ड के अनुसार हम उस व्यक्ति की मृत्यु होने तक उसकी सम्पदा पर कर नहीं लगा सकते। सन्यासी की दीक्षा ग्रहण कर लेने की स्थिति में हम उसकी सम्पदा पर करारोप नहीं कर सकते। अतः यहां मृत्यु प्राथमिक वस्तु है हमें 'सन्यासी' की मृत्यु तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कानूनी व्यवस्था सर्वथा भिन्न है। सम्पदा पर करारोप नहीं किया जा सकता, सन्यासी किसी सम्पदा का अधिकारी नहीं होता और न वह सम्पदा को बेच ही सकता है। खण्ड ६ के अनुसार हम उसी सम्पदा पर कर लगा सकते हैं जो उसकी मृत्यु के पश्चात् पारित होती है। 'संन्यासी' की दशा में सम्पदा का पारित होना सम्भव नहीं है यही तथ्य उसकी मृत्यु पर भी सही है अतः सम्पूर्ण सम्पदा शुल्क से मुक्त रह जाती है। सारा कर टाला जा सकता है। फिर, हिन्दू विधवा की मृत्यु भी अनेक जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है। हिन्दू नारी की मृत्यु से मेरा तात्पर्य हिन्दू महिला का पुनर्विवाह है। यह उसकी विध्यनुकूल मृत्यु समझी गई है। इससे उसके प्रथम पति अथवा मृतपति के परिवार में अनेक जटिलताओं की सृष्टि हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य कुछ और समय लेकर बाद में कहेंगे : 'इस धारा में मृत्य का अर्थ व्यावहारिक मृत्यु से है' हमें इस परिभाषा को अधिक भाररुद्ध

नहीं बनाना चाहिये । हम इसे शारीरिक मृत्यु कहेंगे ।

अब संशोधन सं० ४६९ है ।

श्री एस० एस० मोरे ने 'सम्पदा' की परिभाषा के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया और कहा, मैंने वित्त मंत्री से प्रार्थना की थी कि उनकी सम्पदा की परिभाषा सीमित है अतः मैं सम्पदा की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

श्री एच० जी० वैष्णव : मैं संशोधन उपस्थित करता हूं :

पृष्ठ ३ पर

पंक्ति ३ के पश्चात् प्रविष्ट कीजिये —

'(२०) "मृत्यु" में सांसारिक पदार्थों को परित्यक्त करने वाला सन्यासी अथवा किसी व्यक्ति के विरक्त हो जाने से उत्तन्न विध्यनुकूल मृत्यु भी सम्मिलित है; और

(२१) "आकस्मिक मृत्यु" का अर्थ है मृत व्यक्ति के नियंत्रण से परे किसी भी दुर्घटना जन्य मृत्यु ।

मैंने उक्त संशोधन इसलिये प्रस्तुत किये हैं कि कर से बचने के अवसर कम किये जा सकें । मैं एक पूर्व मामला लेता हूं । किसी व्यक्ति के पास पांच लाख की सम्पत्ति है । किसी भी क्षण उसकी मृत्यु की सम्भावना की जा सकती है । उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद ही सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसकी सम्पत्ति पर करारोप कर दिया जायगा । किन्तु जीवन काल में ही सन्यासी बन जाने की स्थिति में क्या होगा । सम्पदा पारित नहीं होती है । यह एक कानूनी पहलू है जिस पर हमें ध्यानपूर्वक विचार करना है । सन्यासी बनते ही उसकी समस्त सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों के पास चली जायगी ।

यदि सन्यासी बनने के एक वर्ष बाद तक वह जीवित रहता है तो उसकी सम्पदा पर कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा । जब वस्तुतः उसकी मृत्यु हो जाती है उसके नाम पर कोई सम्पदा नहीं होगी क्योंकि जो कुछ है वह पहले से ही उसके उत्तराधिकारियों में निहित है । इस तरह केवल कर से बचने के लिये सन्यासियों की अच्छी खासी संख्या हो जायेगी । अतः हमें 'मृत्यु' को उक्त ढंग से परिभाषित करना चाहिये । परिभाषा में 'व्यावहारिक मृत्यु' भी सम्मिलित की जानी आवश्यक है ।

मेरा दूसरा संशोधन 'आकस्मिक मृत्यु' से सम्बन्धित है । यह परिभाषा आवश्यक है उसे अस्पष्ट ही नहीं छोड़ देना चाहिये ।

माननीय वित्त मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे उक्त संशोधनों पर भली प्रकार विचार कर उन्हें स्वीकृत कर लें ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं भी वित्त मंत्री जी के समक्ष एक ठोस उदाहरण रखना चाहता हूं । मान लीजिये कोई व्यक्ति सद्-भावना के साथ सन्यास धर्म में दीक्षित होता है । हिन्दू विधि के अनुसार वह मृत व्यक्ति मान लिया जाता है । वह व्यक्ति चालीस वर्ष की आयु में सन्यासी होता है और ६० वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है । इस बीस वर्ष की अवधि में उत्तरा-धिकारियों को सौंपी गई सम्पदा नष्ट हो जाती है । तब सम्पदा शुल्क कैसे वसूल किया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी मृत्यु के समय जो कुछ बचता है उस सम्पदा के आधार पर ।

श्री एस० एस० मोरे : जब आप उस निजी विधि के अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें मृत्यु की परिभाषा.....

उपाध्यक्ष महोदय : उसके सब कुछ छोड़ कर चल देने की स्थिति में क्या होता है ?

श्री एस० एस० मोरे : साक्षय अधिनियम के अनुसार यदि एक मनुष्य के विषय में सात वर्ष तक कुछ पता न लगे तो मृत समझ लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो वैध मृत्यु है। हिन्दु विधान के अनुसार जैसे ही एक व्यक्ति सन्यासी होता है वैसे ही उसके उत्तराधिकारी उसकी सम्पत्ति के अधिकारी हो जाते हैं। और जैसे ही वे उस सन्यासी की सम्पत्ति लेते हैं तुरन्त ही उनपर कर लगाना चाहिये। ऐसा करना तो संसार के हित में है।

श्री बर्मन : पति की मृत्यु के उपरान्त उसकी विधवा को उसके जीवनकाल तक उस सम्पत्ति को भोगने का अधिकार है। किन्तु यदि वह विधवा पुर्नविवाह कर लेती है तो हिन्दू विधान के अनुसार उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विधवा के पुर्नविवाह करने के उपरान्त उसकी व्यवहारिक मृत्यु तो नहीं होती ; उसकी सम्पदा विधि के अनुसार दूसरों को चली जाती है।

श्री धुलेकर : हिन्दू विधान में यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जब वह सन्यासी होता है तो उसकी मृत्यनहीं होती अपितु मृत्यु तो तब होती है जब कि वह शरीर रूप से मरता है। वह सन्यासी तो व्यक्ति मात्र है। सन्यासी होने पर उसकी मृत्यु नहीं होती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु हिन्दू विधान का उद्देश्य यह है कि जब एक व्यक्ति सन्यासी होता है तो व्यवहारिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि सन्यास लेने के उपरान्त भी ये लोग बड़े ठाठ बाट से रहते हैं। किन्तु उन लोगों के मामले में जो सन्यास लेकर सीधे हिमालय की ओर चले जाते हैं उनकी वास्तव में व्यवहारिक रूप से मृत्यु हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह कोई ऋण ले तो क्या उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यदि किसी अच्छे कार्य के लिये लिया गया है तो उसके लड़कों को वह ऋण देना होगा। किन्तु यदि उस सन्यासी की कोई सम्पदा अथवा सम्पत्ति नहीं है तो वह ऋण वापिस नहीं हो सकेगा। उसके विरुद्ध कोई डिगरी पास नहीं हो सकती। यदि सन्यासी की व्यवहारिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ वही बर्ताव होता है जो कि साधारण रूप से मरने वालों के साथ होता है। फकीर और सन्यासी में अन्तर है। क्यों कि सन्यासी हो जाने के उपरान्त वह नागरिक अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता। जब वह संसार को त्याग देता है तो व्यवहारिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। किन्तु दूसरी ओर हमने फकीरों को विधान सभा का सदस्य होते हुए भी देखा है। अतएव हमें इस विधेयक में ऐसे मामलों के लिये कुछ न कुछ प्रबन्ध करना चाहिये।

इस वर्तमान विधेयक के अनुसार उस व्यक्ति के सन्यास लेने की तिथि से बीस वर्ष के उपरान्त तक उस की सम्पत्ति पर कोई कर नहीं लगेगा। मान लीजिये कि किसी अच्छे कार्य के लिये उसकी सम्पत्ति बेच दी जाती है। ऐसी दशा में उससे कोई कर नहीं लिया जायेगा। अतएव यह ऐसा मामला नहीं है जिसे कि हम भुला दें। यह बहुत गम्भीर बात है। अतएव हमको यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि खंड २ में मृत्यु से अभिप्राय यह है कि सन्यासी की व्यवहारिक मृत्यु होती है। जैनियों में यह प्रथा प्रचलित है। करोड़ों की सम्पत्ति के स्वामी पक्के सन्यासी हो जाते हैं। और इस प्रकार

अपनी सम्पत्ति छोड़ जाते हैं। अतएव सन्यासी होने वालों के लिए हमें कोई न कोई उपबन्ध करना होगा।

श्री एन० सी० चटर्जी : प्रत्यक सन्यासी की व्यवहारिक मृत्यु नहीं होती। श्री दिनशा मुल्ला के हिन्दू विधान के अनुसार जब एक व्यक्ति धार्मिक स्थिति अपनाता है और संसार का त्याग करता है तो उस समय उसकी सभी सम्पत्ति उस समय के उसके उत्तराधिकारियों की हो जाती है। किन्तु सन्यास लेने के उपरान्त प्राप्त सम्पदा उसके धार्मिक शिष्यों की होती है उसके लिये कोई अधिकार प्रदर्शन नहीं कर सकता।

यह विधेयक शूद्रों के लिए लागू नहीं है। यदि एक शूद्र सन्यासी होता है और वह संसार का त्याग भी करता है तो भी उस से सम्पदा शुल्क नहीं लिया जा सकता। बंगाल के शूद्र कुछ ब्राह्मणों की अपेक्षा धनी पाये जाते हैं। हिन्दू विधेयक शद्र सन्यासियों के साथ लागू जब तक नहीं होता जब तक कि उसका चलन नहीं होता। अतएव इस पर बड़ी गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि ब्राह्मण एवं शूद्रों तथा शद्र एवं गैर शूद्रों में कोई मतभेद भी करना है अथवा नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : व्यक्ति सम्पदा शुल्क से बचने के लिए सन्यासी नहीं होते अपितु यह तो एक रिवाज है।

श्री गाडगिल : हमें तो इस पर विचार करना है कि सन्यासी की क्या वास्तविक रूप से मृत्यु मानी जाय अथवा व्यवहार रूप से।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : एक कठिनाई यह भी होगी कि लोग प्रारम्भ में तो सन्यासी हो जायेंग किन्तु बाद को साधारण जीवन व्यतीत करने के लिये वापिस आ जायेंगे। एक बार जब उसकी व्यवहारिक मृत्यु हो जाती है तो वह फिर से वापिस आ जाता है।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि मृत्यु से दो वर्ष या अधिक पहले सन्यास लिया जाता है तब तो यह ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, आप इसे ऐसा समझ लें कि दान दिया गया है। किन्तु समस्या तो उनके बारे में है जो कि सन्यास लेने के दो वर्ष पूरे होने से पूर्व ही मर जाते हैं। अन्यथा मेरे मस्तिष्क में यह कभी भी विचार नहीं उठता कि लोग सम्पदा शुल्क से बचने के लिए सन्यास लेते हैं। सम्पदा शुल्क से बचने के लिये लोग दान देंगे न्यास बनायेंगे। हमारा तात्पर्य तो ऐसी स्थिति से है। आंकड़ों को यदि ध्यान में रखा जाय तो यह समस्या ऐसी नहीं है जिस पर कि हमें इतना महत्व देना हो। किन्तु पश्चात को अनुभव के आधार पर हम देखते हैं कि बहुत से व्यक्ति सन्यास ले रहे हैं और उनका उद्देश्य सम्पदा शुल्क से बचना है तो मुझे इस वर्तमान मूल अधिनियम में संशोधन करने होंगे। क्या सन्यासी को सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार है, क्या वह उसे अपने धार्मिक उत्तराधिकारियों के ऊपर छोड देगा, आदि आदिके बारे में प्रशासन को कुछ निश्चित करना इस समय बड़ा कठिन है। अतएव मेरे विचार से जो चीज काफी दूर है उसके बारे में विधान बनाना गलत सिद्धान्त है। अतएव यह टिप्पणी संशोधन संख्या ४६८ तथा ३७० के भाग के बारे में भी लागू है।

आकसमिक मृत्यु की परिभाषा करने के सम्बन्ध में उसी प्रकार का विरोध अथवा मेरे विचार से किसी अन्य रूप से करना, भी लागू है। यह तो एक प्रकार से परिष्कृत को और भी परिष्कृत करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आकसमिक मृत्यु क्या है किन्तु आकसमिक मृत्यु तथा आत्म हत्या के बारे में निश्चय करना निरर्णायक एंव उस सरीखे पदाधिकारों के लिए बड़ी कठिनाई की बात है। जब यह निश्चय हो जाता है तो तब हमको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि यह आकसमिक मृत्यु थी अथवा नहीं। परिभाषा के अनुसार हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक मामले में वह आकसमिक मृत्यु थी अथवा संदिग्ध आत्म

[श्री सी० डी० देशमुख]

हत्या। अतएव मैं समझता हूं कि ये दोनों संशोधन ही अनावश्यक हैं।

सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी मैंने बड़ी गम्भीरता के साथ मनन किया है और इस विषय में मैंने विधिके सलाहकारों से परामर्श भी ले लिया है। उनका मरामर्श यह है कि यह परिवर्तन आवश्यक नहीं है। अर्थात 'बिक्री' शब्द के स्थान पर 'हस्तान्तिरित करना' आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है "ऋण और प्रचलन की दूसरी वस्तुए तथा दूसरे प्रकार के अधिकार, अथवा सम्पदा चाहे वह अधिकार में है अथवा नहीं उसमें कोई चीज बढ़ाना"। स्मरणीय बात तो यह है कि विधेयक में सम्पदा की परिभाषा जो दी गई है वह व्यापक नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस परिभाषा ने कुछ सम्पदाओं को जिन्हें सम्पदा कहा जा सकता है अलग नहीं किया है। अतएव सम्पदा शब्द के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं के बारे में विस्तृत रूप से कुछ कहना आवश्यक नहीं है। में एक समान उदाहरण देता हूं। आयकर अधिनियम में 'आय' की विस्तृत व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है, हालांकि धारा २ (६) (ग) में इस परिभाषा का एक ढांचा सा दिया गया है। जब एक विधेयक में हम किसी ऐसी वस्तु की व्याख्या करते हैं जो साधारण रूपसे समझी जाती है, तो यह साधारण सा रिवाज कि उनको भी सम्मलित कर लिया जाता है जिनके बारे में कि कुछ संदेह है। यहां ऋण अथवा प्रचलन में आने वाली किसी वस्तु के बारे में कोई संदेह नहीं है। ये व्याख्या एक तथा दो के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अनुवर्ती भाग में बढ़ाने के विषय में इस बात को देखते हुए कि सम्पदा में सम्पदा सहित निहित है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे हित का क्या अर्थ है जो कि सम्पदा को प्रकृति का हो यदि हम स्थिति की विषद व्याख्या करें तो हस्तान्तरण के अन्तर्गत बिक्री, विनिमय बन्धक रखना तथा दान आते हैं। विनिमय का अर्थ यह है कि किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तिन कर देना। 'बन्धक रखना' की व्याख्या; व्याख्या एक या दो के अन्तर्गत आ जाती है; और दान के लिए विधेयक में विशेष उपबन्ध है। अतएव हमें यह परामर्श दिया गया है कि माननीय सदस्य ने संशोधन का जो प्रस्ताव रखा है उसका संशोधन करना आवश्यक नहीं है। अतएव मैं इन तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इन संशोधनों को जब तक के लिए सदन में प्रस्तुत करूंगा जब तक कि ये वापिस नहीं होते।

श्री एच० जी० वैष्णव : मैं अपने संशोधन संख्या ३७० को वापस लेता हूं।

श्री तेलकीकर : मैं अपने संशोधन संख्या ४६८ को वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : द्वारा संशोधन संख्या ४६९ प्रस्तुत किया गया तथा सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड २ को संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लया गया।

खंड ३--(व्याख्या)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : "पृष्ट ३ में ८ से १० तक की पंक्तियां हटा दी जायें।"

श्री तुलसीदास : क्या मैं अपना संशोधन सं० ७ प्रस्तुत कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह वित्त मंत्री के संशोधन जैसा ही है।

श्री सी० डी० देशमुख : उन्हें प्रस्तुत करने दीजिये। मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : पृष्ट ३ में—

८ से १० तक की पंक्तियां हटा दी जायें।

जहां तक इस संशोधन सं० ७ का सम्बन्ध है मैं माननीय वित्त मंत्री को इसे स्वीकर करने के लिये बधाई देता हूं। यह एक ऐसा खंड है जो इंग्लैंड के किसी भी सम्पदा शुल्क अधिनियम में नहीं पाया जाता और वित्त मंत्रालय भी इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सका।

मैं अपना अगला संशोधन यानी संशोधन संख्या ८ इसलिये प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे विधेयक के भाग २ व ३ में निहित उपबन्धों के क्षेत्र के बारे में कोई संदेह न रहे। इस संशोधन के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि इस अधिनियम के पारित होने के पहले जो सम्पत्ति भेंट, निपटारे, हस्तान्तरण आदि के फल-स्वरूप दी गई हो उसके संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के बाद हस्तान्तरित होने वाली सम्पत्ति में केवल इस वजह से गिने जाने की सम्भाव्यता न रहे कि निर्धारित समय-अवधि बीती नहीं है। कुछ हद तक इसका अनुदर्शी प्रभाव होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब अधिनियम बनने से पहले किसी व्यक्ति ने किसी धर्मार्थ संस्था को कोई दान दिया हो—मान लीजिये पिछले महीने दिया हो और इस महीने यह अधिनियम पारित हो जाता है, फिर दो तीन महीने के अन्दर वह मर जाता है तो स्थिति क्या होगी? इस कानून का प्रभाव यह होगा कि धर्मार्थ संस्था को दी गई सम्पत्ति या भेंट पर कर वसूल कर लिया जायेगा क्योंकि छः महीने तक अवधि तो नहीं बीतेगी। उस व्यक्ति ने अधिनियम बनने से पहले दान दिया था। उसे यह नहीं मालूम कि अधिनियम में क्या उपबन्ध होंगे और इस लिये बहुत सी उलझनें पैदा हो जायेंगी।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

चूंकि हमारे देश में इस किस्म का कानून पहली बार बन रहा है, इसलिये हमें पूरी सावधानी से इसे बनाना चाहिये। विधेयक के पारित होने से पहले जो भेंट या निपटारा किया गया हो या जो न्यास स्थापित किया गया हो उसे अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखा जाये। मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन से इस प्रकार की व्यवस्था हो सकेगी। आशा है वित्त मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): मैं माननीय मित्र श्री किलाचन्द के संशोधन का विरोध करता हूं। हमें मालूम है कि पिछले कुछ महीनों में सम्पत्ति का काफी हस्तान्तरण हुआ है। लोगों ने समझ लिया था कि यह विधेयक पारित हो ही जायेगा, और इसी ख्याल से उन्होंने अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण किया है। यदि यह संशोधन पारित हो जायेगा तो इससे कर से बचने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, अतः मेरा निवेदन है कि जो सम्पत्तियां कर से बचने के लिए हस्तान्तरित की गई हैं, उन पर कर अवश्य लगाया जाये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस संशोधन का विरोध करता हुं। एक मामला तो मैं जानता हूं। जब १९३६ में मत्यु कर या उतराधिकार अथवा सम्पदा शुल्क जैसा कोई कर लगाने का प्रस्ताव था तो बहुत से चालाक लोगों ने अपनी सम्पत्ति हस्तान्तरित करनी शुरू कर दी थी। अब, चूंकि यह कानून बनने जा रहा है इसलिये लोग और जल्दी जल्दी अपनी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण करने लगे है। इस लिये जब हम यहां कर से बचने वाले लोगों के बारे में व्यवस्था करना सोच रहे हैं तो बहुत से लोग बिना इस बात को ठीक ठीक जानते हुए कि अन्त में कानून का क्या रुप होगा हर प्रश्न के खतरे

[श्री सी० डी० देशमुख]

से बचने के लिये अपनी सम्पति का हस्तान्तरण कर रहेहैं। जहां तक दो वर्ष से पहले के हस्तान्तरण का सम्बन्ध है उन के बारे में तो कुछ नहीं किया जा सकता परन्तु जो हतान्तरण प्रस्तुत विधेयक में प्रस्तावित कर से बचने के लिये किये गये हैं उन्हें हम कर से मुक्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को छूट देना लोक हित के विरुद्ध होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं वित्त मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। संशोधन संख्या ७ और वित्त मंत्री का संशोधन सं. ४६६ एक ही है । मैं जानना चाहता हूं कि वह खंड ३ में इन पंक्तियों को हटाने का प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं।?

श्री सी० डी० देशमुख : यह खंड विधेयक के मूल प्रारूप के समय से चला आता है । श्री बी०एस० राऊ का जिन्होंने विधेयक का मूल प्रारूप तैयार किया था। यह ख्याल था कि चूंकि यह क़ानून बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन शब्दों का रखा जाना आवश्यक है। परन्तु बाद में जब हम से इन शब्दों का अर्थ पूछा गया तो हम में से कोई भी यह न बता सका कि ये शब्द किस उद्देश्य से रखे गये हैं। इसी वजह से मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार हुआ हूं, मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि ये शब्द अनावश्यक हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न है कि :

पृष्ट तीन में :—

८ से १० तक की पंक्तियां हटा दी जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सभापति महोदय द्वारा श्री तुलसीदास का संशोधन सं० ८ प्रस्तुत किया गया और सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि खंड ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४—सम्पदा शुल्क अधिकारी

[श्री एस० वी० रामस्वामी ने संशोधन सं. ३०४ व ३०५ प्रस्तुत किये।]

श्री तुलसीदास : मैं अपने संशोधन सं० ९, १०, ११ व १२ प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या १२ अपीलीय न्यायाधिकरण तथा मूल्यांकन-कर्ता पर्षद के बारे में है । इस संशोधन में ये बातें दी गई हैं :—

के यदि सरकार एक अपीलिय न्यायाधिकरण स्थापित करे जिसमें न्यायिक सदस्यों तथा लेखापाल सदस्यों की संख्या बराबर हो। न्यायिकि सदस्य वह व्यक्ति हो जो डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो या उस के बराबर योग्यता रखता हो। लेखापाल सदस्य वह हो जो पंजीबद्ध लेखापाल के रुप में कम से कम ९ वर्ष प्रेक्टिस कर चुका हो । अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार न्यायाधिकरण के सभापति द्वारा न्यायाधिकरण में से ही लिये गये सदस्यों की बेन्चों द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों। यदि बेन्च के सदस्यों में मतभेद हो तो उस का फैसला बहुमत के आधार पर हो; यदि मत बराबर हों तो न्यायाधिकरण का सभापति उसे न्यायाधिकरण के एक या दो अन्य सदस्यों को निर्दिष्ट करे और सबों की राय से उस का फैसला हो। इसी प्रकार के केन्द्रीय सरकार एक मूल्यांकन कर्ता-पर्षद बनाये जिस में मूल्यांकन कर्ता के रूप में काम करने वाले योग्य व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या हो । पर्षद के अधिकार पर्षद के सभापति द्वारा पर्षद में से ही लिये गये सदस्यों की बेन्चो द्वारा प्रयुक्त किये जा सकते हों।

श्री एस० एस० मोरे : मैं अपने संशोधन सं० ४७४ व ४७५ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बर्मन : म अपना संशोधन सं ५७० प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड़-सोरठ) : जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं उन में से कुछ अर्थात संशोधन संख्या ३०४, ३०५ और १२ अपीलीय सम्पदा शुल्क न्यायाधिकरण के बनाए जाने के संबंध में है। उसी विषय पर अन्य प्रकार के संशोधन भी हैं, जैसे कि संशोधन संख्या १७९ और १८७, जिन में से बाद वाला मेरा संशोधन है। खंड ६१ में अपीलों की चर्चा है। मेरे संशोधन में किसी अपीलीय न्यायाधिकरण के बनाए जाने की व्यवस्था नहीं है। उस में केवल अपीलों की चर्चा है जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय अथवा जिला कचहरी में की जा सकें। अतः मेरे विचार से किसी विशेष अपीलीय न्यायाधिकरण के बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

खंड ४ में इस विधान के आधीनस्थ अधिकारियों का उल्लेख है। किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या किसी न्यायिक अथवा अन्य प्राधिकारी के पास स्वतंत्र अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। मेरा निवेदन यह है कि इन संशोधनों पर सोच विचार तब किया जाय जब हम खंड ६१ पर पहुंचें। तब तक इन पर विचार किया जाना स्थगित रखा जाये।

श्री एस० वी० रामस्वामी : हम इस सामान्य सिद्धान्त पर वाद विवाद कर सकते हैं कि क्या किसी अपीलीय न्यायाधिकरण का होना आवश्यक है।

सभापति महोदय : खण्ड ६१ का संबंध नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध अपील से है। हमें दो प्रश्नों का निर्णय करना है। एक तो यह कि हम एक न्यायिक अपीलीय न्यायाधिकरण रखें अथवा एक नियंत्रक। जब तक यह तय नहीं हो जाता तब तक उच्च न्यायालय को अपील करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मैं समझता हूं कि खण्ड ६१ पर अभी नहीं बल्कि जब हम उस पर पहुंचें तब विचार होना चाहिए।

मुख्य प्रश्न यह कि हमें विधेयक में दी गई व्यवस्था रखनी चाहिए अथवा एक अपीलीय न्यायाधिकरण। मेरे विचार से हमें इस समय इसी पहलू पर विचार करना चाहिए, यदि माननीय वित्त मंत्री का विचार अन्यथा न हो।

श्री गाडगिल : मेरे विचार से इस समय संशोधन संख्या १२ पर भी विचार किया जा सकता है। यदि वह अभी प्रस्तुत किया जाता है तो सारे मामले पर विचार विमर्श हो सकता है। उस के अस्वीकृत हो जाने पर अन्य संशोधन रद्द कर दिए जायेंगे।

सभापति महोदय : यदि न्यायाधिकरण के बनाए जाने के संबंध में सदन कोई निर्णय कर लेगा तो फिर दुबारा इस संबध में वाद विवाद की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस समय यदि हम इसी प्रश्न पर विचार करलें तो अच्छा होगा।

श्री एस० एस० मोरे : हम अभी अन्य उपखण्डों पर विचार कर लें। खण्ड ४ (१) पर खण्ड ६१ के साथ विचार हो सकता है।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : हम खण्ड ४ को पारित कर सकते हैं और बाद में आवश्यकतानुसार उस में परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : वह कोई आनुषंगिक परिवर्तन नहीं होगा। खण्ड ४ के उपखण्ड (१) और खण्ड ४१ के कुछ संशोधन इस सिद्धान्त पर अधारित हैं—नौकरशाही प्राधिकार होना चाहिए अथवा न्यायिक प्राधिकार। इस का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इस पर विस्तृत रूप से बहस करनी पड़ेगी। और फिर यदि इस संशोधन पर कोई निर्णय हो जाता है तो खण्ड ६१ के आने पर न्यायिक

[श्री एस० एस० मोरे]

न्यायाधिकरण के संबंध में सारे वादविवाद अनियमित घोषित कर दिये जायेंगे ।

श्री तुलसी दास : मेरे संशोधन संख्या १२ को लेने के उपरांत, मेरे अन्य संशोधन संख्या ९, १०, और ११ अनुषंगिक संशोधन हैं । अतः यदि आप अभी अन्य उपखण्डों को लेते हैं और बाद में उपखण्ड (१) को तो भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ।

सभापति महोदय : प्रश्न तो यह है कि क्या अभी खण्ड के ४ साथ ही खण्ड ६१ पर भी वादविवाद हो जाये या खण्ड ६१ पर वादविवाद बाद में हो और अभी केवल खण्ड ४ पर विचार किया जाये ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मेरा सुझाव यह है कि खण्ड ६१ के संशोधनों पर भी अभी विचार हो जाना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि हमें इस समय खण्ड ४ और तब ४ क और ४ ख पर विचार शुरु कर देना चाहिए । मेरे विचार से इस में कोई कठिनाई नहीं होगी । खण्ड ६१ पर बाद में विचार हो सकता है । वित्त मंत्री की क्या राय है ?

श्री सी० डी० देशमुख : किसी न किसी समय इस संबंध में काफी वादविवाद होना है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाये और कौन अपील आदि का निर्णय करे । प्रश्न केवल उस के लिये किसी विशष अवसर पर समय देने का है । जैसा के कि माननीय सदस्य ने कहा, उन का विचार है कि सारे मामले पर अभी विचार विमर्श होगा बजाय इस के कि खण्ड ६१ पर पहुंचने के समय हो । हम तैयार हैं । हमें वादविवाद के अभी होने में कोई आपत्ति नहीं है । कुछ मामले शेष रह सकते हैं जिन पर खण्ड ६१ पर आने के समय विचार किया जाये । सम्पूर्ण सिद्धान्त पर अभी विचार विमर्श किए जाने के संबंध में मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : श्री एस० वी० रामस्वामी ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पष्ट ३ पर

(१) पंक्ति २८ के बाद निम्न शब्द प्रविष्ट किए जायें :

"(a) The Appellate Estate Duty Tribunal"

["(क) अपीलीय सम्पदा शुल्क न्यायाधिकरण "

(२)पंक्ति २९, ३० और ३१ में

for "(a), (b) and (c)" *substitute* "(b), (c) and (d)" respectively

["(क), (ख) और (ग)" के स्थान पर "(ख), (ग) और (घ)"आदिष्ट किए जायें ।]

पष्ठ ३ पर

पंक्ति ३१ के बाद निम्न शब्द प्रविष्ट किए जायें :

"(IA) The Central Government shall appoint an Appellate Estate Duty Tribunal, which shall be presided over by a Judicial officer not less than the rank of a District and Sessions Judge"

["(१ क) केन्द्रीय सरकार एक अपीलीय सम्पदा शुल्क न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी जिसकी अध्यक्षता एक ऐसा न्यायिक पदाधिकारी करेगा जो एक जिला तथा सत्र-न्यायाधीश की श्रेणी से कम का नहीं होगा ।"]

मैं कहना चाहता हूं कि इस से मूलभूत महत्व का प्रश्न उत्पन्न होता है कि अपील विभागीय निकाय को अथवा न्यायिक निकाय को भेजी जाए । खण्ड ४ के अनुसार सम्पदा शुल्क के तीन पदाधिकारी हैं---अर्थात् बोर्ड, सम्पदा शुल्क के नियंत्रक और मूल्यांकन कर्ता । इन संशोधनों द्वारा चौथी श्रेणी अर्थात अपीलीय सम्पदा शुल्क न्यायाधिकरण आरम्भ हो जाता है । खण्ड ६१ के अधीन यह बात देखने योग्य है कि केवल नियंत्रक के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास अपील करने का उपबन्ध किया गया है । आगे खण्ड ४२, ४४, ४५, तथा ४६ के अधीन कुछ विषयों को नियंत्रक के सम्मुख तथ्यों को प्रमाणित करना पड़ता है और नियंत्रक के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का उपबन्ध नहीं ह । वस्तुतः इस में कोई युक्ति नहीं है ।

दूसरे श्रीमान नियंत्रक तथा केन्द्रीय राजस्व बोर्ड एक ही विभाग के भाग हैं, जिस के कारण एक से दूसरे के पास अपील का कोई मूल्य नहीं रह जाता । इस के अतिरिक्त बोर्ड देहली में बैठता है अपील करने वाले को देहली में आ कर अपनी सुनवाई करवाने में बहुत व्यय करना पड़ता है । आवश्यकता यह है कि लोगों को एक पक्षपात रहित अपीलीय निकाय के समक्ष जो संबंधित दलों के लिए उपयुक्त दूरी पर हो अपने मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए । आय कर अधिनियम के अनुभव के आधार पर जिस के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण का उपबन्ध है इस के लिये एक स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकारी स्थापित करने की आवश्यकता है ।

न्यायाधिकरणों में न्यायिक अधिकारियों के नियुक्त करने से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो सकता है जो विभागीग निकाय के वातावरण से भिन्न हो और जिस से करदाताओं के मन में अधिक विश्वास उत्पन्न किया जा सके । इस लिए मैं संशोधनों का समर्थन करता हूं ।

श्री तुलसी दास : इस खण्ड के अधीन सम्पदा शुल्क के प्रशासन के लिए प्राधिकारी विहित किए गए हैं । सम्पदा शुल्क नियंत्रक सम्पदा शुल्क का निर्धारण करेगा और उस के आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास अपील की जा सकेगी । परन्तु क्योंकि नियंत्रक और केन्द्रीय भ-राजस्व बोर्ड एक ही विभाग के अंश हैं इस लिए इस अपील का कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं । इस के अतिरिक्त इस द्वारा कर दाताओं में विश्वास उत्पन्न नहीं होगा कि पूर्ण न्याय किया जा रहा है ।

श्रीमान यह बोर्ड कर निर्धारण के पथप्रदर्शक सिद्धान्तों से प्रेरित नहीं होगा । उस का निर्णय ऐसे स्वतंत्र तथा पक्षपात रहित न्यायाधिकरण के निर्णय के समान नहीं हो सकता, जिसे सरकार को मिलने वाले राजस्व का ध्यान नहीं होता । विधि के प्रवर्तन में करदाता और राजस्व लगाने वाला प्राधिकारी दो दल होते हैं । करदाता को यह अनुभव होना चाहिये कि उस के साथ न्याय किया गया है । इस लिए आयकर अधिनियम की प्रणाली पर स्वतंत्र न्यायाधिकरण की आवश्यकता है जिस के पास करदाता अपील कर सके ।

श्रीमान मैं ने अपने संशोधन में मूल्यांकन कर्ताओं के बोर्ड का भी उपबन्ध किया है । यद्यपि प्रवर सभिति में इस पर चर्चा की गई थी । परन्तु मैं नहीं कहना चाहता कि वहां क्या हुआ था । यह बात अवश्य है कि गत सत्र में और प्रवर समिति में भी बहुमत मूल्यांकन कर्ताओं के बोर्ड तथा अपीलीय न्यायाधिकरण का समर्थक था ।

श्रीमान आय कर अधिनियम के अधीन भी सरकार को कुछ अनुभव के पश्चात ज्ञात हुआ है कि एक अपीलीय प्राधिकारी

[श्री तुलसीदास]

बनाया जाना चाहिये । इंगलैंड में विधि तथा तथ्य दोनों आधारों पर कौंटी न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय दोनों में अपील की जा सकती है । यहां सब मामलों में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास अपील करनी होगी ।

आप जानते हैं कि क्योंकि मूल्यांकन कर्ताओं की नियुक्ति केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने करनी है इस लिए स्वभावतः वे कुछ सीमा तक पक्षपात पूर्ण होंगे । उन की मध्यस्थता में पक्षपात बना रहेगा । इस लिए मेरे संशोधन में उपबन्ध किया गया है कि मूल्यांकन कर्ताओं के सम्बन्ध में भी मूल्यांकन कर्ताओं का एक बोर्ड अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रणाली पर बनाया जाए ।

१२ बजे मध्याह्न

यदि छोटे करदाताओं को ट्रावनकोर कोचीन जैसे दूर के स्थानों से अपनी अपील की सुनवाई के लिए देहली आना पड़े तो यह अत्यन्त कठिन है । उन के लिये न्याय की प्राप्ति अत्यन्त महंगी होगी । इस लिए या तो हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिये या उन्हें ज़िला कचहरियों में जाने देना चाहिये । मुझे ज्ञात है कि आप यह उत्तर देंगे कि हमें पहले इस अधिनियम के प्रयोग द्वारा कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहिये तथा फिर तदानुसार इस में परिवर्तन कर लेंगे । परन्तु इस नए विधान को बनाते समय लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि उन के साथ न्याय किया जाएगा ।

इंगलैंड के अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि किसी को अतिरिक्त दिए गए शुल्क के शोधन के सम्बन्ध में आयुक्तों के निर्णय के प्रति शिकायत हो तो १०,००० पौंड तक की सम्पत्ति के लिए उच्च न्यायालय अथवा कौंटी न्यायालय के पास अपील की जा सकेगी । हम ने भी उस अधिनियम से इस उपबन्ध को अपनाया है ।

श्रीमान, यह अत्यावश्यक है कि हम लोगों के दिल में विश्वास पैदा करें कि उन के साथ न्याय होगा । कुछ मामलों में नियंत्रक का अपना दृष्टिकोण होगा किन्तु करदाता तभी संतुष्ट होगा जब कोई अन्य प्राधिकारी अपील सुनेगा और अपना निर्णय देगा । अतः म अपने संशोधन पर ज़ोर देता हूं । इस के स्वीकार किये जाने से लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि यदि नियंत्रक ने उचित निर्णय न भी दिया, तो वे अपीलीय प्राधिकारी के पास जा सकते हैं । यह अपीलीय प्राधिकारी या तो विधि मंत्रालय द्वारा नियक्त किया जाना चाहिये या कोई न्यायालय होना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : मैं ने माननीय वित्त मंत्री का भाषण दो बार सुना है । उन्हों ने जो तर्क दिये हैं मैं ने उन पर बड़ी सावधानी से विचार किया है किन्तु मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सुविधा के लिए भी और लोगों के दिल में इस अधिनियम के प्रशासन में विश्वास पैदा करने के लिए भी, इस अवस्था पर एक न्यायपालिका प्राधिकारी नियुक्त करना वांछनीय होगा । यह ठीक है कि पहली तथ्य सम्बन्धी अपील केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के पास जानी चाहिए, जैसा कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत होता है । यदि करदाता पहली अपील से संतुष्ट हो जायें, तो उन्हें आगे जाने की आवश्यकता नहीं । किन्तु मेरे संशोधन का उद्देश्य तो यह है कि तथ्य संबंधी दूसरी अपील एक न्यायपालिका प्राधिकारी के पास जानी चाहिये । अधिनियम के अन्तर्गत, दूसरी अपील उच्चन्यायालय में की जा सकती है परन्तु इस शर्त पर कि उस में कोई विधि सम्बन्धी प्रश्न हो । अतः मैं ने यह उपबन्ध

किया है कि एक तथ्य सम्बन्धी प्रश्न पर दूसरी अपील न्यायपालिका प्राधिकारी के पास की जाये। यह प्राधिकारी दो प्रकार का हो सकता है। या तो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण विशेष रूप से बनाया जा सकता है या विभिन्न जिलों के जिला न्यायालयों से काम लिया जा सकता है। सरकार इन दो में से कोई भी सुझाव स्वीकार कर सकती है।

अब मैं यह बतलाऊंगा कि न्यायिक अधिकरण की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कर न देकर भी बच जाते हैं। कई बार विभागीय अधिकारी बहुत कड़ा दंड दे देते हैं। उन का कहना है कि इतने लोग चालाकी से कर से बच जाते हैं कि यदि उन में से कुछ लोगों से जिन पर कर नहीं लगता, कर वसूल भी कर लिया जाये, तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा करना उचित है या अनुचित। किन्तु कुछ भी हो, मैं यह कहूंगा कि इन मामलों पर कार्यपालिका प्राधिकारी की अपेक्षा न्यायिक प्राधिकारी द्वारा पुनर्विचार किया जाना अधिक अच्छा है। लोगों के मन में विश्वास तो रहेगा क्योंकि कार्यपालिका प्राधिकारियों के लिए न्यायिक दृष्टिकोण से देखना बहुत कठिन है। लोगों को यह अनुभव कराना चाहिये कि न केवल न्याय होगा बल्कि एक ऐसा प्राधिकारी भी है, जो कि यह न्याय करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा था कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को जब इस अधिनियम के प्रशासन का कुछ अनुभव प्राप्त हो जायेगा, तो वे न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे। किन्तु आय-कर अधिनियम और विक्रय कर अधिनियम के अनुभव से सिद्ध हो चका है कि यह आवश्यक है। यदि इस अधिनियम के लिए इतना अनुभव काफ़ी नहीं, तो और कितना अनुभव चाहिये। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में अपीलों के मामले में जितना विलम्ब होता है, वह न्यायालयों से कम नहीं होता। इस के अतिरिक्त एक और बात यह है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड एक अपील के मामले में सम्बन्धित पक्ष को स्वयं उपस्थित होने और सफाई पेश करने का अवसर नहीं देता। किसी न्यायालय में या न्यायिक अधिकरण के सामने उसे यह सुविधा मिलती है। राजस्व बोर्ड तो केवल फाइल पर ही अपना निर्णय दे देता है।

कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रशासन में सब से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न मूल्यनिरूपण का है और जहां तक मूल्य-निरूपण का सम्बन्ध है, मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था कर दी गई है और इस से ९५ प्रतिशत झगड़े खत्म हो जायेंगे। मेरा निवेदन है कि यह ऐसा नहीं है। मूल्यनिरूपण के अतिरिक्त अन्य बहुत से तथ्य सम्बन्धी तथा विधि सम्बन्धी प्रश्न उत्पन्न होंगे, जिन का निर्णय करने के लिए न्यायिक अधिकरण स्थापित करना आवश्यक है। इन सब कारणों से, मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे तथ्य सम्बन्धी दूसरी अपील को एक न्यायिक प्राधिकारी के पास जो कि एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या जिला न्यायालय हो सकता है भेजने की व्यवस्था करें।

श्री टेकचन्द (अम्बाला-शिमला) : जो कुछ मेरे माननीय मित्र श्री शाह ने कहा है मैं उन के प्रत्येक शब्द का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत, वही कार्य-पालिका जो हिदायतें जारी करेगी, स्वयं उन पर निर्णय देगी। यह एक बहुत खतरनाक प्रस्ताव है।

कहा गया है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्यों का निर्णय अधिक उदार होगा। किन्तु मेरा निवेदन है कि एक ईमानदार कर-दाता को उदारता की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि न्याय की है।

[श्री टेकचन्द]

यह विचार भी बहुत खतरनाक है कि झगड़े की सूरत में, कानून का अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा, वे उस के भाव को लेंगे । मैं कहता हूं कि कानून का भाव कोई चीज़ ही नहीं है । मैं यह नहीं चाहता कि कानून लचकदार हो जिसे केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के सदस्यों या कार्यपालिका के अन्य सदस्यों की मर्जी पर कड़ा कर दिया जाये या नरम कर दिया जाये । मैं चाहता हूं कि कानून बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित होना चाहिये ताकि उन को यह ज्ञात हो सके कि ठीक ठीक स्थिति क्या है ।

कुछ लोग इस विचार के हैं कि विधि के वास्तविक अभिप्राय का अनुसरण होना चाहिये । इस विचारधारा के बड़े खतरनाक परिणाम हो सकते हैं । 'वास्तविक अभिप्राय' की आड़ में विधि को अपनी इच्छानुसार मरोड़ा जा सकेगा तथा वे लोग जिन्हें न्याय के प्रशासन को सौंपा गया है, विधि के अर्थ निकालने में अपनी मनमानी करने लगेंगे । इस प्रकार से वे विधान मण्डल के विधान बनाने के काम को अपने हाथों में ले लेंगे ।

कार्यपालिका पहले ही विधान मण्डल के कृत्यों में इस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है कि वह इच्छानसार नियम बना सकती है । इस पर यदि आप कार्यपालिका अधिकरण नियुक्त करते हैं तो उसे न्यायपालिका के काम में भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता है । इन तीनों कृत्यों को अलग अलग रखा जाना चाहिये ।

अतएव मैं चाहता हूं कि वे इन बातों पर विधि के निर्वचन के दृष्टिकोण से विचार करें तथा इस मामले में अपनी उदारता की भावना को न लाएं । इस में करदाताओं तथा सरकार दोनों को खतरा है ।

स्वतंत्र न्यायिक अधिकरणों की सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विधि को मुख्य रूप से अपने सामने रखते हैं तथा कठोरता से इस का अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं । इस में वे अपने विचार का हस्तक्षेप नहीं होने देते ।

एक और प्रश्न यह उठता है कि न्याय किया जाय तथा ऐसा जान भी पड़े कि न्याय किया गया है । करदाता को अवसर प्राप्त होना चाहिये कि जिन प्रश्नों को वह उठाना चाहता है, उन्हें उठा सके । उधर केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को जो सन्देह जान पड़े, उसे कहने की स्वतंत्रता हो । यह एक न्याय सम्बन्धी कृत्य है ।

आज कल एक लोकतंत्रवाद विरोधी प्रवत्ति यह देखने में आ रही है कि जो शक्ति या अधिकार न्यायपालिका को दिए जाते हैं, वे दूसरे तरीके से वापस ले लिए जाते हैं । आखिर हम अपने उच्च-न्यायालयों या न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं करते ? कार्यपालिका को इतना न्यायिक अनुभव नहीं होता तथा वह विधि का इतना सम्मान नहीं करती जितना कि न्यायपालिका कर सकती है ।

जहां तक सुविधा का सम्बन्ध है, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का कार्यालय दिल्ली में रहेगा । उसके पास देश के हर कोने से अपीलें आयेंगी । काम की भरमार इतनी हो जायगी कि कितने ही समय तक करदाताओं की सुनवाई नहीं हो सकेगी ।

जहां तक प्रशासन के व्यय का सम्बन्ध है, यह बहुत अधिक होगा ।

वास्तविक भय यह है कि कठिनाई का हल करने के लिए वे कोई ऐसा तरीका निकालेंगे जो बनावटी सा होगा । हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्बन्धन रखे जायें जिन से

मामले की अच्छी बुरी बातों की जांच किए बिना उन का फैसला कर दिया जाय। अतएव विवादग्रस्त मामलों को उच्च-न्यायालयों पर छोड़ देना चाहिये। कार्यपालिका के अधिकारी योग्य होते हुए भी न्यायपालिका के समान विधि तथा भाषा सम्बन्धी जटिलताओं को सुलझा नहीं सकते। हमने ब्रिटेन की संविधिक विधियों को अपनाते हुए उस देश की ठीक ही बहुत प्रशंसा की है। अच्छा होता यदि हम उन की प्रक्रिया सम्बन्धी विधि को भी अपना लेते। वहां पर १०,००० पौंड तक के लिए प्रथम अपील 'काऊंटी' न्यायालय से की जाती है। यदि ऐसा है तो हम १,००,००० रु० या ५०,००० रु० तक की अपील के सुनने का अधिकार अपने ज़िला न्यायाधीश या उस के सदृश योग्यताओं वाले अधिकारी को क्यों नहीं देते? ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है कि अन्यथा करदाता को तो अधिक मूल्यांकन तथा सरकार को कम मूल्यांकन से हानि के होने का भय बना रहेगा। प्रत्येक विचार से इन बातों का फैसला उन अधिकारियों पर छोड़ा जाना चाहिये जो इस काम के लिए वास्तव में योग्य हैं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): श्रीमान्, प्रवर समिति में मैं ने तथा मेरे मित्रों ने स्वतन्त्र न्यायाधिकरण के बनाये जाने की आवश्यकता पर बहुत ज़ोर दिया था। सरकार को चाहिये कि वह अपने पहले फ़ैसले को देश पर ठोंसने की चेष्टा न करे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार के अधिकारी बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार चलेंगे। इस प्रकार से अपील का फ़ैसला सरकारी अधिकारी ही किया करेंगे।

श्रीमान्, हम जानते हैं कि सरकारी अधिकारी कर को अधिकाधिक राशि में एकत्र करने की चेष्टा करते हैं। वे न्याय या अन्याय, कठोरता या असुविधा की तनिक परवाह नहीं करते। करदाताओं को प्रशासन के न्याय में विश्वास होना चाहिये। आय कर जैसे कर-संग्रह अधिनियमों के लागू करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसे सामने रखते हुए स्वतन्त्र अधिकरणों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। दूसरे देशों का अनुभव भी यही है। इस पर भी माननीय वित्त मंत्री और अनुभव प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं। तनिक विचार कीजिये कि इस प्रकार की अधूरे प्रशासी व्यवस्था का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवश्यक है कि इन मामलों का फ़ैसला करने के लिये आप स्वतन्त्र न्यायाधिकरण नियुक्त करें। यह एक ऐसा अधिनियम है जिस के अन्तर्गत विवादग्रस्त मामलों में बड़ी बड़ी राशियों का प्रश्न होगा। न केवल राशियों के ही, बल्कि और भी बड़े बड़े जटिल मामले उठेंगे। देश की तथा सदन की विभिन्न मांगों की भावनाओं को विचार में रखते हुए, यह बात विधि के न्यायोचित प्रशासन के हित में है कि सरकार इस प्रकार के अधिकरण की स्थापना को स्वीकार कर ले।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

सभापति महोदय: अब हम आधे घन्टे की चर्चा को आरम्भ करते हैं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): श्रीमान्, मैं ने इस चर्चा के प्रश्न को इस लिये उठाया है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन विभाग की कुछेक ऐसे मामलों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकूं जिन्हें हम सख्त नापसन्द करते हैं। मैं चार बातों को लेना चाहता हूं: उक्त विभाग पर सरकार की उचित क्रियाकारी तथा पर्याप्त देख रेख का न होना, उक्त विभाग में, जो करोड़ों रुपयों का व्यय कर रहा है, नियुक्तियों में

[श्री वी० पी० नायर]

सरकारी नियमों की उपेक्षा, उक्त विभाग के धन से एक बहुत बड़ी राशि का स्थापना सम्बन्धी व्यय में लगना तथा प्रशासन में पक्षपात का होना और उक्त विभाग के मामलों की जांच के लिये एक संसदीय आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता ।

श्री गुहा ने एक पत्र में मुझे बतलाया है कि सभी उच्च नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं या उनके सम्बन्ध में सरकार की पूर्व अनुमति ली जाती है । इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ नियमों के अन्तर्गत सरकार इस विभाग पर अपना नियन्त्रण रख सकती थी, परन्तु इस के मामलों पर सरकार की वास्तव में कोई देख रेख नहीं है । इससे यह विभाग ऐसा होकर रह गया है कि शरणार्थियों की अपेक्षा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचा रहा है ।

ठीक है कि इस काम में प्रशासी योग्यता तथा साधनों की आवश्यकता है । यह भी ठीक है कि बिल्कुल ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये । परन्तु हो यह रहा है कि कुछ व्यक्तियों को कहीं से ले कर नियुक्त कर दिया जाता है । श्री रछपाल को इम्पीरियल बैंक से लिया । उनके बाद श्री रामगोपाल को सम्भवतः वित्त मंत्रालय से लेकर नियुक्त कर दिया । जब वह सेवानिवृत्त हो जायेंगे तो सम्भवतः लेखापरीक्षा विभाग से किसी को ले लिया जायगा । मैं समझने में असमर्थ हूं कि आखिर तीनों सेवानिवृत्त अधिकारियों की कौनसी एक जैसी योग्यतायें थीं ।

आप अनुभव करेंगे कि सरकार ने श्री एस० एस० रछपाल के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार किया है । वे कई वर्षों से इम्पीरियल बैंक में नौकर थे; पता नहीं वहां कितना वेतन पाते थे । पेंशन प्राप्त अफ़सरों को फिर से काम पर लगाने के सम्बन्ध में आधारभूत सिद्धान्त यह है कि उन की नियुक्ति केवल उसी दशा में की जाय जब ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो । परन्तु श्री एस० एस० रछपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने इस का भी विचार छोड़ दिया । हम देखते हैं कि आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर के पेंशन-प्राप्त अफ़सरों को न केवल भारी भरकम वेतन दिये जाते हैं वरन उन को वह पेशन भी दी जाती है जो व पा रहे थे । कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन को पेंशन प्राप्त होने के पश्चात् रक्खा गया है, उन को पेंशन नहीं दी जाती है, उन को केवल वेतन ही दिया जाता है । परन्तु श्री राम गोपाल का ऐसा उदाहरण है कि ३००० रुपये मासिक के अतिरिक्त सरकार ने उन को ३००० रुपये प्रतिवर्ष उपदान भी देने का निर्णय किया है केवल इस लिये कि उन की पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया जा सका है । मैं ने आज तक नहीं सुना कि कोई व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त होने के पश्चात् नौकर रक्खा जाय उसे पेंशन भी दी जाये और उपदान भी दिया जाय । यह किसी प्रकार भी लोक हित में नहीं हो सकता है ।

हम जानते हैं कि पुनर्वास वित्त प्रशासन हज़ारों ऋण बांट चुका है । इस के कार्य में बहुत अव्यवस्था रही है । आप को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि यह संस्था करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है और अभी इसकी लेखा-परीक्षा नहीं करायी गई । कहा जाता है कि लेखा-परीक्षा कराने का बन्दोबस्त किया जा रहा है परन्तु उस धन की लेखा-परीक्षा का कोई काम नहीं लिया जात है जो कि व्यय किया जा चुका है ।

मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने पुनर्वास वित्त प्रशासन के २४ अफ़सरों की एक तालिका दी है जो ५०० रुपये से ऊपर वेतन पा रहे हैं। इस में एक बी० पी० गुप्ता हैं जो उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी में कोर्ट आफ़ वार्डस् के सहायक-प्रबन्धक थे। ज़मींदारी उन्मूलन के साथ साथ कोर्ट आफ़ वार्डस भी खत्म हो गया है और यदि वे वहां पर रहे होते तो संभवतः आज बेकार हो गये होते। वहां उन्हें केवल ३५० रुपये मिलते थे और अब उन्हें १००० रुपये का वेतन दे कर पुनर्वासित किया गया है। मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सज्जन पुनर्वास वित्त प्रशासन के काग़ज़ात पर आदेश देने वाले वित्त मंत्रालय के उपसचिव श्री ओम प्रकाश गुप्ता के सगे भाई हैं। श्री वेद प्रकाश गुप्ता ही का नाम श्री वी० पी० गुप्ता है। यदि संभव हो तो श्री गुहा इस का खंडन करें। एक और सज्जन श्री रोशन लाल जो ५५० रुपये के वेतन पर नेशनल सेविंगज़ बैंक लिमिटेड, बम्बई के इन्स्पेक्टर के रूप में कार्य करते थे, उन को अब पुनर्वास वित्त प्रशासन में ८५० रुपये दिये जाते हैं। उन की नियुक्ति करने वाले उन्हीं के सगे भाई श्री एस० एस० रछपाल हैं।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : मेरे माननीय मित्र भूल जाते हैं कि पहिले अपने पीछे पराये।

श्री वी० पी० नायर : इसी प्रकार एक श्री आहूजा हैं। यह तो तालिका के अन्दर व्यक्ति हैं। तालिका के बाहर भी कुछ इसी प्रकार के उदाहरण हैं। वित्त मंत्री कृपा कर के जानने का प्रयत्न करें कि श्री रछपाल के दामाद के भाई एक श्री नांगिया हैं तथा उनके एक और नातेदार भोलानाथ हैं उन के भी मामले इसी प्रकार के हैं।

इसी लिये मेरा सुझाव है कि इस संसद् की एक बहुत सुगठित समिति को इन मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त करना चाहिये। मुझे याद है कि कुछ समय पूर्व एक गुप्त पत्र में श्री चिन्तामणि देशमुख ने, स्वयं, मेरे पास लिख भेजा था, कि यदि ग़लती से कुछ रिश्तेदारों की नियुक्ति हो गई है, तो इस में बुराई ही क्या है, तथा यह कि यदि इन में योग्यता हो तो रिश्तेदारों के लिये भी तो नौकरियों में स्थान हो सकता है।

५,००० से ले कर १०,००० रुपये तक के ऋण बड़ी लापरवाही से बांटे गये हैं। पुराने काल में जब कहा जाता था कि हर बात में अव्यवस्था फैली हुई थी, मैं ऐसे ऋणों के निश्चित उदाहरण जानता हूं जो ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जिन के ज़ामिनदारों का कहीं पता ही नहीं है। माननीय मंत्री ने स्वयं ऐसे ६५ मामलों को स्वीकार किया है। इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि एक संसदीय आयोग इन मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किया जाय।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्) : इस सदन में किये जाने वाले प्रश्नों के उत्तरों के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इस संगठन की संचालन पूंजी लगभग ६ करोड़ रुपये है। ऋण के रूप में दी जाने वाली धनराशि को देखते हुए संस्थापन व्यय अनुपात से बहुत अधिक जान पड़ता है। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि इस निगम ने कितना तथा किस प्रकार का कार्य किया, प्राप्त होने वाले तथा निबटाये जाने वाले आवेदन पत्रों की संख्या कितनी थी तथा इसी प्रकार की और सूचना जिस से संस्थापन में किये जाने वाले व्यय का औचित्य प्रकट हो सके।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बसीरहाट) : इस निगम में नियुक्त किये जाने वाले अफ़सरों को, उस वेतन के बनिस्बत, जो उन को मिल रहा था, बहुत अधिक बड़े बड़े वेतन क्यों दिये गये ? क्या यह सत्य है कि वितरित किये जाने वाले ६ करोड़ रुपये में से एक करोड़ रुपया व्यवस्थान पर व्यय किया गया है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री वी० पी० नायर : ९८.८ लाख रुपया ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री सदन को बतलायें कि प्रशासन किस प्रकार से ऋणों का वितरण करता है, उस की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा ऋण दिये जाने के पूर्व किन किन व्यक्तियों के हाथ से सारे पत्र हो कर जाते हैं ।

सभापति महोदय : श्री बसु ।

श्री के० के० बसु : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि परामर्शदाता समिति का निश्चित कार्यक्षेत्र क्या है तथा प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों तथा विभिन्न प्रशासन कर्त्ताओं की नियुक्ति में किस सीमा तक परामर्शदाता समिति का मत लिया जाता है । दूसरी बात यह कि जब यह ऋण दिये जाते हैं तो क्या इस प्रशासन को तथा इस परामर्शदाता समिति को इस बात से कोई सरोकार होता है कि ऋणों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

श्री गिडवानी : इन अधिकारियों के सम्बन्ध में जो पेंशन प्राप्त हैं तथा जिन्हें भारी भरकम वेतन दिये जाते हैं आप पता लगा कर बतावें कि क्या यह सत्य है तथा यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री बी० के० दास : संभवत: १९५० में परामर्शदाता समिति ने एक समिति नियुक्त की थी जिस ने कहा था कि संस्थापन पर व्यय किया जाने वाला धन, जितना कार्य किया गया है उस को देखते हुए बहुत अधिक है । १९५१ में नये आवेदन पत्र मांगे गये थे तथा हज़ारों आवेदन पत्र भेजे गये थे । उस समय से मासिक या वार्षिक व्यय को देखते हुए कुल कार्य जो किया गया वह कितना है ?

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि हमारी बैठक लगभग १५ मिनट जारी रहे उतनी देर में माननीय मंत्री अपना उत्तर दे दें ।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, इस वाद-विवाद में जो अपराध लगाये गये हैं वे अनेक प्रकार के हैं तथा पुनर्वास वित्त संस्थापन के हर पक्ष से सम्बन्धित हैं । आरंभ में मैं इस सदन के सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि पुनर्वास वित्त प्रशासन न तो बैंकों जैसा संगठन है, न ही वह कोई धर्मार्थ संस्था है । इस सदन में पुनर्वास वित्त प्रशासन के सम्बन्ध में अनेक बार आलोचना की गई है । परन्तु वह आलोचना इस प्रकार की होती थी जैसे प्रतिबन्ध बहुत अधिक हैं, औपचारिकतायें बहुत अधिक हैं तथा कार्य-वाही जल्दी नहीं की जाती है । मेरा विचार है कि जब से मैं ने इस संगठन का कार्य अपने हाथ में लिया है पुनर्वास वित्त प्रशासन से सम्बन्धित अनेक व्यक्ति मेरे पास आये और उन्होंने मुझ से कहा कि पुनर्वास वित्त प्रशासन के पास स्थान की तथा कर्मचारियों की बहुत कमी है ।

अत: दोष सदैव अन्य दृष्टिकोण से रहे हैं, इस दृष्टिकोण से नहीं कि इस में अत्यधिक कर्मचारी हैं । मैं समझता हूं कि संस्थापन व्यय के आंकड़ों के विषय में कुछ भ्रम है । वह आंकड़ा जिस का यहां उद्धरण दिया गया था ९८,००,००० रुपये की है । इस में

खराब तथा संदिग्ध ऋणों के लिये भी व्यवस्था थी, अर्थात्, २१,००,००० रुपये । मैं नहीं समझता कि पुनर्वास वित्त प्रशासन के "संस्थापन-व्यय" के अन्तर्गत यह राशि आ जायेगी ।

इसमें बहुत से अन्य मद २८,००,००० रुपये के योग के हैं, जो पुनर्वास वित्त प्रशासन के संस्थापन-व्यय में नहीं सम्मिलित किये जाने चाहियें अतः पुनर्वास वित्त प्रशासन का कुल संस्थापन-व्यय केवल ७०,००,००० रुपये आयेगा । पुनर्वास वित्त प्रशासन ने केवल ७,००,००० रुपयों का वितरण किया है, जिसका अर्थ है दस प्रतिशत ।

तत्पश्चात् पुनर्वास वित्त प्रशासन का कार्य केवल रुपया वितरण करना ही नहीं है, वरन् इसे बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल भी करनी पड़ती है । अब तक इसको ६५,००० आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन में से इसने केवल १५,००० आवेदकों के लिये ऋण स्वीकार किया है । इसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

प्राप्त हुए आवेदन पत्र	६५,०००
स्वीकृत	१५,०००
अस्वीकृत	३५,०००
विचराधीन	१५,०००

मेरे विचार से आवेदन पत्रों को स्वीकृति देना एक आवेदन को अस्वीकार कर देने से अधिक सरल है । ३५,००० अस्वीकृत आवेदन पत्रों में १५,००० स्वीकृत आवेदन पत्रों से कम से कम चौगुना परिश्रम करना पड़ा होगा । जब वे पुनर्वास वित्त प्रशासन के कार्य पर विचार करते हैं तो सदस्य केवल वितरित किये गये धन पर ही ध्यान रखते हैं किन्तु वे इस पर विचार नहीं करते कि पुनर्वास वित्त प्रशासन को कितने आवेदन पत्रों पर विचार करना पड़ता है । ऐसा आवेदन पत्र जो, पुनर्वास वित्त प्रशासन की दृष्टि से पूर्णतया व्यर्थ होता है, उस पर भी जांच-पड़ताल करनी पड़ती है, और यह जांच पड़ताल सम्भवतः ट्रावनकोर, मद्रास तथा मैसूर को छोड़ कर शेष सारे ही देश के भागों में की जाती है । श्रीमान्, यदि माननीय सदस्य बुरा न मानें, तो मैं तथ्य के लिये कहना चाहूंगा कि वह भारत के एक छोर से आये हैं जहां कोई शरणार्थी समस्या नहीं है अन्यथा उन्होंने ऐसा प्रस्ताव न रखा होता । यदि वह शरणार्थी समस्या से भली भांति परिचित होते, जैसे कि भारत के अन्य भागों के सदस्य हैं, तो मैं समझता हूं कि उन की आलोचना इस प्रकार नहीं होती ।

तत्पश्चात् मैं निवेदन करूंगा कि पुनर्वास वित्त प्रशासन न तो बैंक है और न कोई धार्मिक संस्था । इस में दोनों का मिश्रण है । इसमें काफी जोखिम भी है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार ऐसा जोखिम उठाने में काफ़ी बुद्धिमान एवं साहसी है । पुनर्वास समस्या तथा शरणार्थी समस्या को एक प्रकार से युद्ध के समान स्तर पर रखकर उसका सामना करना है और सरकार ने उस जोखिम को उठाना निश्चित कर लिया है । यदि मानव की आपदाओं को दूर करना है, तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इससे निश्चय ही सहमत होगा कि कुछ न कुछ जोखिम उठाना आवश्यक है ।

श्री के० के० बसु : अफ़सरों के वेतन के विषय में क्या रहा ?

श्री ए० सी० गुहा : माननीय सदस्य को अधीर होने की आवश्यकता नहीं । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो प्रथम अपराध लगाया है वह है कि व्यवहारिक रूप से सरकार का इस संगठन पर कोई भी नियन्त्रण नहीं है । पुनर्वास वित्त प्रशासन

[श्री ए० सी० गुहा]

एक स्वायत्त संस्था है। इस सदन द्वारा इस संगठन के नियंत्रण एवं प्रशासन के लिये एक विशेष अधिनियम पारित किया गया है। सदन जानता है कि इस संगठन को नियमित बनाने तथा कार्यकर्त्ताओं की देख-रेख करने का उत्तरदायित्व इस सदन पर है अथवा सरकार पर है। मैं समझता हूं कि सदन यह अनुभव करेगा कि सरकार एक स्वायत्त शासी संस्था पर पूर्णरूपेण निरीक्षणात्मक नियन्त्रण से अधिक और कर ही क्या सकती है। हम किसी स्वायत शासी संस्था के दैनिक कार्यकलापों में बराबर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते तो इस संगठन का स्वायत्त शासी रूप नष्ट हो जाता। सरकार इस संगठन को एक विभाग की भांति चला सकती थी, जैसा कि पुनर्वास कार्य विभागीय रूप से किया जा रहा है। किन्तु सरकार ने तय यह किया कि इस कार्य को विभाग की भांति चलाने की अपेक्षा एक स्वायत्त शासी संस्था के द्वारा चलाया जाना चाहिये। स्वाभावतः सरकार का नियन्त्रण उस अधिनियम के उपबन्धों तक ही सीमित है जिस के द्वारा इस स्वायत्त शासी संस्था का निर्माण किया गया है।

तब भी सरकार ने यह देखने के लिये कि इस संस्था पर सरकार का कुछ नियन्त्रण रहे और संगठन के कार्य कलापों की जानकारी रहे, इसके लिये कुछ पूर्वोपाय किये हैं। इस सम्बन्ध में मैं सदन को प्रशासन का निर्माण बता सकता हूं। मुख्य प्रशासक सभापतियों में से एक होता है। इस में चार कर्मचारी होते हैं, एक वित्त मंत्रालय का, एक पुनर्वास मंत्रालय का, एक पंजाब सरकार का नामांकित तथा एक पश्चिमी बङ्गाल सरकार का नामांकित। तत्पश्चात् चार कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यक्ति हैं, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री चन्दूलाल पारिख, श्री लक्ष्मी कान्त मैत्रा तथा एक अन्य सदस्य श्री सन्तोख सिंह, जो संसद् के सदस्य नहीं हैं। अतः इस सदन को कभी भी यह शिकायत नहीं हो सकती कि सरकार द्वारा पुनर्वास वित्त प्रशासन की कार्य प्रणाली का निरीक्षण नहीं किया जाता है।

इस प्रशासन के अतिरिक्त एक परामर्शदात्री परिषद् भी है। इस परामर्शदात्री परिषद् के सदस्य हैं :

श्री रोहिणी कुमार चौधरी,
श्री बसन्त कुमार दास,
पंडित ठाकुर दास भार्गव,
श्री अवधेश प्रसाद सिन्हा,
श्री अमोलख चन्द जैन,
श्री अचिंत राम तथा
डा० चोइथराम गिडवानी,

ये सभी इस सदन अथवा दूसरे सदन के सदस्य हैं। इस परामर्शदात्री परिषद् को इस संस्था के मामलों पर नियंत्रण रहता है। परिषद् के किसी भी सदस्य द्वारा कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई है कि परिषद् के पास कुछ काम करने को नहीं है या कोई उत्तरदायित्व निभाने को नहीं है। यदि डा० गिडवानी को कोई शिकायत होती है तो वह इस सदन के सम्मुख बहुत पहले ही आ गये होते, क्योंकि वह बहुत समय से इस संगठन के संसर्ग में रहे हैं। जैसा कि श्री बी० के० दास ने निर्देश किया है कि वह उस उप-समिति के सदस्य थे जिस ने इस संगठन के कार्य सम्बन्धी व्ययों की जांच की थी। समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इसका व्यय एक साधारण बैंक अथवा ऐसी ही किसी संस्था से अधिक हो सकता है।

श्री गिडवानी : मैं ने प्रत्येक बैठक में काफ़ी प्रस्ताव रखे हैं। इस बारे भी मैं ने दो प्रस्ताव भेजे हैं।

श्री ए० सी० गुहा : अफ़सरों के वेतन के सम्बन्ध में मुझे प्रारम्भ से ही कहना है कि ये सरकारी अफ़सर नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : किस अर्थ में ?

श्री ए० सी० गुहा : वे उस प्रशासन के अफ़सर हैं; वे सरकारी अफ़सर नहीं हैं । उन के वेतन तथा उपालब्धियों के विषय में, प्रथम प्रशासक श्री रक्षपाल इस प्रशासन में आने से पूर्व सरकारी कर्मचारी नहीं थे । उन्हें उनकी पेन्शन इम्पीरियल बैंक से मिलती थी जो सरकारी कार्यालय नहीं है । अतः अपनी पेन्शन तथा इस प्रशासन में नियुक्ति की दृष्टि से वह न तो सरकारी कर्मचारियों और न अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के नियम तथा विनिमय के ही अन्तर्गत आते हैं ।

द्वितीय सज्जन अवश्य एक अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारी हैं किन्तु जब से वह इस प्रशासन में आये उनको पेन्शन नहीं मिल रही है ।

श्री वी० पी० नायर : यह सही नहीं है । विवरण में यह कहा गया ह कि उन की पेन्शन का अभी कुछ तय नहीं हुआ है । राशि निश्चित हो जाने के पश्चात्, वह पेंशन दे दी जायगी । इस से पूर्व उन्हें ३,००० रु० वेतन मिलता था और जब पेन्शन तय हो जायगी तो उसे भी वह ले सकते हैं।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे जहां तक सूचना प्राप्त है वह यह है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है । मैं पुनः इस की जांच करूंगा ।

श्री गिडवानी : लगभग १०,००० रु० उपदान रूप में ।

श्री ए० सी० गुहा : वर्तमान पद के लिये हम ने नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को नाम प्रस्तावित करने के लिये लिखा था और उन्होंने दो नाम प्रस्तावित किये थे । उन का नाम पहले था अतः हम ने उन को चुन लिया था । अतः नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के सुझाव पर उन को चुना गया था । श्री रक्षपाल के विषय में यह रहा कि उन को इम्पीरियल बैंक अथवा रिजर्व बैंक—रिजर्व बैंक हो सकता है, उस ने चुन लिया था । और प्रशास में आन के पूर्व, मैं समझता हूं, कि वह बिहार सरकार के अन्तर्गत किसी तदथ नियुक्ति में, बिहार के स्मपूर्ण सहकारिता संगठन की पुनर्व्यवस्था कर रहे थे ।

श्री वी० पी० नायर : किस वेतन पर ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि वह वही या उस के लगभग ही वेतन पा रहे थे ।

श्री वी० पी० नायर : इम्पीरियल बैंक में उन का वेतन क्या था ?

श्री ए० सी० गुहा : इम्पीरियल बैंक में, उन्हें क्या वेतन मिलता था, मुझे पता नहीं । किन्तु मैं समझता हूं कि बिहार में उन्हें वही या उसके लगभग ही वेतन मिलता था ।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों को कोई भी पेंशन नहीं दी जाती है । निर्वाह-निधि की व्यवस्था वहां है; किन्तु उस में कर्मचारियों का चन्दा रहता है, प्रशान की ओर से चन्दा नहीं दिया जाता । अतः उन्हें उस प्रकार के निर्वाह-निधि का लाभ भी नहीं मिलता । प्रशासक के अतिरिक्त अन्य किसी को चिकित्सा सुविधायें भी नहीं मिलतीं । अभी हाल ही तक उन्हें निवास-सुविधायें भी नहीं मिलती थीं । वे सभी अस्थायी कर्मचारी हैं—केवल उन की नौकरी सुरक्षित अवश्य है । वे कुछ कठिनाइयों में काम कर रहे हैं । वेतन के

[श्री ए० सी० गुहा]

सम्बन्ध में । मैं समझता हूं मुझ एक या दो उदाहरण ले लेने चाहिये ।

श्री गिडवानी : जहां तक श्री राम गोपाल का सम्बन्ध है उन्हें उन की पूरी पेंशन तो मिलेगी ही । इस पर भी उन्हें १०,००० रुपये दिये गये ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा निवेदन है कि श्री गुहा का कथन गलत है । श्री रक्षपाल के मामले में कहा गया है कि उन्हें पेंशन तथा चिकित्सा सुविधायें आदि मिलेंगी जो उस श्रेणी के केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलती हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : परन्तु उन को पेंशन इम्पीरियल बैंक के कर्मचारी होने के नाते उस बैंक से मिली है न कि सरकार से ।

श्री वी० पी० नायर : जो व्यक्ति सरकारी सेवा में न हो, उसे सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन और चिकित्स संबंधी सुविधायें कैसे मिल सकती हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : आर० एफ० ए० के नियमों और विनियमों के अनुसार भर्ती और सेवा की शर्तें निश्चित हैं । जिन के अनुसार महा प्रशासक को कुछ चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें दी गई हैं। उन का संचालन सरकारी कर्मचारी-आचार नियमों से नहीं होता तथा वे सरकारी कर्मचारी भी नहीं होते। मैं ने अपने उत्तर में बताया था कि आर० एफ० ए० अधिनियम की धारा १० के अन्तर्गत भर्ती इत्यादि के कुछ नियम विनियम बनाये गये हैं

श्री वी० पी० नायर : आप ने १० अगस्त को बतलाया था कि उन को चिकित्स सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने कहा कि महा प्रशासक के अतिरिक्त किसी को भी चिकत्सा सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त नहीं हैं।

प्रो० डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : इस का यह आशय हुआ कि उन को दोनों ओर से लाभ ही लाभ है ।

श्री ए० सी० गुहा : आन्तरिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त बाह्य लेखापरीक्षा भी होती है । नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के लिये सब स्वायत्त निकायों के लेखों का परीक्षण करना बड़ा कठिन है क्योंकि देश में बहुत से निगम और औद्योगिक समवाय हैं, जिन सब का लेखापरीक्षण का काम नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक नहीं कर सकता । परन्तु तो भी आर० एफ० ए० के लिये आन्तरिक के अतिरिक्त बाह्य लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था है । इस विधेयक में एसा रखा गया है कि नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक भविष्य में सब निकायों के लेखा का परीक्षण किया करें । आन्तरिक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त एक सुस्थापित फर्म के द्वारा अर्थात् अधिकृत गणक फर्म के द्वारा भी लेखा का परीक्षण होता है । और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से भी कोई अधिकारी इस प्रशासन का लेखा-परीक्षण करते हैं , और यदि कोई उन्नति करनी आवश्यक हो, तो उस की रिपोर्ट देते हैं । अभी हाल में इस प्रकार का लेखा-परीक्षण हुआ था । सरकार प्रत्येक संभव ढंग से इस प्रशासन के कार्य का नियंत्रण और परीक्षण करती है ।

माननीय सदस्य की विनती है कि इस प्रशासन के कार्य की जांच के लिये संसदीय आयोग भी होना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु परिवार-पोषण तथा पक्षपात के बारे में क्या उत्तर है ?

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : माननीय मंत्री न सम्बन्धियों को

नियुक्त करने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री वी० पी० नायर : आप स्पष्टतया वाद विवाद नहीं करते, यह क्या बात है ?

सभापति महोदय : सदस्य ने पहले ही सदन के सामने अपने बिन्दु प्रकट कर दिये हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने कई व्यक्तियों के नाम बतलाये। मेरे पास सब सरकारी अधिकारियों के अथवा इस निगम के कर्मचारियों के सम्बन्धियों का इतिहास नहीं है, और न ही यह मेरा कार्य है कि मैं उन के परिवारिक सम्बन्धों को खोजूं। और केवल इस कारण से किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी बनने से रोका नहीं जा सकता कि वह किसी प्राधिकारी का सम्बन्धी है ।

श्री के० के० बसु : प्रतिबन्ध न लगायें, अपितु विशष रियायत दें ।

श्री गिडवानी : आप तो उन को ४०० प्रतिशत की रियायत दे रहे हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : हम कोई रियायत नहीं देंग । यदि कोई भूल हुई है तो हम इस पर विचार करने और उसे ठीक करने के लिये तैयार हैं । भर्ती करना तो प्रशासन का काम है और जिन सदस्यों को प्रशासन में काम करने का अनुभव है, वे जानते हैं कि कितने अच्छे ढंग से भर्ती की जाती है । वेतन के सम्बन्ध में .....

श्री नामधारी (फाजिलका सिरसा) : यदि कोई भारतीय राष्ट्रजन सुयोग्य हो और उस का सम्बन्धी प्राधिकारी हो, तो क्या उसे नौकरी में न लिया जाय ?

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री बोलते चलें ।

श्री ए० सी० गुहा : सूची में केवल वर्तमान वेतन ही दिखाया गया है। दूसरा व्यक्ति जो अब उपमहाप्रशासक है, वह पहले स्थानीय शाखा का प्रबन्धक था। और उपमहाप्रशासक का स्थान खाली होने पर उस स्थान के लिये योग्य समझा गया और १५०० रुपये वेतन पर उपमहाप्रशासक बनाया गया। दो तीन वर्ष में अपनी वेतन-वृद्धि के कारण अब उसे १७५० रुपये मिलते हैं। इस से पहले व्यक्ति को २२५० रुपये मिलते थे, तो इन को १५०० रुपये पर लगा कर धन बचाया गया है।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन अधिकारियों के सम्बन्धी किस गुरुत्वाकर्षण-शक्ति से इस विभाग की ओर आकर्षित हो गये हैं ? (हंसी)

सभापति महोदय : यह सदन है और इस में दूसरे व्यक्तियों को चिढ़ाने वाली बात उचित नहीं है। आप को गम्भीर होना चाहिय ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं समझता हूं कि गुरुत्वाकर्षण-शक्ति की विधि ....

सभापति महोदय : गुरुत्वाकर्षण-शक्ति का कोई प्रश्न नहीं है । आप अपने स्थान में बैठियेंगा ।

श्री ए० सी० गुहा : सरकार के लिये लाखों सरकारी अधिकारियों के सम्बन्धियों के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह सरकार का कार्य नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के बोल चुकने के बाद आप जानकारी ले सकते हैं ।

श्री ए० सी० गुहा : इस दोषारोपण को गम्भीरता से लेना ठीक नहीं कि अमुक व्यक्ति किसी का सम्बन्धी है क्योंकि यह दोष नहीं है ।

कई सदस्य : क्यों नहीं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह दोष क्यों कर है ? क्योंकि किसी मंत्री या संसद् सदस्य के लिय यह पता रखना कि अमुक् व्यक्ति किसी का सम्बन्धी है, सम्भव कार्य नहीं ह ।

कई सदस्य : क्यों नहीं ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये । इस प्रकार अन्त-बाधाओं के कारण वे कैसे बोल सकेंगे ?

श्री वी० पी० नायर--उठ खड़े हुए

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को सुनना चाहिए और यदि उन का संतोष न हो, तो वे बाद में बोल सकते हैं । परन्तु उन्हें मंत्री जी को बोलने देना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं भी कुछ प्रस्तुत कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है । इस समय श्री गुहा सदन के समक्ष बोल रहे हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : वे कई एसी बातें कह रहे हैं जो सरकार की घोषणाओं के विपरीत हैं ।

सभापति महोदय : जब माननीय मंत्री बोल रहे हों तो बीच में बोलना ठीक नहीं । अतः माननीय सदस्य को बैठ जाना चाहिए ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या मैं पूछ सकती हूं कि पुनर्वास वित्त प्रशासन में कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं और उन में से कितने लोगों पर दूसरे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धी होने की शंका की जाती है ।

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कुछ कर्मचारी ६५० हैं, और उन में से इन्हों ने पांच या छः व्यक्तियों का नामनिर्देश किया है । यदि किसी के सम्बन्ध का पता करना भी होता है, तो वह चुनाव-मंडल का काम है, जिस में कई संसदीय सदस्य भी प्रतिनिधित्व करते हैं । उस मण्डल में इस सदन के भी कई सदस्य हैं । और मैं कह सकता हूं कि....

श्री वी० पी० नायर : आप ने मुझे लिखे पत्र में लिखा था कि महाप्रशासक सरकार की पूर्व अनुमति के साथ निरीक्षक, नियंत्रक और सहनियंत्रक आदि भर्ती कर सकता है । मैं ऐसे अधिकारियों की ओर निर्देश करता हूं । परामर्शदात्री मण्डल का उल्लेख भी नहीं किया गया ।

श्री ए० सी० गुहा : यदि महाप्रशासक या और किसी अधिकारी को कोई शक्ति दी गई है, तो उसे प्रशासन ने दी है, और उस के अन्दर इस सदन के कई उत्तरदायी सदस्य भी हैं । और मैं समझता हूं कि वे इन बातों की देख-भाल करने के लिये सक्षम हैं ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पति वार, ३ सितम्बर, १९५३ को सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—379 PSD—5-2-54—285